खण्ड-452, अंक-7
बुधवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1926
(23 फरवरी, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 452 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	च-ट्ट
दिनांक 20 फरवरी, 2005 को लखनऊ में मोहर्रम के अवसर पर एक सम्प्रदाय के दो वर्गों में हुए दंगे की नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सुने जाने की माँग ...	1
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक साहित्य वितरण की सूचना ...	1
वित्तीय वर्ष 2005-2006 का आय-व्ययक -------(प्रस्तुत) ...	1-19
बजट प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रश्न प्रहर लिये जाने हेतु सदन की सहमति जानने के प्रकरण पर पूर्व में पीठ की व्यवस्थानुसार नेता विरोधी दल को सुने जाने की माँग ...	20
दिनांक 20 फरवरी, 2005 को लखनऊ में मोहर्रम के अवसर पर भड़के दंगे से उत्पन्न स्थिति पर नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य -स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी) ...	20-22
आज की कार्य सूची के प्रश्नों को उत्तरित माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था ...	22
प्रश्नोत्तर ...	23-44
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	44-45
जिला पंचायत बलिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिलोक मंदा में शिक्षा मित्र की फर्जी नियुक्ति को निरस्त कर दोषी जनों के विरुद्ध जाँच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
इलाहाबाद, सिविल लाइन में व्यापारी के घर की लूट एवं अपहरण से सम्बन्धित बदमाशों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	46
जनपद सुल्तानपुर--धमौर मार्ग के शेष भाग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	46
जनपद बरेली में राजपुर कलां-आंवला मार्ग पर आरिल नदी पर बने पुल से पहुँच मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	46-47
जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत बेहटा नाले पर कतिपय गांवों के सामने पुलों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	47

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जौनपुर के धर्मापुर विकास खण्ड के कतिपय गाँवों में ग्राम समाज की खाली जमीनों तथा अनुसूचित जाति का आंवटित जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	47
सिनेमा उद्योग के उद्यमियों पर अधिकतम आवासीय गृहकर न लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	47
जनपद हरदोई के अन्तर्गत संडीला बेनीगंज मार्ग पर क्षतिग्रस्त बेहटा नाले के पुल का निर्माण व बाईपास रास्ते का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक ठेकमा के कई गांवों में इंडिया मार्का हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद जालौन के कालपी में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	48-49
जनपद हरदोई के विलग्राम क्षेत्रान्तर्गत कई गाँवों में बन्दरों द्वारा किये जा रहे उत्पात से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	49
नगर पूर्व बस्ती के समग्र गाँव की दो सड़कों गोटवा से रैतवार एवं लालगंज से बन्नी तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	49
आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण प्रश्न प्रहर से पहले समाप्त होने पर शेष अवधि में प्रश्न काल लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	50-51
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ...	51-52
विधान सभा प्रश्नों के सम्यक् उत्तर शासन द्वारा प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	52-53
दिनांक 20 फरवरी, 2005 को लखनऊ में मोहर्रम के अवसर पर भड़के दंगे से उत्पन्न स्थिति पर नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चर्यानित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ...	53-68
उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	68
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	69-70
एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 (पुर: स्थापित) ...	71
प्रदेश में नकली दवाओं की बढ़ोत्तरी विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ...	71-76

विषय	पृष्ठ-संख्या
"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि राज्य सभा, विधान परिषद्, न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण लागू किया जाय" के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा प्रस्तुत संकल्प (अस्वीकृत) ...	76-89
"इस सदन का निश्चित मत है कि अन्य पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जाति को उनकी आबादी के हिसाब से 54 एवं 26 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय" के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा प्रस्तुत संकल्प (अस्वीकृत) ...	89-97
"इस सदन का निश्चित मत है कि शुद्ध पेय-जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु वाराणसी के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र की सैकड़ों वर्ष पुरानी जर्जर पाइप लाइनों को बदल दिया जाय" के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प (मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया) ...	97-101
"इस सदन का निश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा त्वरित एवं संतुलित विकास हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय " विषयक डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प (अस्वीकृत) ...	101-109
"इस सदन का निश्चित मत है कि स्नातक कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण के लिए शासन की स्पष्ट नीति निर्धारित किया जाय" के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प (अस्वीकृत) ...	109-111
विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 में दिनांक 17 नवम्बर, 2004 के उपवेशन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की खराबी व अन्य कारणोवश सदन की कार्यवाही का प्रतिवेदन ठीक ढंग से न होने तथा कतिपय अंशों की कार्यवाही से निकाले जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार आदि के औचित्य के प्रश्न पर पीठ के निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने विषयक अनुरोध पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	112-113
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	113-114
जनपद गाजीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक डा0 अजय कुमार अग्रवाल के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रमोद कुमार आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	114
जनपद उन्नाव के बांगरमऊ स्थित 36 ग्रामों की बिजली तार चोरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम शंकर पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हरदोई की तहसील विलग्राम की विद्युत् आपूर्ति हरदोई के विद्युत उपकेन्द्र से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	115
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के दैनिक वेतन भोगी मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 सुशील चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	116-117
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के अन्तर्गत पकड़ी, नगरा एवं कुरेजी में पानी की टंकियों के निर्माण हेतु शेष धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) का वक्तव्य ...	117-118
पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मार्गों तथा पुलों के अवशेष निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	118-119
जनपद शाहजहाँपुर के रौजा अन्तर्गत गन्ना शोध परिषद की आवासीय कालोनी में वैज्ञानिक सुरेश चन्द्र के आवास पर हुए हमले में चौकीदार सकटे की मृत्यु के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	119-120
जनपद आजमगढ़ की तहसील लाल गंज में स्वीकृत आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन न होने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य ...	120-121
जनपद हरदोई की तहसील विलग्राम की विद्युत सप्लाई हेतु हरपाल पुर कस्बें में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	121
जनपद सुल्तानपुर के घनपतगंज में स्वीकृत पावर स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र भद्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	121
जनपद देवरिया के नगर पंचायतं मझौलीराज के अध्यक्ष के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने के उपरान्त भी वित्तीय अधिकार समाप्त न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायन उर्फ खोखा सिंह, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	122

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाजहाँपुर के भावल खेड़ा के अनुज कुमार को बन्दूक से मारने वाले मुल्जिमों को गिरफ्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	122-123
इलाहाबाद महानगर की सफाई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित केवल वक्तव्य का स्थगन ...	123
प्रदेश के आधे से अधिक विकास खण्डों में विकास अधिकारियों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) का केवल वक्तव्य ...	123-124
जनपद खीरी स्थित तहसील निघासन में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 एस0 कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	125

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 2005

उपस्थित सदस्य 346

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अमरमणि, श्री	महराजगंज
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	अमर सिंह यादव पुत्र	
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अजय कुमार, डा0	बागपत	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अताउल रहमान, श्री	बरेली	अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर	अरविन्द कुमार सिंह उर्फ	
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	गोप, श्री	बाराबंकी
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अनिल कुमार पासवान,श्री	हरदोई	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अनीस अहमद खां उर्फ		अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अनुग्रह नारायण उर्फ		अशोक सिंह चौहान,	मैनपुरी
खोखा सिंह, श्री	देवरिया	आदित्य विक्रम सिंह	
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	(बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद	आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर	आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
अब्बास अली जैदी उर्फ		आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी	आलम बदी, श्री	आजमगढ़
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी

आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्याण सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर

संसद पुस्तकालय सभा

जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री	चित्रकूट
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर,भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतम बुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसोदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रमोद गोड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
वंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोनी सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा"	ललितपुर
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदादेवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायण, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा

सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :--1--श्री बनवारी सिंह यादव, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री,

2--श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री तथा

3--अजीत कुमार राजू, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 20 फरवरी, 2005 को लखनऊ में मोहर्रम के अवसर पर एक सम्प्रदाय के दो वर्गों में हुए दंगे की नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष--

आय-व्ययक वितरण के सम्बन्ध में कुछ सूचना है।

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, आपसे एक अनुरोध है। शहर में एक बड़ी दुर्घटना हुई है, दंगा हुआ है दो सम्प्रदायों में, आप उसके बारे में .....

श्री अध्यक्ष--

बजट का प्रस्तुतीकरण हो जाय उसके बाद सुन लेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, सरकार को कुछ संकट है। एडवोकेट जनरल को बुलाया है।

(हँसी)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक साहित्य वितरण की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गई व्यवस्था इस प्रकार है। 'हाँ' सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूँ, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ ,रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बासबंकी, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, पडरौना, देवरिया, मऊ, चित्रकूट, आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण और 'नहीं' सभाकक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 का आय-व्ययक

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2005-06 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

बजट की प्रतियाँ बँटवा दी जायं।

(बजट की प्रतियाँ बाँटी गयीं।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, वित्तीय कारोबारी संस्कृति का दशक पूर्व लोप हो चुका था। हमारी सरकार ने कारोबार की गाड़ी को पटरी पर लाने का सफल प्रयोग किया। हम दूसरी बार अपनी सरकार का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट वित्तीय वर्ष की समय अवधि समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत कर रहे हैं। संचित निधि के ऊपर इस आदरणीय सदन का स्वामित्व होता है। सरकार तो सदन की दास है। निधि के स्वामी की अनुमति से प्रदेश खजाने को खर्च करने का हमारा व्यवहार लोकतांत्रित व्यवस्था के मान्य सिद्धांतों को मजबूत बनाने वाला है। समय से बजट की अनुदान राशि को पास कराना और निर्धारित सीमा के भीतर उस राशि को व्यय करने की मान्य परिपाटी का पालन कर हमारी सरकार ने इस प्रदेश में नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है। अनुशासित और मर्यादित वित्तीय संस्कृति का राज्य स्तर पर लोप हो रहा था, जिसे हमने अपने राज्य में पुनर्जीवित कर सभी राज्यों के सामने एक स्वच्छ, पारदर्शी वित्तीय प्रबंध का ऊँचा मानदण्ड उपस्थित किया है। आर्थिक तौर पर बदहाली के दौर से गुजरने वाले उत्तर प्रदेश के आर्थिक जगत को हमारी सरकार ने नया जीवनदान दिया है। उत्तर प्रदेश में नई कार्य संस्कृति विकसित कर, एक खुशहाल प्रदेश के रूप में तब्दील कर, देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में प्रदेश को खड़ा करने का हमारा दृढ़ संकल्प है। इसी मनोभाव के साथ मैं आपकी अनुमति से इस बजट को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

वर्ष 2004-2005 के अपने बजट भाषण में हमारी सरकार की विकास की रणनीति की चर्चा करते हुये मैंने कहा था कि सरकार द्वारा एक तरफ सार्वजनिक पूँजी का उपयोग सर्वाधिक आवश्यकता वाले सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अवस्थापना जैसे बिजली, सड़क एवं पानी की सुविधाओं के सृजन पर किया जायेगा, दूसरी ओर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निजी पूँजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिये अनुकूल वातावरण तैयार किया जायेगा। मैंने यह भी कहा था कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि समाज के सबसे कमजोर एवं जरूरतमंद वर्ग के लोगों के हितों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती रहे।

इस रणनीति के तहत हमारी सरकार द्वारा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी तथा रोजगार को प्राथमिकता प्रदान की गयी। इनसे संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उन्नयन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया जिससे इन क्षेत्रों में विकास को एक सकारात्मक और निश्चित दिशा मिल सकी है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा कई नीतिगत निर्णय लिए गये हैं। इनमें उत्तर प्रदेश विकास परिषद् तथा उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन, नई ऊर्जा नीति, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र नीति, नई आवास नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति, चीनी उद्योग नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति आदि प्रमुख हैं, जिनके अन्तर्गत निजी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से व्यवस्थायें की गयी हैं।

वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों पर चर्चा शुरू करने के पूर्व मैं कुछ ऐसे नीतिगत निर्णयों का उल्लेख करना चाहूँगा जो पहली बार लिये गये हैं।

राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि किये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर तथा करेतर राजस्व के सम्बन्ध में कतिपय निर्णय लिये गये, जिनके फलस्वरूप वर्ष 2005-2006 में लगभग 1250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व का अर्जन अनुमानित है।

वर्ष 2005-2006 के बजट के साथ जेन्डर बजटिंग के सिद्धान्त का सूत्रपात किया जा रहा है। हमारा यह दृढ़ मत है कि महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के बिना समाज का वास्तविक एवं सम्पूर्ण विकास सम्भव नहीं है। जेन्डर बजटिंग का मूल उद्देश्य सरकार के बजट को

महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनाया जाना है। इसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लाभार्थी आधारित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की बजट व्यवस्था का कम से कम एक तिहाई भाग महिला लाभार्थियों के लिये मात्राकृत किया जाय।

वर्ष 2005-2006 को पुराने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का वर्ष घोषित किया गया है। सिंचाई, सड़कें एवं सेतु, स्कूल एवं कालेज भवनों तथा अस्पतालों के अधूरे कार्यों को यथा संभव पूरा करने के लिये विशेष रूप से बजट व्यवस्था कराई गयी है।

सरकार की वर्तमान परिसंपत्तियों के रख-रखाव संबंधी कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए अवस्थापना क्षेत्र तथा शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र की परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु विशेष रूप से बजट व्यवस्था कराई गयी है।

आर्थिक परिदृश्य--

दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 8 प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। योजना के प्रथम वर्ष 2002-2003 में प्रदेश में व्यापक सूखे के कारण त्वरित अनुमानों के आधार पर विकास दर 0.1 प्रतिशत रही, जबकि देश की अनुमानित विकास दर 4.0 प्रतिशत रही। वर्ष 2003-2004 में प्रदेश की अनुमानित विकास दर 5.9 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय औसत 9.0 प्रतिशत रहा। वर्ष 2002-2003 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 9870 रुपये से बढ़कर 2003-2004 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 10817 रुपये हो गयी जो 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसी अवधि में राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय रुपये 19040 से बढ़कर रुपये 20989 हो गयी जो 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इससे स्पष्ट है कि राज्य में आर्थिक विकास की दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है तथा इस अन्तर को कम करने हेतु विशेष प्रयास किये जाने होंगे।

वार्षिक योजना (2005-2006)--

मुझे यह बताते हुये अपार हर्ष है कि प्रदेश सरकार द्वारा संसाधनों में बढ़ोत्तरी तथा राजकोषीय एवं विद्युत सुधार हेतु किये गये विशेष प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश की वार्षिक योजना 2005-2006 के लिये 13500 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है, जो वर्ष 2004-2005 के परिव्यय से लगभग 40 प्रतिशत अधिक है और अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है। उल्लेखनीय है कि कुल परिव्यय का 71.3 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं के लिए है।

राजकोषीय सुधार--

मान्यवर, मैंने वर्ष 2004-2005 के बजट भाषण में कहा था कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध विधेयक विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जैसा माननीय सदस्यगण अवगत हैं, माह फरवरी, 2004 में उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004, पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार द्वारा मध्यकालिक राजकोषीय पुन:संरचना नीति तैयार की गयी है, जो बजट साहित्य के साथ विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्राथमिकताएं, उपलब्धियाँ एवं नये कार्यक्रम--

मान्यवर, आप अवगत हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों एवं समुदायों के उत्थान एवं विकास हेतु हमारी सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों का जिक्र मैं करना चाहूँगा।

कृषि--

गन्ना किसानों के हितों के संरक्षण के लिए पेराई सत्र 2004-2005 में गन्ने के समर्थन मूल्य में 12 रुपये प्रति कुन्तल की बढ़ोत्तरी की गयी है। इससे गन्ना किसानों को लगभग 556 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है।

अप्रैल, 2004 से 18 फरवरी, 2005 तक कुल 4956 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है, जिसमें वर्तमान गन्ना पेराई सत्र में ही अब तक 85 प्रतिशत गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान किया गया है। वर्तमान पेराई सत्र में दिनांक 07 फरवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में स्थित कुल 104 मिलों के माध्यम से गत पेराई सत्र में इसी अवधि की तुलना में 58 लाख टन अतिरिक्त गन्ने की पेराई की गयी है, जो बन्द चीनी मिलों को चालू करने तथा चालू मिलों के क्षमता विस्तार से सम्भव हुई है।

चीनी उद्योग को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये नयी चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 घोषित की गयी है जिसके अन्तर्गत निजी कंपनियों द्वारा प्रदेश में चीनी मिलों की स्थापना, वर्तमान चीनी मिलों का क्षमता विस्तार तथा चीनी उद्योगों की स्थापना निर्धारित मानकों के अनुसार किये जाने पर कतिपय सुविधायें एवं छूट प्रदान की जायेगी।

गन्ना पेराई सत्र 2005-2006 तक निजी क्षेत्र में 6 और नई चीनी मिलों में गन्ना पेराई का कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है, जिससे 44 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गन्ने की पेराई सम्भव होगी तथा लगभग 5,000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ लगभग 25,000 अतिरिक्त गन्ना किसान लाभान्वित होंगे।

रबी विपणन वर्ष 2004-2005 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत निर्धारित समर्थन मूल्य 630 रुपये प्रति कुन्तल की दर से कुल लगभग 17.40 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गयी। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गेहूँ की खरीद से सम्बन्धित मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

हालांकि हमारा प्रदेश खाद्यान्न, दलहन, फल तथा सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी है फिर भी कृषि उपज के प्रसंस्करण की पर्याप्त सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण उनका मूल्य सम्वर्धन का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति घोषित की गयी है। नई नीति के लागू होने से नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से किसानों को कृषि उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकेगा तथा प्रदेश में निजी पूंजी निवेश भी आकर्षित होगा। इस नीति के सार्थक परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं। आलू प्रसंस्करण हेतु जनपद गाजियाबाद में 15,000 मीट्रिक टन एवं जनपद आगरा में 8,000 मीट्रिक टन क्षमता की इकाईयाँ निजी क्षेत्र में स्थापित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त 8 दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयाँ पिछले कुछ ही माहों में स्थापित हुई हैं।

पिछले वर्ष हमारी सरकार ने किसान बीमा योजना लागू की जिसके अन्तर्गत मृत्यु तथा विकलांगता की परिस्थिति में सभी 2.5 करोड़ खातेदार किसानों का एक लाख रुपये का बीमा आच्छादन किया गया। वर्ष 2005-2006 में इस योजना को चालू रखा जायेगा।

कृषि विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब तक 48 मण्डियों पर कम्प्यूटरीकृत विपणन सूचनातंत्र की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2005-2006 में प्रदेश के 102 कृषि बाजारों में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश के 20 जनपदों में फल-सब्जी मण्डी के निर्माण के लिये भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रगति पर है। नोयडा में पुष्प नीलामी केन्द्र-सह-थोक मण्डी एवं आधुनिक फल-सब्जी मण्डी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जो बंगलौर के बाद देश में अपने प्रकार की दूसरी परियोजना होगी।

वर्ष 1990 में भूमि सेना का गठन किया गया था जिसे अब नये स्वरूप में 27 जनपदों में पुन: कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के मजदूरों को संगठित कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कसने के साथ ऊसर भूमि का उपचार करके उसे भूमिहीन कृषकों/मजदूरों को आवंटित करना, भूमि सुधार संबंधी सभी कार्यों को स्थानीय मजदूरों के माध्यम से क्रियान्वित करना तथा ऊसर भूमि के उपचार के उपरांत फसलों की उत्पादकता बढ़ाया जाना है। बीहड़ भूमि का समतलीकरण करना, नहरों और नदियों को गहरा कर उनकी सफाई करना आदि कार्य भी इस योजना के अन्तर्गत किये जायेंगे। इस योजना के प्रथम चरण में 20,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि का आगामी दो वर्षों में सुधार किया जायेगा। इस योजना से जहां एक ओर रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे, वहीं दूसरी ओर कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी होगी। वर्ष 2005-2006 में इस योजना हेतु 40.15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुधन एवं दुग्ध विकास--

प्रदेश में पशु-महामारी नियंत्रण, उन्नत पशु प्रबन्धन विधियों का विकास एवं प्रसार, चारा उत्पादन में वृद्धि तथा पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है।

एकीकृत दुग्धशाला परियोजना, दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण की योजना, केन्द्रीय प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण, महिला डेरी परियोजना, सघन मिनी परियोजना आदि रोजगारपरक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

मत्स्य विकास--

मछुवा दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-2005 तक 41,000 मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्यों का आच्छादन हो चुका है। वर्ष 2005-2006 तक कुल 42,000 सदस्यों का आच्छादन प्रस्तावित है।

मछुवा आवासों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 में 2130 मछुवा आवासों के निर्माण हेतु रुपये 25,000 प्रति लाभार्थी की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

ग्राम्य विकास--

मान्यवर, हमारे प्रदेश की आय का एक तिहाई भाग कृषि से आता है तथा लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अत: ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के माध्यम से उत्पादकता में [illegible] तथा ग्रामीण आबादी की आय में वृद्धि प्रदेश के संतुलित विकास के लिये आवश्यक है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ग्रामीण विकास एवं एग्री बिजनेस केन्द्रों की स्थापना की एक नयी योजना वित्तीय वर्ष 2005-2006 में क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित छोटे उद्योगों तथा अन्य धन्धों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अवस्थापना सुविधा का विकास किया जायेगा ताकि ये क्षेत्र ग्रामीण विकास की धुरी के रूप में विकसित हों तथा ग्रामीण जनसंख्या का बड़े शहरों को पलायन कम हो सके। इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्तमान वर्ष में आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत 195 करोड़ रुपये की व्यवस्था के सापेक्ष वर्ष 2005-2006 में 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था के सापेक्ष वर्ष 2005-2006 में 260 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्तमान वर्ष में 21 जनपदों के लिये राष्ट्रीय सम विकास योजना हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसे आगामी वर्ष में बढ़ाकर 315 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में आर्थिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज प्रस्तावित है, जो बुन्देलखण्ड विकास निधि के अतिरिक्त है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये लगभग 72 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्पों की स्थापना के साथ ही पाईप लाइन द्वारा पानी की आपूर्ति की समूह पेयजल योजना क्रियान्वित की जायेगी। गुणता प्रभावित जनपदों में नमूनों का परीक्षण कर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गयी है। ग्रामीण पेयजल के लिए वर्ष 2005-2006 में कुल लगभग 290 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायती राज--

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु वर्ष 2004-2005 के 6 लाख के भौतिक लक्ष्य को दुगुना करते हुए वर्ष 2005-2006 में 12 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है। शौचालयों के निर्माण के लिए 129 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। हमारी सरकार का यह मानना है कि महिलाओं की सुविधा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिये ग्रामीण शौचालयों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

वर्ष 2005-2006 में पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग रुपये 27 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अवस्थापना--

सड़क, पानी और बिजली की हमारी सरकार की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2005-2006 में बजट प्रावधान में काफी वृद्धि की गयी है।

सड़क एवं यातायात--

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 2005-2006 में सड़क एवं सेतु परियोजनाओं हेतु लगभग 900 करोड़ रुपये की अधिक बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राज्य सेक्टर, जिला सेक्टर की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2457 मार्ग निर्माण कार्य तथा 121 सेतुओं एवं उनके पहुँच मार्गों को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

वर्ष 2005-2006 में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के लिये लगभग रुपये 375 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है जिससे 2158 किलोमीटर मार्गों का निर्माण तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1439 गाँवों / मजरों को लेपित मार्गों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदेश की जनता को सस्ती, पर्याप्त, दक्ष एवं समन्वित सड़क परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2005-2006 में 1150 नई बसों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

मुरादाबाद, वाराणसी, हरदोई, बिजनौर तथा मैनपुरी में बस स्टेशनों के उच्चीकरण एवं सैफई में नये बस स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, जिसे वर्ष 2005-2006 में पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

सिंचाई--

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 2005-2006 में सिंचाई परियोजनाओं हेतु लगभग 814 करोड़ रुपये की अधिक बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्ष 2005-2006 में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये 1992 करोड़ रुपये, लघु सिंचाई के लिये 187 करोड़ रुपये तथा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी हेतु 360 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है, जिसमें नहरों की लाइनिंग हेतु 100 करोड़ रुपये, सतही जल निकास व्यवस्था में सुधार के लिए 150 करोड़ रुपये एवं बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के लिये 50 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

उपरोक्त बजट व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वर्षों से अधूरी पड़ी वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1182 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है।

नहरों की सफाई कराकर उनकी टेल तक पानी पहुंचाने के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है। वर्ष 2004-2005 में 28,772 किलोमीटर लम्बाई में सिल्ट सफाई का कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2005-2006 में भी नहरों की सफाई कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जायेगी।

सिंचाई व्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से बुंदेलखण्ड क्षेत्र में रसिन, सिंगार, कुरार, लखीरी बाँध के निर्माण तथा औगासी पम्प नहर के आधुनिकीकरण की परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। इससे 6,470 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।

वर्ष 2005-2006 में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे लगभग 2 लाख नि: शुल्क बोरिंग कराई जा सकेंगी।

ऊर्जा--

ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने, उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने तथा ऊर्जा क्षेत्र को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं जिनमें नयी ऊर्जा नीति, 2004 उल्लेखनीय है।

प्रदेश के अवशेष अविद्युतीकृत गाँवों को केन्द्र सरकार की नई त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों की अवधि में विद्युतीकृत किये का लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 में 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

माह सितम्बर, 2003 से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 8 घण्टे से बढ़ाकर 14 घण्टे कर दी गयी है, जिससे कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायता मिलेगी। मुझे माननीय सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि यह सुविधा वर्ष 2005-2006 में भी प्राप्त होती रहेगी।

पिछले कई वर्षों से लम्बित 1000 मेगावाट क्षमता की अनपरा "सी" परियोजना को स्थापना निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कराने का निर्णय लिया गया है। पारीछा में 2 x 210 मेगावाट क्षमता की नई उत्पादन इकाईयाँ स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इसकी लागत लगभग 1755 करोड़ रुपये है। इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2006-2007 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

जल विद्युत परियोजनाओं में रिहन्द परियोजना जिसकी क्षमता 300 मेगावाट है, के जीर्णोद्धार का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है तथा लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य वर्ष 2009-2010 तक पूर्ण हो जाना संभावित है।

रिलायंस एनर्जी लिमिटेड द्वारा लगाये जा रहे 3740 मेगावाट पावर प्लान्ट की स्थापना के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्लान्ट एवं अन्य संबंधित उपयोगों के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है तथा आवश्यक नहरी जल के लिए प्रदेश के सिंचाई विभाग एवं रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के मध्य अनुबंध, प्रदेश के पर्यावरण विभाग से अनापत्ति, भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से स्वीकृति की कार्यवाहियां प्रगति पर हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्थापित करने के लिए प्राथमिकता पर गम्भीरतापूर्वक प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे यथा संभव आगामी 2 वर्षों में विद्युत उत्पादन के प्रथम चरण का कार्यान्वयन हो सके।

अतिरिक्त ऊर्जा--

प्रदेश के ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ पारम्परिक स्रोतों से गाँवों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता है, सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से विद्युतीकरण की महत्वकांक्षी योजना इस वर्ष प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 250 गाँवों तथा द्वितीय चरण में 300 गाँवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

नगर विकास--

अरबन रिफॉर्म इन्सेन्टिव फण्ड (यूरिफ) योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों में चिन्हित सुधार कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2005-2006 में लगभग 60 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

त्वरित नागर जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 20,000 से कम जनसंख्या वाले 425 नगरों की पेयजल व्यवस्था के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2003-2004 तक 159 नगरों में मानकों के अनुसार जलापूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्ष 2004-2005 में 40 तथा वर्ष 2005-2006 में पुन: 40 नगरों को मानक के अनुसार जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश के चयनित महानगरों में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण व्यवस्था के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इलाहाबाद में द्वितीय जलकल के निर्माण हेतु 30.88 करोड़ रुपये, लखनऊ में जल सम्पूर्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिये 30.93 करोड़ रुपये तथा कानपुर एवं वाराणसी नगरों में जलोत्सारण/सीवरेज व्यवस्था हेतु क्रमश: 23.40 करोड़ रुपये एवं 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कानपुर नगर की पेयजल समस्या के निदान के लिए गंगा बैराज का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत अवशेष कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2005-2006 में 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

आवास एवं शहरी नियोजन--

सबके लिये आवास का लक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के प्रयोजन से प्रदेश सरकार द्वारा आवास निर्माण के क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में छोटे एवं मध्यम नगरों के लिये संगठित विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-2006 हेतु जिला मुख्यालयों एवं तहसील मुख्यालयों के 45 नगरों के लिये 50 करोड़ रुपये की योजनायें प्रस्तावित हैं।

शिक्षा--

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि शिक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2005-2006 में वर्तमान वर्ष की तुलना में शिक्षा पर होने वाले व्यय हेतु बजट व्यवस्था में 1600 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है जो स्वयं में एक कीर्तिमान है। इसमें से लगभग 1180 करोड़ रुपये की वृद्धि प्राथमिक शिक्षा में की गयी है।

वर्ष 2005-2006 में लगभग 4,700 नये स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य है जिसमें 2,500 प्राथमिक तथा 2,200 उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे। इससे प्रदेश की ग्रामीण आबादी स्कूल की सुविधा से संवित हो जायेगी।

2,500 जर्जर प्राथमिक तथा 400 जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण तथा 75,000 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये वर्ष 2004-2005 में हमारी सरकार ने 40,000 विशिष्ट बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों का चयन पूर्ण किया गया व 41,000 शिक्षामित्रों की तैनाती की है। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। इस व्यवस्था से अध्यापक छात्र अनुपात अब 1:52 हो गया है जो वर्ष 2003-2004 के प्रारम्भ में 1:72 था।

परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पका-पकाया भोजन दिये जाने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना हेतु वर्ष 2005-2006 में 340 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं तथा बालिकाओं को मुफ्त पुस्तक सुविधा अनुमन्य है। हमारी सरकार द्वारा अभी हाल में ही प्राथमिक कक्षाओं के सामान्य वर्ग के बालकों को भी मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना वर्ष 2005-2006 से लागू कर दी जायेगी।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2004-2005 से कन्या विद्याधन योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2004 में कक्षा-12 उत्तीर्ण गरीब परिवारों की पात्र बालिकाओं को 20,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। वर्ष 2004-2005 में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2005-2006 में 1.50 लाख बालिकाओं को इस योजना से आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।

सभी वर्गों के अर्ह छात्रों हेतु वर्ष 2005-2006 में छात्रवृत्ति के लिये लगभग 1466 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी के अवसर पर चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज, हेवरा, इटावा को शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस हेतु महाविद्यालय में कम्प्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रेक्षागृह, छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास, शिक्षकों के आवास, अतिथिगृह आदि का निर्माण किया जा रहा है ताकि यह महाविद्यालय शिक्षा के एक अत्याधुनिक संस्थान के रूप में विकसित हो सके।

बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के परिसर में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तथा छात्रावास के निर्माण हेतु रुपये एक करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया राजकीय विधि संस्थान, लखनऊ की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था करायी गयी है।

राजकीय महाविद्यालयों में पठन-पाठन के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने हेतु 141 प्रवक्ताओं के तथा अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा के 266 पद सृजित किये गये हैं।

युवा कल्याण एवं खेलकूद--

युवाओं के शारीरिक सम्वर्धन, स्वास्थ्यवर्धन मानसिक विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण हेतु प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा कई योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

सैफई, इटावा में विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के निर्माण हेतु 4.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य--

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये वर्ष 2005-2006 में वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों की तुलना में लगभग **600 करोड़ रुपये की अधिक व्यवस्था** प्रस्तावित है।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में शताब्दी अस्पताल की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य 2 वर्ष में किये जाने का लक्ष्य है तथा वर्ष 2005-2006 में इस हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।

दन्त चिकित्सा विश्वविद्यालय हेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के द्वितीय चरण में 6 चयनित अति विशिष्टताओं की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के सैटेलाइट संस्थानों तथा मिनी पी0जी0आई0 की स्थापना प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किये जाने के उद्देश्य से संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम को संशोधित किया गया है। इस दिशा में संयुक्त चिकित्सालय, सैफई , इटावा तथा डा0 राममनोहर लोहिया अस्पताल, लखनऊ को पी0जी0आई0 के सैटेलाइट संस्थानों के रूप में विकसित किये जाने हेतु क्रमशः 150 करोड़ रुपये तथा 131 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के अभाव को दूर करने के लिए 1281 चिन्हित पदों पर संविदा पर नियुक्तियाँ की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन 3640 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 372 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण वर्ष 2005-2006 में पूर्ण कर उन्हें आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित करने का लक्ष्य है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं के प्रसार के लिये 700 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु 22.90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

रोजगार--

मान्यवर, जैसा मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश में निजी क्षेत्र की सहभागिता से रोजगार के नये अवसर सृजित किये जाने के प्रयास के साथ-साथ सरकार द्वारा कई रोजगार परक तथा स्वरोजगार परक योजनायें संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा।

प्रदेश के 15 पिछड़े जनपदों में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना प्रारम्भ की गयी है, इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने वाले कार्यों के लिये 3 वर्ष की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। वर्ष 2005-2006 में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 551 करोड़ रुपये से अधिक की नकद धनराशि एवं 5.40 लाख टन से अधिक खाद्यान्न श्रमिकों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन से 10.82 करोड़ मानव दिवसों का सृजन हो सकेगा।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुल 2.75 लाख व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों, परंपरागत कारीगरों व दस्तकारों, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों व श्रमिकों को स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना प्रारम्भ की जा रही है। वर्ष 2005-2006 में इस योजना के अन्तर्गत 5000 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जायेगी जिससे 35,000 रोजगार सृजित होंगे।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत 3000 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जायेगी जिससे 25,000 रोजगार सृजित होंगे।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 17 करोड़ मानव दिवस कर सृजन का अनुमान है। इस हेतु वर्ष 2005-2006 में लगभग 440 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

दुग्ध विकास की विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-2006 में लगभग 39,000 रोजगार सृजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2005-2006 में 30,000 लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष माह नवम्बर, 2004 तक लगभग 165 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश तथा 77,359 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वर्ष 2005-2006 में 30,000 लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश में शिक्षित युवक/युवतियों को संस्थागत वित्त सहायता प्राप्त कराते हुए स्वरोजगार हेतु 52,000 के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष माह नवम्बर, 2004 तक लगभग 49,600 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2005-2006 हेतु भी 52,000 का लक्ष्य रखा गया है।

खनिजों के दोहन एवं विकास कार्यों से प्रदेश में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 7 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिले हैं। खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं खनन व्यवसाय से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिये खनिज विकास निधि के लिये वर्ष 2005-2006 में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा–

विकलांग कल्याण

दिनांक 1 अप्रैल 2005 से विकलांग पेंशन की दर 125 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक अभिनव प्रयोग के रूप में जनपद लखनऊ में 3 से 6 वर्ष के विकलांग बच्चों के लिये नर्सरी का संचालन प्रारम्भ किया गया है।

अल्पसंख्यक–

अल्पसंख्यक समुदाय के रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाये जाने की योजना वित्तीय वर्ष 2005-2006 में भी चालू रखी जायेगी।

मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए लखनऊ में परीक्षापूर्व कोचिंग की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है।

आलिया स्तर के 140 मदरसों में नि:शुल्क कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है, जिस पर 1.54 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित है।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर की स्मृति में छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के 200 चयनित ऐसे छात्रों, जो एम0बी0बी0एस0, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, बी0बी0ए0, आई0आई0टी0, आई0आई0एम0 आदि की परीक्षाओं में ऊँची मेरिट प्राप्त करेंगे, को 1000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल, रामपुर, जहाँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कैद रखा गया था, को एक धरोहर स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इस हेतु 1.11 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

ओरिएन्टल कॉलेज, रामपुर, जो एक समय अरबी शिक्षा का एक अग्रणी संस्थान था, के जीर्णोद्धार हेतु 1.99 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें अध्ययनरत बच्चों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं हिन्दी आदि विषयों से परिचित कराने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण योजना चलाई जा रही है।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर की स्मृति में रामपुर में उद्यान का विकास प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 2.45 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित है।

महिलायें--

जेन्डर बजटिंग की प्रक्रिया प्रदेश में पहली बार प्रारम्भ की जा रही है जिसका उल्लेख मैं पूर्व में कर चुका हूँ।

निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है। वर्तमान में इस योजना से 5.16 लाख महिलाओं को आच्छादित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2005-2006 में इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुये 6.16 लाख लाभार्थियों हेतु लगभग 119 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के महिला स्वयं सहायता समूहों के लिये परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2005-2006 में 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्वाधार योजना के अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं के पुनर्वासन हेतु वृन्दावन में दो आश्रय सदनों का निर्माण प्रस्तावित है।

सैनिक कल्याण--

उत्तर प्रदेश के निवासी द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को देय पेंशन की दर 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किये जाने के फलस्वरूप 17.64 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर, विभिन्न व्यावसायिक समूहों के कल्याण हेतु हमारी सरकार द्वारा विशेष योजनायें चलाई जा रही हैं जिनकी संक्षिप्त रूपरेखा में प्रस्तुत करना चाहूँगा।

रिक्शाचालक--

प्रदेश के 5 लाख रिक्शाचालकों के लिये एक नई बीमा योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसके अन्तर्गत सभी रिक्शाचालकों को दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता के विरुद्ध 1.00 लाख रुपये की अधिकतम बीमा राशि हेतु बीमित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे रिक्शाचालकों जो स्वयं रिक्शा मालिक हैं, के रिक्शा का बीमा रुपये 4000 की राशि के लिये किया जायेगा। इस योजना के लिए 5.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बुनकर--

वित्तीय वर्ष 2004-2005 में 25,000 बुनकरों को रोजगार सुलभ कराये जाने का लक्ष्य रखा गया था जिसे वर्ष के अन्त तक प्राप्त कर लिये जाने का अनुमान है। वर्ष 2005-2006 में पुन: 25,000 बुनकरों को रोजगार सुलभ कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्तमान की अत्यधिक प्रतिस्पर्धा वाली बाजार परिस्थितियों में हैण्डलूम/पावरलूम से अपनी आजीविका प्राप्त करने वाले बुनकरों के उद्योग को बनाये रखने तथा उनके उत्थान के लिये बुनकरों द्वारा तैयार माल के क्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनुकूल वातावरण सृजित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

व्यापारी--

माननीय सदन को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष है कि व्यापारियों के हित संरक्षण के लिये हमारे द्वारा की गई सभी पूर्व घोषणाओं को पूरा किया गया है।

प्रदेश में विस्तार/आधुनिकीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त पूंजी विनिवेश के बराबर छूट अनुमन्य की जा रही थी। इन इकाईयों को भी नई इकाईयों की भाँति अतिरिक्त पूंजी विनिवेश के 150 प्रतिशत से 250 प्रतिशत तक व्यापार कर में छूट अनुमन्य कर दी गयी है।

औद्योगिक इकाईयों द्वारा चलाये जा रहे पावर जनरेटर सेट के प्रयोग हेतु डीजल की खरीद के लिये व्यापार कर अधिनियम की धारा-4 ख के अन्तर्गत रियायती दर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

हस्त निर्मित कागज को व्यापार कर/ प्रवेश कर से मुक्त किया गया है।

प्लास्टिक पैकेजिंग मेटीरियल पर व्यापार कर की दर 10 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत कर दी गई है।

वनस्पति, रिफाइन्ड आयल, बिस्कुट एवं रोलर फ्लोर मिल के निर्माता व्यापारियों के साथ-साथ टेन्ट, फर्नीचर, कनात, आयातित चीनी तथा पत्थर, पटिया के व्यापारियों के लिये समाधान योजना लागू की गई है।

शिक्षक--

सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने हेतु 5,000 रुपये प्रतिमाह प्रति विषय विशेषज्ञ को मानदेय के आधार पर 2,323 विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है।

राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षकों को पेंशन सुविधा अनुमन्य करा दी गयी है।

इनविजिलेशन पारिश्रमिक की दरों को बढ़ाकर सी0बी0एस0ई0 के समकक्ष कर दिया गया है।

अधिवक्ता--

अधिवक्ता चैम्बर, पुस्तकालय भवन, बार काउंसिल भवन के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये एवं अधिवक्ताओं के बैठने हेतु टिन शैड आदि की व्यवस्था हेतु 1.50 करोड़ रुपये तथा अवधबार एसोसियेशन की अधिवक्ता कल्याण कोष निधि के लिये 5 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

समाज कल्याण--

वर्ष 2005-2006 में मण्डलीय मुख्यालयों पर 16 नये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। इस हेतु 65.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिये उच्च शिक्षण संस्थाओं में आवास की समस्या के निराकरण के लिये विभिन्न जनपदों में नये छात्रावास निर्मित कराये जा रहे हैं।

अनुसूचित जनजाति के तीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को कक्षा 12 तक उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु बजट में 1.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

शान्ति व्यवस्था--

प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिये शान्ति व्यवस्था का सुदृढ़ होना तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण होना अनिवार्य है। इस हेतु पुलिस प्रशासन का व्यापक आधुनिकीकरण किये जाने के साथ-साथ पुलिस कर्मियों की कठिन ड्यूटी अवधि व कार्य के दवाब को देखते हुये उन्हें बेहतर आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कानून व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण के साथ-साथ किसी भी आकस्मिक परिस्थिति का सामना प्रभावी ढंग से किये जाने हेतु पुलिस के नियंत्रण कक्षों को सशक्त बनाया गया है, 11,000 से अधिक कान्सटेबिलों की नयी भर्ती की जा रही है और पुलिस कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने के उद्देश्य से एवं उन्हें समय से प्रोन्नति देने हेतु उप-निरीक्षकों एवं निरीक्षकों के पदों में वृद्धि की गयी है।

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण, अस्त्र-शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

न्याय--

राज्य विधि आयोग का गठन एक अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त/कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।

विभिन्न जनपदों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये वर्ष 2005-2006 के बजट में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पर्यटन--

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व के अनेक पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधायें जैसे पेयजल, सड़क, आवास तथा विद्युत आदि उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

देश की अमूल्य धरोहर ताजमहल के 350 वर्ष पूर्ण करने पर प्रदेश में ताज महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।

पर्यावरण एवं वन--

प्रदेश में पर्यावरण सुधार एवं पर्यावरण के प्रति जनचेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

प्रदेश में वृक्ष आवरण बढ़ाने तथा वन सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण, वृक्षारोपण, वानिकी शोध एवं वनों पर निर्भर मानव समुदायों एवं वन कर्मियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

जनपद इटावा का ऐतिहासिक फिशर फारेस्ट वव्वर शेरों के प्राकृतिक आवास के अनुकूल है। अतः इस स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु प्रदेश के प्रथम लायन सफारी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है।

लखनऊ प्राणि उद्यान एवं कानपुर प्राणि उद्यान के आधुनिकीकरण का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी--

जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध विकास के वाणिज्यीकरण के साथ-साथ औद्योगिक पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बायोटेक्नोलाजी बोर्ड की स्थापना की गयी है।

जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रौद्योगिकी / वाणिज्यिक इकाइयों की स्थापना पर कतिपय रियायतें देते हुये इन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जैव प्रौद्योगिकी नीति घोषित की गयी है।

राजकोषीय सेवायें--

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है, हमारी सरकार द्वारा राजस्व संवर्धन हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं जिसके फलस्वरूप वर्ष 2005-2006 में लगभग 1,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वर्ष 2005-2006 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत 18290.58 करोड़ रुपये के अनुमान लिये गये हैं।

राज्य के कर राजस्व के स्रोतों में व्यापार कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क तथा वाहन एवं यात्री कर प्रमुख हैं।

करापवंचन रोकने के लिये एक व्यापक रणनीति बनाकर समन्वित प्रयास किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप व्यापार कर की वसूली में सराहनीय वृद्धि हुई है।

लेख-पत्रों के निबन्धन, अभिलेखों के सुरक्षित संग्रहण, जाली/फर्जी स्टाम्पों के चलन रोकने तथा परिसम्पत्तियों के यथार्थ मूल्यांकन जैसे क्रिया-कलापों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि इन प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता एवं कुशलता सुनिश्चित की जा सके।

आबकारी राजस्व एवं सम्भावित जन हानि पर रोक लगाये जाने हेतु प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में 29 चेक पोस्टों तथा 17 प्रवर्तन इकाईयों के माध्यम से प्रवर्तन कार्य को प्रभावी बनाया गया है।

करेतर राजस्व के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 हेतु 2247.19 करोड़ रुपये की प्राप्ति के अनुमान लिये गये हैं।

2005-2006 के बजट अनुमान--

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

प्राप्तियाँ--

वर्ष 2005-2006 में 67494.10 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में 42667.61 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 24826.49 करोड़ रुपये की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2005-2006 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेतर राजस्व का अंश 37584.00 करोड़ रुपये है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 17046.23 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

वर्ष 2005-2006 में कुल व्यय 69295.19 करोड़ रुपये अनुमानित है।

कुल व्यय में 48071.08 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 21224.11 करोड़ रुपये पूँजी लेखे का व्यय है।

वर्ष 2005-2006 के बजट में 14864.36 करोड़ रुपये आयोजनागत व्यय अनुमानित है।

समेकित निधि--

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2005-2006 में घाटा 1801.09 करोड़ रुपये है।

लोक-लेखा से समायोजन--

वर्ष 2005-2006 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 2339.30 करोड़ रुपये लोक-लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम--

वर्ष 2005-2006 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 538.21 करोड़ रुपये अनुमानित है।

अन्तिम शेष--

वर्ष 2005-2006 में प्रारम्भिक ऋणात्मक शेष 1212.38 करोड़ रुपये को हिसाब में लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष 674.17 करोड़ रुपये होना अनुमानित है। इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

यहां मैं बजट के वित्तीय पहलुओं की कुछ मुख्य विशेषताओं का भी उल्लेख कर रहा हूँ--

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत तथा जो वर्ष 2005-2006 में 2.1 प्रतिशत अनुमानित है।

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत तथा वर्ष 2005-2006 में 5.3 प्रतिशत अनुमानित है।

वेतन, पेंशन तथा ब्याज का सम्मिलित व्यय वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों में कुल राजस्व प्राप्ति का 80.3 प्रतिशत तथा वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों के अनुसार 72.1 प्रतिशत है।

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों के आधार पर कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर व्यय 69.9 प्रतिशत है जो वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों के अनुसार 64.4 प्रतिशत है।

2004-2005 के बजट अनुमानों के आधार पर राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में 14.8 प्रतिशत है जो वर्ष 2005-2006 में 12.7 प्रतिशत अनुमानित है।

जिन क्षेत्रों में अभी हमें अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाना है उनमें राज्य की ऋणग्रस्तता में कमी लाना प्रमुख है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की ऋणग्रस्तता वर्ष 2003-2004 में 48.9 प्रतिशत थी जो वर्ष 2004-2005 में बढ़कर 49.9 प्रतिशत अनुमानित है तथा वर्ष 2005-2006 में इसके 51.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। राज्य सरकार द्वारा ऋण पर निर्भरता कम कर स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा जिसके लिए मंत्रि परिषद की संसाधन समिति तथा संसाधन एवं व्यय आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ। मैं वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, श्रीमती रीता शर्मा और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारी सरकार अगले वित्तीय वर्ष को विकास पर्व के रूप में मनाना चाहती है, जिससे समृद्धि की किरणें प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचें। अगले वित्तीय वर्ष का बजट हमारे इसी संकल्प को प्रतिबिम्बित करता है।

हमारी सरकार महात्मा गांधी, डॉ0 लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह जैसे महान नेताओं के सेवा, सादगी, समता और ईमानदारी के शाश्वत सिद्धान्तों को अपना आदर्श मानकर काम कर रही है। हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और राष्ट्रीय महानायकों ने एक ऐसे आजाद भारत की परिकल्पना की थी, जहां सबको विकास के समान तथा पूरे अवसर मिलें, संसाधनों पर सबका बराबर का हक हो, सबको समान व सुलभ शिक्षा मिले, हर एक को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और जहां कोई बेरोजगार न हो। इस कल्पना को मूर्त रूप देने और हर स्तर पर गैरबराबरी को दूर करने की ईमानदार तथा विनम्र कोशिश आपको निश्चय ही हमारे बजट में दिखाई देगी।

मुझे माननीय सदन को यह बताते हुये हार्दिक प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी वर्गों और समुदायों ने हमारी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर पूरा विश्वास व्यक्त किया है। राजकोष का सदुपयोग हमने जन कल्याण पर खर्च करने और सभी वर्गों तथा समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये किया है।

इसके साथ ही मैं सभी माननीय विद्वान सदस्यों से यह अपील करूँगा कि वे चाहे किसी भी दल या राजनैतिक विचारधारा से सम्बन्ध रखते हों, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के हमारे प्रयासों में सहयोग करें। हम सभी को प्रदेश की जनता ने इस विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि के रूप में यहां चुनकर भेजा है कि हम उन्हें एक बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए मिल-जुलकर पूरा प्रयास कर सकें। मुझे विश्वास है कि हम सभी इस महत् कार्य के लिये हर प्रकार के मतभेद भुलाकर एकजुट होंगे।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक, वित्तीय वर्ष 2005-2006 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

(समय 12 बजकर 15 मिनट)

(नेता विरोधीदल के खड़े होने पर)

बजट प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रश्न प्रहर लिये जाने हेतु सदन की सहमति जानने के प्रकरण पर पूर्व में पीठ की व्यवस्थानुसार नेता विराधी दल को सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, पिछले वर्ष भी जब बजट प्रस्तुत हुआ था, उसके बाद प्रश्न प्रहर लिया गया था। अभी प्रश्न प्रहर के लिए 5 मिनट की अवधि है, आप चाहें तो प्रश्न ले लिया जाए, उसके बाद आपकी बात सुन लेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, बजट प्रस्तुत करने से पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहना चाहते थे और आपने व्यवस्था दी थी कि बजट प्रस्तुत होने के बाद आपकी बात सुन लें और अब आप प्रश्नकाल की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो व्यवस्था आपने दी है, उसका पालन हो जाए।

दिनांक 20 फरवरी, 2005 को लखनऊ में मोहर्रम के अवसर पर भड़के दंगे से उत्पन्न स्थिति पर नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी)

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, लखनऊ में आप सबको मालूम है कि 100 वर्ष से एक समुदाय के दो वर्ग मोहर्रम के समय या किसी अन्य समय पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, किन्हीं कारणों से। उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मैंने बहुत प्रयास के बाद 27 वर्ष बाद जो लखनऊ की संस्कृति का एक पार्ट था, लखनऊ के इस जुलूस को उठाने पर प्रतिबन्ध था, उनको आपसी समझौते के द्वारा शुरू करा दिया था और तब से बराबर चल रहा था। यह पहला मौका था जहाँ भयंकर आगजनी हुई है, यदि टेलीविजन देखा हो, आग की लपटें, पत्थरों से पटी हुई सड़कें, पटाखे और बन्दूकें चलती हुई, ऐसा लगता था कि सिविल वार हो रहा हो। यह क्यों हुआ ? इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। आज आधे शहर के रास्ते बन्द हैं, लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, दहशत का वातावरण बना हुआ है और जरा सी भी असावधानी से कोई भयंकर घटना हो सकती है, आगे आने वाले दिनों में। मान्यवर, और भी जो जुलूस निकलते हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। अभी तक वहाँ पर सरकार की ओर से केवल एक थाने में कर्फ्यू लगाने के अलावा कोई कठोर कार्यवाई नहीं हुई है। मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि बहुत दिनों से यहाँ पर साम्प्रादायिक दंगा फैलाने की कोशिश हो रही है और उसमें एक-आध धर्म गुरू भी हैं जो सड़क से निकल कर पार्कों पर कब्जा करते हैं। वह इस पूरे शहर को वक्फ की सम्पदा बता रहे हैं। यह विधान सभा उसी पर बनी हुई है, राजभवन भी उसी पर बना हुआ है। जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं, वह उनकी हो गयी है और उनको हड़पने के लिए अराजक तत्वों का एक समूह तैयार किया जा रहा है जो इस तरह की कोई न कोई घटनाएं करते हैं। मान्यवर, जिस समय समझौता हुआ था, मुख्यमंत्री जी ध्यान दें, जब समझौता हुआ था, उस समय कुछ वार तय कर दिए

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये थे। मान्यवर, ऐसे में कुछ स्थान तय कर दिये गये थे कि इतने दिन तक इस स्थान से जुलूस उठेंगे, इस स्थान तक जाएंगे। पहले एक समुदाय की बहुत दिन से जुलूस की मांग थी उनकी भी मांग पूरी कर दी गयी थी, उनका भी जुलूस उठता था। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने दंगे की स्थिति में सामने खड़े होकर दंगा होने से बचाया।

मैं किसी दल की बात नहीं करना चाहता लेकिन माननीय श्री सलमान खुर्शीद साहब ट्रामा सेन्टर में घायलों को देखने गये तो कुछ लोगों का नाम लेकर गालियाँ दी जा रही थी और उन पर अनेक तरह के आरोप लगाये जा रहे थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जहाँ से यह दंगा शुरू हुआ है वह तयशुदा स्थान था या नहीं ? आमतौर पर लोग प्रशासन के ऊपर सारा दोष मढ़कर बच जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। प्रशासन क्या कर सकता है ? काम यह हो सकता है कि कुछ दिन पहले मंत्री स्तर पर और जनप्रतिनिधि स्तर पर वार्ता हो जाती थी। अब यह परम्परा खत्म हो गयी है। अब यह होता है कि जहाँ जो पाता है वहाँ से जुलूस निकालता है। मनमानी करता है। मान्यवर, क्षमा करेंगे, हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी भी गये। शांति की अपील करने के बजाए उन्होंने भी एकतरफा कुछ अपना रुख वहाँ पर दिखाया है जिसका एक रिएक्शन है। आप उसे स्वीकार करें। यह आपका स्वभाव है कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ उपद्रव हो जाता है। ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। जब आप घायलों को देखने गये हैं तो उनके प्रति सम्वेदना व्यक्त करनी चाहिए। अगर यह हुआ है तोआपकी जिम्मेदारी है। अगर एक बार दंगा हो जाए तो उसके लिए आप आत्मालोचन करने के बजाए दूसरे पर इल्जाम लगाने लगें कि यह तो पर्सनल लॉ बोर्ड का मैटर था इसिलए ऐसा हो गया। पहले तो कभी नहीं होता था। हकीकत यह है कि प्रशासन और शासन को सबको जो धर्मगुरू हैं और जो वास्तव में शांति चाहते हैं तो उनको बुलाकर हमेशा उनको विश्वास में लिया जाता था। इस बार वह प्रक्रिया नहीं हुयी। मुझे याद है कि एक व्यक्ति जुलूस में गोली से मर गया वह दंगा करना चाहते थे। तो लोग उसकी लाश लेकर बारावफात में उसका जुलूस निकाल रहे थे। यह देखकर एक आलिम हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो लोग लाश लेकर आये थे उनको उन्होंने भगा दिया कहा कि इसको आप ले जायें। उन्होंने दंगा होने से बचा लिया। आज उनको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया ? क्यों नहीं यह कार्यवाही की गई ? एक समाचार पत्र में छपा है कि अगर उसके ऊपर यह कहा गया कि पुलिस को पूरे हथियार देने से मना कर दिया गया कि कोई कुछ करे नहीं, जो कुछ वह करते हैं उन्हें करने दें। परिणाम यह हुआ कि आग लगती रही और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कुछ नहीं किया। जिनके पास है उन्होंने चलाने की कोशिश नहीं की। लाठी भी चलाने में डर रहे थे। आखिर यह राजधानी है, अराजक तत्वों के हवाले कैसे इसको छोड़ दिया जाय। आज प्रशासन और शासन कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है, तो यह कैसी बंधुवा स्थिति हो गयी है। यह और भी बढ़ सकता है। आपने कर्फ्यू लगाया है और आप कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है लेकिन मैं वहाँ पर रहता हूँ और यह जानता हूँ कि कितना टेंशन वहाँ पर है। जरा सी असावधानी बहुत भयंकर रूप ले सकती है इसलिए इस समस्या के ऊपर एक वक्तव्य दें। उसमें सच्चाई हो कि पुलिस को मना किया गया था कि आप शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। अगर इस तरह से लोगों को भेजा जायेगा तो पुलिस, मान्यवर, लखनऊ की ऐतिहासिक घटना है,

ख्वाजा सराहा होते थे बादशाहों के यहाँ, जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी यहाँ पर आयी तो इन ख्वाजा सराहा ने कहा कि 'तालियाँ बजाओ यह मुए भाग जायेंगे', तो आज की स्थिति भी इसी प्रकार की हो रही है कि गोलियाँ मत चलाओ मुए भाग जायेंगे। मान्यवर, आज तीन बेगुनाह लोग मारे गये हैं। अभी लोगों के मुंह बंद हैं लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इनके चेहरे पहचान में आ जायेंगे कि कौन लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं। इन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर घटना है। राजधानी, जहाँ पर शासन और प्रशासन है, अगर यहां पर नियंत्रण नहीं कर सके तो और जगह जो साम्प्रदायिकता का जहर फैल रहा है उसको कैसे नियंत्रित करेंगे ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं इनका मुख्य धर्म यही है कि सबको उत्तेजित करते हैं। अभी यही हुआ एक जगह इनका बयान मैंने पढ़ा था। इन्होंने कह दिया था और वह आपसे संबंधित भी है कि हिन्दू-हिन्दी और हिन्दुस्तानी यह गद्दार है हिन्दी आप भी ज्यादातर बोलते हैं तो आपका नाम भी इन्होंने गद्दार की सूची में डाल दिया। मुझे तो अपने हिन्दू होने पर गर्व है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिन्दू हूँ, तो क्या मैं देशद्रोही हूँ, गद्दार हूँ और जो इस तरह की बातें बोलते हैं, वह क्या देशभक्त हैं ? इसलिए मान्यवर, मैं यह कहना चाहूँगा कि जो सत्ता में बैठते हैं उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए अन्यथा प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोकते चले जायेंगे और यह अपने कायदे आजम बनाते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न आज आ चुके हैं .....

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, एक आखिरी बात तो मेरी रह गयी है, वह यह है कि इसमें सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

आज की कार्यसूची के प्रश्नों को उत्तरित माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष--

पहले मुझे प्रश्नों एवं नियम 301 के बारे में व्यवस्था देने दें।

(कुछ सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे, तो मैंने यह कहा था कि उनको बजट भाषण के तत्काल बाद सुन लिया जायेगा। मैंने उनको सुन लिया है। आप लोग बैठ जायें। मैं आप लोगों को भी सुन लूंगा। पहले जो मैं कह रहा हूँ उसे सुन लीजिये, जो प्रश्न आज की कार्यसूची में थे, वह उत्तरित माने जायेंगे। अब नियम 301 व 300 को ले रहा हूँ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्राथमिक विद्यालयों में भोजन वितरण योजना को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने की कार्ययोजना

**1.--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर के भोजन वितरण योजना को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने एवं उक्त प्रयोजन हेतु प्राप्त अनाज का दुरुपयोग न हो इस पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)--

जी हां।

मध्याह्न योजना योजनान्तर्गत प्रति छात्र 3 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह आवंटित किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में पका पकाया भोजन योजना लागू होने एवं उसको ग्राम प्रधान के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने के कारण वर्तमान में उक्त अनाज ग्राम प्रधानों को सरकारी राशन की दुकान से उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। इस हेतु खाद्य विभाग एफ0सी0आई0 से शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी छात्र संख्या के आधार पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। सचिव बेसिक शिक्षा, उ0 प्र0 शासन के अ0शा0 पत्र सं0 2206/2004-05, दिनांक 9-12-2004 द्वारा यह निर्देश भी प्रसारित कर दिये गये हैं कि राशन में होने वाली किसी बचत का उपयोग कन्वर्जन कास्ट के रूप में खाना पकाने वाले की मजदूरी के रूप में किया जा सकता है। जिला स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण हेतु शासन के अ0शा0 पत्र सं0 03/2004-05, दिनांक 1-12-2004 द्वारा जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से खाद्यान्न का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। किसी भी नोडल अधिकारी से खाद्यान्न के दुरुपयोग की शिकायत नहीं प्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगमों में सफाई व्यवस्था को निजीकरण के माध्यम से कराये जाने की रूपरेखा

**2--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों में सफाई व्यवस्था निजी क्षेत्र में सौंपने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जी हां। प्रदेश की नगरीय निकायों/प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण जनहित में शासनादेश संख्या-4584/9-1-04-2(9)/2002, दिनांक 13 जनवरी, 2004 द्वारा प्रथमतः प्रयोग के तौर पर लखनऊ नगर निगम, लखनऊ, नगर पालिका परिषद् सम्भल (मुरादाबाद), देवरिया, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज एवं रामपुर। नगर पंचायत प्रतापगढ़ सिटी (प्रतापगढ़) तालबेहट

नोट :--उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

(ललितपुर) एवं गजरौला (जे0पी0 नगर) में सफाई व्यवस्था को निजीकरण के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु मानक के रूप में लिये जाने वाले नगरों (निकायों) में जो सफाई कर्मी तैनात हैं और स्वीकृत संख्या से कम हैं, उन्हें उसी निकाय/नगर के क्षेत्र विशेष में स्थानान्तरित किया जायेगा और अवशेष क्षेत्रों में सफाई का कार्य संविदा के आधार पर किया जायेगा।

सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक की माँग

*1--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक होने के बावजूद सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस जारी है ? यदि हां, तो सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर सख्ती से रोक लगाये जाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)--

जी हां, कतिपय चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

शासनादेश संख्या-5983/सेक-2-पांच-7(55)/97, दिनांक 24-12-02 द्वारा सरकारी चिकित्सकों द्वारा की जा रही प्राइवेट प्रैक्टिस पर सख्ती से रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक सतर्कता समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा राजकीय चिकित्सकों द्वारा की जा रही प्राइवेट प्रैक्टिस की शिकायतों की समीक्षा के उपरान्त प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त पाये जाने पर संबंधित चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

*2--श्री राम इकबाल सिंह--

[7वें सोम के तारां0-4 पर स्थाना0]

अनुसूचित जातियों एवं विकलांगों का नि:शुल्क इलाज कराने की मांग

*3--श्री रामकरन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अनुसूचित जातियों एवं विकलांगों का नि:शुल्क इलाज करने की सुविधा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 28-6-2000 द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में कुष्ठ रोग के निवारण हेतु कार्ययोजना

*4--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कुष्ठ रोगियों की संख्या उत्तर प्रदेश में 23 फीसदी होने के कारण उ0 प्र0 प्रथम स्थान पर है ? यदि हां, तो कुष्ठ रोग के निर्मूलन हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां, प्रदेश में कुष्ठ रोग के निवारण हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम संचालित है तथा भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कुष्ठ निवारण परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत वर्ष 2005 के अन्त तक प्रदेश से कुष्ठ रोग के निवारण हेतु (अर्थात् 01 रोगी प्रति 10,000 जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु) कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की नीति सम्बन्धी जानकारी

*5--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा अब तक कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)--

जी हां।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार परिसीमन की अस्थाई तथा स्थाई विधियों की सुविधाएं जनसामान्य को निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। इसके साथ-साथ अप्रैल, 1998 से प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए प्रदेश में अपनी जनसंख्या नीति जुलाई, 2000 में प्रख्यापित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

भ्रूण परीक्षण पर रोक लगाने सम्बन्धी कानून बनाने की कार्य योजना

*6--कुं भारतेन्द्र सिंह--

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि भ्रूण परीक्षण पर रोक लगाने सम्बन्धी कानून बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री अहमद हसन--

जी नहीं। इस सम्बन्ध में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पी0पी0एन0डी0टी0 ऐक्ट) पूर्व से प्रभावी है। प्रदेश सरकार द्वारा उसे लागू किया जा रहा है।

लखनऊ के "पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र" को विश्वविद्यालय के समतुल्य दर्जा दिये जाने की मांग

*7--श्री प्रेम सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकलांगों के पुनर्वास एवं इलाज के लिए लखनऊ में स्थापित "पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र" की दशा सुधारने एवं विशिष्टता को बनाये रखे जाने हेतु क्या सरकार इसको विश्वविद्यालय के समतुल्य दर्जा दिए जाने पर विचार करेगी ? क्या

इस सम्बन्ध में विशेष सचिव, विकलांग अनुभाग-1 द्वारा सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित पत्र संख्या-45 एम0एल0ए0/65-1-2004, दिनांक 11-10-2004 पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विकलांगों के पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र चूँकि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत फिजिकल मेडिसिन एवं रिहैबिलीटेशन विभाग के अधीन है तथा इस चिकित्सा विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग है, अत: इसे अलग से विश्वविद्यालय के समतुल्य दर्जा दिये जाने का औचित्य नहीं है।

विशेष सचिव, विकलांग विभाग का पत्र दिनांक 11-10-2004 विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। अत: इस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जिला अस्पताल, गोरखपुर में अनियमितताओं पर कार्यवाही की मांग

1--श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल के निर्देश पर दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 को जिला अस्पताल, गोरखपुर का निरीक्षण एक टीम द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उक्त निरीक्षण में क्या अनियमितताएं पायी गयीं ? क्या यह सही है कि उक्त टीम द्वारा फार्मासिस्टों को हटाने का निर्देश किया गया था ? यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

1--निरीक्षण के समय कुछ कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये।

2--दवाओं पर अस्पताल की मोहर नहीं लागी थी।

3--दवा वितरण कक्ष पर दवाओं की लिस्ट नहीं लगी थी।

4--चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी।

5--रीजनल डाइग्नोस्टिक सेन्टर निर्माणाधीन था।

6--वार्ड में कुछ मरीजों के परिजन से शिकायत मिली कि नर्सों, वार्ड ब्वाय पर्ची लिखकर बाजार से दवा लाने के लिए कहते हैं।

7--अधिसंख्य स्टाफ जिसमें फार्मासिस्ट प्रमुख हैं, का स्थानान्तरण वर्षों से नहीं किया गया और एक ही स्थान पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं।

8--यदि किसी फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण किया भी गया तो एक महत्वपूर्ण स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया।

जी हां।

समस्त चीफ फार्मासिस्ट को उनके वर्तमान स्थान से हटाकर अन्यत्र पटल पर कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज में नगर सिसवा बाजार में "सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र" खोले जाने की मांग

2--श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महाराजगंज के नगर सिसवा बाजार में "सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र" खोले जाने का प्रस्ताव वर्ष 2002-03 में स्वीकृति हेतु शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारियों के भविष्य निधि से फर्जी ढंग से आहरित धनराशि की जांच

3--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में प्राथमिक एवं सामुदायिक केन्द्रों पर तैनात कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते से 2 वर्ष पूर्व करीब 40 लाख रुपये फर्जी ढंग से आहरित किये जाने का मामला प्रकाश में आने पर जांच प्रारम्भ की गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो गयी ? जांच परिणाम क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जांच कार्यवाही प्रचलित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथासमय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राचार्य राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण की मांग

4--डा0 विनोद तिवारी--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ वर्ष 1976 से ही लगातार प्रवक्ता, प्रोफेसर व प्राचार्य पद पर लखनऊ में ही तैनात व कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)(श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा')--

जी हां।

जी नहीं।

मध्य शिक्षा सत्र में स्थानान्तरण का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिकारपुर में चिकित्सकों की नियुक्ति की माँग

5--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिकारपुर में क्या स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

दन्त चिकित्सक को छोड़कर शेष स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सकों की तैनाती की गयी है।

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 से चयनित दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु विहित प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर यथाशीघ्र दन्त चिकित्सक के पद पर भी तैनाती की जायेगी।

जनपद आजमगढ़ में पवई ब्लाक के ग्राम हमीरपुर में बाल विकास परियोजना द्वारा पुष्टाहार का वितरण

6--श्री राम कृपाल--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के पवई ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम हमीरपुर में बाल विकास परियोजना द्वारा वर्ष 2000 से 2004 तक प्रत्येक वर्ष कितनी महिलाओं व बच्चों को कितना-कितना पुष्टाहार वितरित किया गया ? क्या यह सत्य है उक्त महिलाओं व बच्चों को दिया जाने वाला पुष्टाहार बाजारों में खुले तौर पर बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

जी हां। जनपद आजमगढ़ के पवई ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम हमीरपुर में बाल विकास परियोजना द्वारा वर्ष 2000 से 2004 तक महिलाओं एवं बच्चों को वितरित किये गये पुष्टाहार का विवरण निम्नलिखित है :--

वर्ष	लाभार्थी		वितरित पुष्टाहार की मात्रा
	महिलाएं	बच्चे	
2000	16	68	725 कि0ग्रा0
2001	16	68	1950 कि0ग्रा0
2002	16	80	1525 कि0ग्रा0
2003	32	160	2425 कि0ग्रा0
2004	32	160	2425 कि0ग्रा0

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के गाँधी मेमोरियल चिकित्सालय में यूजर-फण्ड से प्राप्त आय तथा व्यय

7--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी मेमोरियल चिकित्सालय, लखनऊ में यूजर फण्ड में पिछले वर्ष कितनी आय हुई ? क्या इस आय का व्यय हास्पिटल बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट की सहमति से हुआ है ? यदि नहीं, तो किन नियमों के तहत उक्त धन को व्यय किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वित्तीय वर्ष 2003-04 में गांधी मेमोरियल एण्ड ऐशोसियेटेड चिकित्सालय, लखनऊ में यूजर चार्जेज एवं आगुमेन्टेशन आफ हास्पिटल फेसिलिटीज फण्ड में रु0 342.78 लाख की आय प्राप्त हुई।

उक्त आय का व्यय हास्पिटल बोर्ड आफ मैनेजमेंट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया गया। इस वर्ष भी तद्नुसार ही व्यय किया जा रहा है।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्नातक एवं परास्नातक छात्रों की फीस से प्राप्त आय/व्यय विवरण की जानकारी

8--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्नातक एवं परास्नातक छात्रों से फीस में वर्ष 2003-04 में कितनी आय हुई थी तथा इस आय का छात्रों के हितों में कितना व्यय किया गया ? क्या उक्त धन को व्यय करने से पहले विश्वविद्यालय की फाइनेन्स कमेटी एवं सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्ष 2003-04 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्नातक एवं परास्नातक छात्रों से फीस आदि मद में कुल रु0 305.86 लाख की आय प्राप्त हुई। चिकित्सा विश्वविद्यालय के इस आय में से छात्रों के हितों पर रु0 216.15 लाख व्यय किया गया।

उक्त धनराशि को व्यय करने के लिये वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक 6-8-03 को सम्पन्न हुई बैठक में प्राप्त किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

क्वीन मेरी अस्पताल के प्राइवेट वार्डों का नवीनीकरण तथा किराया

9--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003 में किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ एवं उसके गांधी मेमोरियल अस्पताल के भवनों एवं वार्डों की मरम्मत,

रख-रखाव एवं नवीनीकरण हेतु 328 लाख रुपये सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या क्वीनमेरी अस्पताल के प्राइवेट वार्डों की नवीनीकरण एवं मरम्मत इस धन से न कराकर एक निजी संस्था से करायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह निजी संस्था इन प्राइवेट वार्डों का किराया प्रतिदिन कितना वसूल रही है ? प्राइवेट वार्डों की सरकारी दर क्या है और इसमें से कितना धन अस्पताल को मिलता है ? क्या उक्त कार्यों हेतु हास्पिटल बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट एवं राज्य सरकार से अनुमति प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पुराने भवनों के अन्दर के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य तथा विश्वविद्यालय के भवनों के बाहर के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु उ0 प्र0 शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03 में शासनादेश संख्या 924/71-3-03-सी0एम0यू0-51-2, चिकित्सा अनुभाग-3, दिनांक 28-3-03 द्वारा रु0 312.34 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

क्वीन मेरी अस्पताल के प्राइवेट वार्डों का नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य इस धन से नहीं कराया गया था। संसाधनों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चिकित्सालय परिसर में स्थित प्राइवेट वार्डों को जनहित में बेटलीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।

संस्था इन प्राइवेट वार्डों का किराया रु0 695/- प्रतिदिन वसूल करने हेतु अधिकृत है तथा उसमें से चिकित्सालय का अंश 30 प्रतिशत है।

गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय द्वारा प्राइवेट वार्डों में नान ए0सी0-152/- प्रतिदिन तथा ए0सी0 रु0 434/- प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट का कार्य केवल नीतिगत निर्णय लेना है जिसमें विश्वविद्यालय का कुलपति, चेयरमैन तथा चिकित्सा अधीक्षक पदेन सचिव होते हैं। कुलपति द्वारा जनहित, संस्था हित में लिये गये निर्णय बोर्ड की आगामी बैठक में रिपोर्ट किये जाते हैं।

गांधी मेमोरियल चिकित्सालय के ट्रामा सेन्टर में दवाईयों एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने हेतु दुकान की सुविधा

10--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल युनिवर्सिटी, लखनऊ के सम्बद्ध अस्पताल गांधी मेमोरियल चिकित्सालय के ट्रामा सेन्टर में दवाइयों एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने हेतु एक निजी कम्पनी को दुकान दे दी गयी है जबकि उक्त कम्पनी के पास ड्रग लाइसेन्स तक नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा दवाइयों को बजट एवं धन स्वीकृत कर आवंटित करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था की अनुमति अस्पताल को दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उक्त कार्यों के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। यहां पर यह उल्लेख करना है कि केवल भर्ती रोगियों को गुणवत्ता वाली औषधियाँ न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सी0एस0एस0एम0यू0 वेलफेयर सोसायटी के माध्यम से की गयी है। सी0एस0एस0एम0यू0 वेलफेयर सोसायटी एक चैरेटेबुल संस्था है जो कि सोसायटी पंजीकरण ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं के0जी0एम0यू0 कार्य परिषद से अनुमोदित है। सी0एस0एम0एम0यू0 वेलफेयर सोसायटी का गठन के0जी0एम0यू0 के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों तथा गरीब एवं निसहाय रोगियों की सहायता के मूल उद्देश्य के लिये किया गया है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के क्रम में सोसायटी ने रोगियों को उचित दवायें उपलब्ध कराने के लिए दवा वितरण केन्द्रों की स्थापना रोगी हित तथा जनहित में की है। साथ ही यह भी कहना है कि भर्ती रोगियों की गुणवत्ता वाली औषधि कम से कम दाम में उपलब्ध कराना किसी चिकित्सालय का कर्तव्य ही नहीं बल्कि अधिकार भी है। इसी प्रकार की व्यवस्था एस0जी0पी0जी0आई0 में पहले से सफलतापूर्वक चल रही है तथा उसी आधार पर यह व्यवस्था रोगियों की सुरक्षा व नियम कानून का पूर्ण ध्यान रखते हुये की गयी है यहां पर यह भी स्पष्ट करना है कि सी0एस0एम0एम0यू0 वेलफेयर सोसायटी का संचालन विश्वविद्यालय के शिक्षकों की देखरेख में किया जा रहा है।

जी नहीं । सरकार द्वारा दिये गये दवाइयों के बजट से उपलब्ध दवाइयों को अस्पताल प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है, इसके अतिरिक्त जो दवायें मरीज बाहर से खरीदता है, वही दवायें उच्च गुणवत्ता तथा कम दामों पर रोगी हित में उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अस्पतालों के लिए फर्नीचर आदि क्रय करने हेतु मुरादाबाद मण्डल के चारों जनपदों को स्वीकृत धनराशि

11--कुं0 भारतेन्द्र सिंह--

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में प्रदेश के अस्पतालों के लिए फर्नीचर आदि क्रय करने हेतु मुरादाबाद मण्डल के चारों जनपदों के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? उक्त मण्डल के जिलों के लिये मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा कितनी-कितनी राशि का सामान क्रय किया था ? क्या यह सामान अनुबन्ध की दरों एवं मानकों के अनुसार क्रय किया गया था ? यदि हां, तो अनुबन्ध की दरें और निर्धारित मानक क्या-क्या हैं ?

श्री अहमद हसन--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-बिजनौर में गत वर्षों में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति पर व्यय की गयी धनराशि

12--कुं0 भारतेन्द्र सिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बिजनौर में वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-2002, 2002-03 एवं 2003-04 में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद के ऐसे कितने स्कूल/कालेज हैं जहां पर एक भी छात्र व छात्रा को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया और क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

जनपद बिजनौर में वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02- 2002-03 एवं 2003-04 में क्रमशः 566.62 लाख, 715.50 लाख, 769.23 लाख एवं 868.59 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

वर्ष	विद्यालय की संख्या
2000-01	32
2001-02	47
2002-03	61
2003-04	89

विद्यालयों के मांग पत्र वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण छात्रवृत्ति की धनराशि प्रेषित नहीं की गयी।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजातियों की कुल संख्या

13--श्री रामकरन आर्य--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजातियों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसको कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद--

प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या-66 तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या-15 है।

जी हाँ।

किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है।

जनपद-बुलन्दशहर के विकास खण्ड-शिकारपुर में विधवा निराश्रित पेंशन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

14--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर में वर्ष 2002-03 से 31 दिसम्बर, 2004 तक कुल कितने प्रार्थना-पत्र विधवा निराश्रित पेंशन हेतु प्राप्त हुये हैं ? उनमें से कितने प्रकरणों का निस्तारण कर लिया गया है तथा शेष का निस्तारण कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

आलोच्य अवधि में पेंशन हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का विवरण निम्न है :--

वित्तीय वर्ष 2002-03	10
वित्तीय वर्ष 2003-04	120
वित्तीय वर्ष 2004-05 (31 दिसम्बर, 2004 तक)	75
कुल	205

64 प्रकरणों का निस्तारण कर लिया गया है। शेष 141 का निस्तारण लक्ष्यवृद्धि अथवा पेंशनधारक की मृत्यु के उपरान्त, रिक्तता की स्थिति में किया जाना सम्भव होगा।

जनपद-लखनऊ में स्थित विभिन्न संस्थाओं में नर्स एवं नर्सरी शिक्षिकाओं की तैनाती का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

15--श्री रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ में स्थित विभिन्न संस्थाओं में कितनी नर्स एवं नर्सरी शिक्षिका ऐसी हैं विगत 10 वर्ष से 15 वर्ष तक लखनऊ में ही तैनात हैं ? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद लखनऊ में 01 नर्स 10 वर्ष से अधिक व 04 नर्स तथा 04 नर्सरी शिक्षिका 15 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में इनके स्थानान्तरण पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-उन्नाव के श्री राम आसरे वर्मा, सुपरवाइजर जिला समाज कल्याण अधिकारी, के विरुद्ध शिकायत की जांच

16--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व में निलम्बित श्री राम आसरे वर्मा, सुपरवाइजर जिला समाज कल्याण, उन्नाव के गृह जनपद/तहसील/ब्लाक में कार्यरत रहने के विरुद्ध क्षेत्रीय जनता द्वारा की गयी शिकायत की जांच उप निदेशक, लखनऊ मण्डल के पत्र सं0-1319-21/स0क0/शिकायत जांच/04-05, दिनांक 30-9-04 एवं लोक आयुक्त, उ0 प्र0 के पत्र सं0-2980-04/2/4276, दिनाक 16-8-04 द्वारा आरोपों की जांच निदेशक स्तर से करायी जा रही है ? क्या यह सही है कि श्री वर्मा की तैनाती गृह तहसील/ब्लाक में होने के कारण जांच प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री वर्मा को उनके गृह जनपद से हटाकर जांच करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हाँ।

प्रश्नगत शिकायतों की जांच उपनिदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल से करायी गयी। उपनिदेशक की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। जांच में शिकायतें सही नहीं पायी गयी हैं।

श्री राम आसरे वर्मा, सुपरवाइजर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव को जनपद उन्नाव से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा के ऊपर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये हैं। अत: पुन: जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है।

राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, उ0 प्र0, लखनऊ में कम्प्यूटर आई0डी0पी0ओ0 पदों पर कार्यरत सेवकों का कार्यकाल

17--श्रीमती सुखदेवी वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 26 मई, 2003 द्वारा पांच वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाले सरकारी सेवकों को उनके पैतृक विभागों को वापस किये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, उ0 प्र0, लखनऊ में कम्प्यूटर/आई0डी0पी0ओ0 पदों पर कार्यरत पांच वर्ष से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर तैनात सरकारी सेवकों को उनके पैतृक विभाग व मूल पद पर वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आदेश दिनांक 2-3-1995 द्वारा श्रीमती ऊषा त्रिपाठी, कनिष्ठ लिपिक, महिला चिकित्सालय, लखनऊ को कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया।

इसके उपरान्त तत्कालीन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 30-6-2001 द्वारा श्रीमती ऊषा त्रिपाठी को दिनांक 05 मार्च, 1997 से कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर स्थायी किया गया। इस स्थिति में श्रीमती ऊषा त्रिपाठी को मूल विभाग में वापस किया जा सकता है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग व न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ, ब्लाक-माल की ग्राम सभा ससपन में अपात्र व्यक्तियों को जारी किये गये अन्त्योदय कार्ड निरस्त किये जाने की मांग

18--श्री कौशल किशोर--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-लखनऊ, ब्लाक माल की ग्राम सभा ससपन में अपात्र लोगों को अन्त्योदय कार्ड जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करके अपात्र व्यक्तियों के कार्डों को निरस्त करके पात्र व्यक्तियों को कार्ड जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ 'राजा भैया')--

जी हाँ।

विकास खण्ड माल के अन्तर्गत राशन कार्डों के सत्यापन अभियान में ग्राम पंचायत ससपन में अन्त्योदय योजना के निर्गत कार्डों की सघन जाँच करायी जा रही है। अब तक प्रकाश में आये 18 अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त कर दिये गये हैं। जाँच कार्यवाही पूरी होने पर उपरोक्त तथा जाँच में पाये जाने वाले अन्य अपात्र व्यक्तियों के कार्ड निरस्त करके पात्र व्यक्तियों को शीघ्र ही कार्ड निर्गत कर दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-हरदोई, ब्लाक बेहन्दर की ग्राम पंचायत गोगावां जाति/संतोषा से तीसरे आँगनबाड़ी केन्द्र को बन्द कराये जाने की मांग

19--श्री अब्दुल मन्नान--

विधान सभी के तृतीय सत्र 2004 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं0-9 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम पंचायत गोगावां जाति/सन्तोषा में तीसरे आंगनबाड़ी केन्द्र को क्या बन्द कर देने के आदेश के बावजूद उक्त तृतीय केन्द्र अभी भी संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार विलम्ब के दोषी जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी वि0 खं0 बेहन्दर के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त केन्द्र को बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही उठता।

जनपद-हरदोई के विकास खण्ड-बेहन्दर, ग्राम-सिरौली के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के चयन में प्रधान ग्राम द्वारा की गयी धांधली की जांच

20--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर के ग्राम सिरौली के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के चयन में ग्राम प्रधान द्वारा अपात्र व्यक्तियों का चयन करके पेंशन लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई द्वारा दस लाभार्थियों से धनराशि व्याज सहित वापसी तथा ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में पत्रांक 2691-92/सं0/2004-05, दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 खण्ड विकास अधिकारी, बेहन्दर को निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हाँ।

अपात्र पाये गये दस वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की पेंशन निरस्त कर दी गई है तथा उनहें पेंशन के रूप में भुगतान की धनराशि रु0 48,000/- की वसूली किये जाने हेतु नोटिस जारी की गई है एवं रुपये 3,600/- की वसूली की जा चुकी है। शेष धनराशि की वसूली के लिए कार्यवाही प्रचालित है।

जिला पंचायत राज अधिकारी, हरदोई की सूचना के अनुसार सम्बन्धित ग्राम प्रधान के विरुद्ध संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 व संशोधित प्रधानों, उप प्रधानों एवं सदस्यों को हटाना जाँच नियमावली 1997 यथा संशोधित 2001 के अन्तर्गत प्रारम्भिक जाँच की कार्यवाही प्रचलित की गई है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में 30 वर्षों से राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ में तैनात प्रवक्ता प्रोफेसर व प्राचार्य के स्थानान्तरण की मांग

21--डा0 विनोद तिवारी--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी0 एम0 एस0 सेवा संवर्ग की भांति ही 30 वर्षों से लखनऊ में ही राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ में प्रवक्ता, प्रोफेसर व प्राचार्य के रूप में तैनात व्यक्तियों का तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरण सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा'--

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में कोई प्रवक्ता प्रोफेसर व प्राचार्य 30 वर्षों से कार्यरत नहीं है। मध्य शिक्षा सत्र में स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल राज्य से आने वाले आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्साधिकारियों को वेतन दिये जाने की मांग

22--श्री कौशल किशोर--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 शासन की सहमति से उत्तरांचल राज्य से दिनांक 27-7-04 को कार्यमुक्त होकर आने वाले आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को विगत 5 माह से वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा'--

जी नहीं।

उ0 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग के पत्र संख्या-1185/28-1-2004, दिनांक 20 मई, 2004 द्वारा दी गयी सहमति/अनापत्ति के फलस्वरूप कुल 17 तथा रिट याचिका सं0-1229/02 डा0 दुर्गा प्रसाद पाठक व अन्य बनाम उत्तरांचल शासन में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7-9-2002 के अनुपालन में कुल 13 अर्थात् कुल 30 तदर्थ आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को उत्तरांचल शासन द्वारा कार्यमुक्त कर दिये जाने के उपरान्त उक्त समस्त चिकित्साधिकारियों द्वारा अपनी योगदान आख्या, अगस्त, 2004 में चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन के समक्ष प्रस्तुत की गयी, तदोपरान्त निदेशक, आयुर्वेद से प्रदेश के आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों में रिक्त पदों के विवरण सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। दिनांक 10-9-04 को निदेशक, आयुर्वेद से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त उक्त चिकित्साधिकारियों की तैनाती का प्रस्ताव उच्चानुमोदन हेतु दिनांक 27-9-2004 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 7-2-2005 को मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त समस्त चिकित्साधिकारियों की तैनाती का आदेश दिनांक 10 फरवरी, 2005 को जारी किया जा चुका है। जहां तक इनके वेतन का भुगतान किये जाने का प्रश्न है। चूँकि इनकी तैनाती का आदेश जारी किया जा चुका है। अतः उक्त समस्त चिकित्सा अधिकारियों का अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सेवा-पुस्तिका आदि अभिलेख उत्तरांचल राज्य से प्राप्त होने पर इनके वेतन का भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायगी।

लखनऊ के संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की संयुक्त सचिव (प्रशासन) श्रीमती एस0 ई0 सिन्हा द्वारा की गयी अनियमितता की जाँच

23--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2004 के द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-27 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जांच आख्या का परीक्षण कर लिया गया है ? यदि हां, तो परीक्षणोपरान्त दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। जांच आख्या नियुक्ति प्राधिकारी स्तर पर परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के ज़लालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण की मांग

24--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के जलालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि इसके लिये भूमि भी उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हाँ, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आश्रम पद्धति के विद्यालयों के खोलने के मानक

25--श्री राम करन आर्य--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति के विद्यालय खोलने के क्या मानक हैं ? प्रदेश में कितने आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं और इन विद्यालयों पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

अनुसूचित जाति/जनजाति/स्वच्छकार बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नि:शुल्क भूमि की उपलब्धता, आवागमन, विद्युत सुविधा, बच्चों की उपलब्धता, सुरक्षा एवं शैक्षिक पिछड़ापन आदि ध्यान में रखा जाता है। उक्त तथ्यों के आलोक में फिलहाल मण्डल मुख्यालयों पर नये आश्रम पद्धति विद्यालय के खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में 38 अनुसूचित जाति एवं 09 अनुसूचित जनजाति के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं तथा स्वच्छकार के 03 आश्रम पद्धति विद्यालय निर्माणाधीन है। अनुसूचित जाति पर वार्षिक व्यय रु0 888.23 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के आश्रम पद्धति विद्यालयों पर आने वाला व्यय वर्ष 2005 में रु0 158.63 लाख है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के पुराने छात्रावासों की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि

26--श्री राम करन आर्य--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनु0 जाति के पुराने छात्रावासों के मरम्मत हेतु वर्ष 2004-2005 में कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या यह सत्य है कि बस्ती जनपद में अनुसूचित जाति का छात्रावास जीर्णशीर्ण है ? यदि हाँ, तो उक्त छात्रावास की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

अनु0 जाति के पुराने छात्रावासों की मरम्मत हेतु वर्ष 2004-2005 में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

बस्ती जनपद में निर्मित अनुसूचित जाति छात्रावास अनुरक्षण/मरम्मत योग्य है।

छात्रावासों के अनुरक्षण/मरम्मत हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों की संख्या बढ़ाये जाने पर विचार

27--श्री राम करन आर्य--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुये क्या सरकार छात्रावासों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों पर शेष चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी

28--चौ0 मस्तराम गड्ढाकट--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय सहारा दैनिक समाचार पत्र दिनांक 2-12-94 को समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 750-940 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की विज्ञप्ति के तहत उप निदेशक, लखनऊ मण्डल में दिनांक 22-7-1995 को चयन समिति के साक्षात्कार में मेरिट के आधार पर 365 अभ्यर्थियों का चयन हुआ इसमें क्रम 01 से 103 तक के चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रु0 750-940 में नियुक्त कर दिया गया। शेष चयनित अभ्यर्थियों को पद रिक्त होने की प्रत्याशा में नियत वेतन रु0 750 पर नियुक्ति दी गयी ? क्या यह सही है कि दिनांक 7-10-1998 को शासन ने चपरासी के 58 व चौकीदार के 58 पद वेतनमान रु0 2550-3200 के सृजित किये हैं ? यदि हां, तो क्या शेष चयनित अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हाँ।

जी नहीं। वर्ष 95-96 में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों में रिक्त 190 नियत वेतन चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मेरिट सूची से कुल 190 अभ्यर्थियों की नियत वेतन रु0 750/- में अभ्यर्थियों से सहमति प्राप्त करके उनकी नियुक्ति की गयी जिसका नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख है।

जी हाँ।

जी नहीं।

1--"समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 भाग--5 भर्ती की प्रक्रिया सामान्य सूची" के अनुसार तैयार की गयी चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होती है। उक्त नियम के अनुसार वर्ष 1995-96 में साक्षात्कार के आधार पर बनायी गयी मेरिट सूची एक वर्ष की अवधि के पश्चात् स्वत: निरस्त हो जाती है। अत: वर्ष 1998-99 में सृजित 116 पदों के सापेक्ष वर्ष 1995-96 की मेरिट सूची से नियुक्ति किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

2--इस प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा अधिकरण में कुल 19 वाद भी विचाराधीन हैं।

प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या, साक्षरता दर एवं महिलाओं की साक्षरता

29--श्री राम करन आर्य--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति की कितनी जनसंख्या है ? इसमें कितने प्रतिशत शिक्षित हैं तथा अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत कितना है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 3,51,48,377 (तीन करोड़ इक्यावन लाख अड़तालिस हजार तीन सौ सतहत्तर) है।

अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 36.7 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर 24.1 प्रतिशत है।

लखनऊ मण्डल के जनपदों से स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण

30--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मण्डल के जनपदों से कितने स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण वर्ष 2004 में किये गये ? उनमें से कितने स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना कार्यभार स्थानान्तरित स्थान पर ग्रहण नहीं किया है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन--

लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में 03 स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों, जनपद हरदोई में [illegible] स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों तथा जनपद सीतापुर में 11 स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण वर्ष 2004 में किये गये।

कृत किये गये 16 स्थानान्तरणों में से 15 कर्मियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा 01 कर्मी का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के थाना मुगलसराय में गैस सिलेन्डरों की घटतौली रोकने हेतु अभियान

31--श्री रामदेव राय चौधरी--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 19 जनवरी, 2005 को जनपद चन्दौली के मुगलसराय थाने की पुलिस तथा आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा सिलेण्डरों से गैस निकालकर कम वजन के सिलेण्डरों की आपूर्ति करने वाले ट्रालीमेन तथा गैस एजेंसी संचालकों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से सैकड़ों भरे हुये कम वजन के सिलेण्डर बरामद किये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को निर्धारित वजन के सिलेण्डर एजेंसियों द्वारा वितरित किये जाने हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ "राजा भैया"--

जी हां। दिनांक 19 जनवरी, 2005 को जनपद चन्दौली के मुगलसराय थाने की पुलिस तथा आपूर्ति विभाग के कर्मियों द्वारा छापा मारकर कम वजन के 101 घरेलू गैस सिलेण्डर पकड़े गये हैं। मामले में पकड़े गये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दिया गया है।

शासन के रेडियोग्राम दिनांक 19 जनवरी, 2005 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/जिलापूर्ति अधिकारियों को घरेलू कुकिंग गैस सिलेण्डरों की घटतौली रोकने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर कम वजन अथवा निर्धारित मानक के अनुरूप सिलेण्डर न पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों/एजेन्सियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

रानी लक्ष्मीबाई, संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में पदों को सृजित कर चिकित्सकों की नियुक्ति पर विचार

32--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में हड्डी विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया चिकित्सक, पैथालोजी चिकित्सक, क्षय रोग विशेषज्ञ के पद सृजित हैं ? यदि नहीं, तो उक्त पदों का सृजन कराकर चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

रानी लक्ष्मीबाई, संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में पैथालोजिस्ट का एक पद सृजित है, तथा उल्लिखित अन्य पद अभी सृजित नहीं हैं ।

भवन निर्माण पूर्ण होने पर तथा शेष 70 शैय्यायें स्थापित होने पर मानक के अनुसार पदों का सृजन किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

भाऊ राव देवरस संयुक्त चिकित्सालय महानगर (लखनऊ) में चिकित्सकों व अन्य चिकित्सकीय स्टाफ के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

33--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि भाऊ राव देवरस संयुक्त चिकित्सालय, महानगर लखनऊ में चिकित्सकों तथा अन्य चिकित्सकीय स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने रिक्त हैं ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान समय में मात्र एक चिकित्सक जो अधीक्षक भी हैं सारे चिकित्सालय का कार्य देख रहे हैं ? यदि हां, तो वहां चिकित्सकों के पद सृजित कर उनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

भाऊ राव देवरस, संयुक्त चिकित्सालय, महानगर, लखनऊ में चिकित्सकों के दो पद तथा अन्य चिकित्सीय स्टाफ के 22 पद स्वीकृत हैं। इनमें से कोई पद रिक्त नहीं हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बाराबंकी, तहसील रामनगर के श्री गिरिजा शंकर दीक्षित कोटेदार द्वारा राशन की काला बाजारी

34--श्री अशोक सिंह चौहान--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गिरिजा शंकर दीक्षित, कोटेदार, ग्राम-रहटा, तहसील-रामनगर, जनपद-बाराबंकी के द्वारा चावल, गेहूं, चीनी व मिट्टी के तेल की कालाबाजारी की जांच पूर्ण कर उसकी आख्या पुलिस उप महानिरीक्षक, खाद्य सेल ने अपने पत्रांक 843, दिनांक 5-7-2004 द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य को उपलब्ध करा दी है ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये कोटेदार के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ 'राजा भैया'--

जी हां।

कोटेदार का अनुबन्ध -पत्र निलम्बित कर दिया गया है।

उक्तानुसार कार्यवाही की गई है।

चिकित्सक द्वारा दुराशय पूर्ण किये गये इलाज की जांच संबंधी पत्र

35--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर आदेश संख्या-सी0एम0/वी0को0/एम0/112036, दिनांक 3-11-2004 प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या संदर्भित शिकायती-पत्र में चिकित्सक द्वारा दुराशयपूर्ण किये गये इलाज की जांच कराये जाने के प्रकरण की परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही करा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या दोषी पाये गये चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही भी करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, परन्तु पत्र का संलग्नक अप्राप्त है।

जांच हेतु निदेशक (प्रशासन) को आदेश दे दिये गये हैं।

जी नहीं। अभी जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार के अधीन अस्पतालों में नेत्र सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

36--श्री प्रेम सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के अधीन अस्पतालों में नेत्र सहायकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जन विश्लेषक प्रयोगशाला के श्री ए0 पी0 वर्मा को मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार तैनाती दिलाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

37--श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए0 पी0 वर्मा, जन विश्लेषक, प्रयोगशाला, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार तैनाती दिलाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0-/105641/2004, दिनांक 2-8-2004 प्रमुख सचिव/सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। संदर्भित आदेश दिनांक 02-08-2004 विभाग में प्राप्त हुआ है, जो श्री ए0 पी0 विश्वकर्मा के संबंध में है न कि श्री ए0 पी0 वर्मा के संबंध में।

प्रकरण में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। परामर्श प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला में एक्सरे मशीन लगाये जाने की मांग

38--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला में एक्सरे मशीन की व्यवस्था करायी गयी है ? क्या यह सही है कि अभी तक एक्सरे मशीन न होने के कारण निर्धन व्यक्तियों को एक्सरे कराने बाहर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्सरे मशीन कब तक लगवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला में एक्सरे मशीन की व्यवस्था हेतु शासनादेश दिनांक 19-08-2004 के द्वारा रु0 2.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है।

एक्सरे मशीन क्रय प्रक्रिया में है। शीघ्र व्यवस्था कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

39--श्री संजीव दरियावादी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद गोरखपुर के परिक्षेत्रीय अधिकारी श्री वी0 के0 सिंह को सात पदों का चार्ज देने का औचित्य

40--श्री रामहेत--

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी0 के0 सिंह (वरिष्ठ प्रबन्धक ग्रामों उद्योग) परिक्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर को परिक्षेत्र सहित कुल सात विभिन्न पदों का चार्ज दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि एक साथ सात पदों का चार्ज देने का क्या औचित्य है ? क्या उक्त सात पदों पर किसी अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)--

जी हां ।

अधिकारियों की कमी तथा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में कार्यहित में श्री वी0 के0 सिंह को अन्य कार्यालयों का भी कार्य एवं दायित्व पूर्णतया अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत सौंपा गया।

श्री वी0 के0 सिंह के मुख्यालय पर स्थानान्तरित/तैनाती के फलस्वरूप सात पदों में से एक पद पर अधिकारी की तैनाती कर दी गयी है तथा शेष पदों पर तैनाती की कार्यवाही विचाराधीन है।

(मा0 सदस्य के अनुरोध पर नियम -40 के अन्तर्गत स्थगित प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति हेतु नवीन संशोधित कार्य योजना

*1--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनगणना के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उ0 प्र0 जनसंख्या नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्य पाने में असफल रहा है ? इसके दृष्टिगत जनसंख्या के प्रभावी नियंत्रण हेतु जन्म दर में कमी का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या सरकार ने कोई नवीन संशोधित कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पूरा विवरण बताने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन--

जनसंख्या नियंत्रण में प्रदेश की जनसंख्या नीति में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है।

जी हां। कार्य योजना तैयार की जा रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा सहायतित कार्यक्रम आर0सी0एच0 के द्वितीय चरण की योजना तैयार की जा रही है जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण, मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य मातृ एवं शिशु संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं तथा परिवार परिसीमन की सुविधाएं प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं तथा स्वेच्छिक संगठनों के साथ समन्वय करके कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 23 फरवरी, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी :--

पहली सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जिला पंचायत बलिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिलोक मंदा में शिक्षा मित्र की फर्जी नियुक्ति को निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध जांच कराने के संबंध में है।

दूसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद शहर में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर व्यवसायी के घर पर की गयी लूट एवं अपहरण के संबंधित बदमाशों को गिरफ्तार करने के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की सुलतानपुर सदर क्षेत्रान्तर्गत सुल्तानपुर-धमौर मार्ग के शेष भाग का लेपन स्तर तक निर्माण पूर्ण कराने के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली में राजपुर कलां-आवंला मार्ग पर आरिल नदी पर बने पुल से पहुंच मार्ग का निर्माण कराने के संबंध में है।

पांचवी सूचना श्री कौशल किशोर की लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत बेहटा नाले पर कतिपय गांवों के सामने पुलों का निर्माण कराने के संबंध में है।

छठी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जौनपुर के धर्मापुर विकास खण्ड के कतिपय गांवों के आस-पास ग्राम सभा की खाली जमीनों तथा अनुसूचित जाति हेतु आवंटित जमीनों पर किये गये अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में है।

सातवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की सिनेमा उद्यमियों को व्यवसाय या उद्योग न मानकर अधिकतम आवासीय गृहकर लगाने के संबंध में है।

आठवीं सूचना श्री रामपाल वर्मा की जनपद हरदोई के अन्तर्गत सण्डीला-बेनीगंज मुख्य मार्ग पर क्षतिग्रस्त बेहटा नाला पुल का निर्माण व बाई पास रास्ते का निर्माण कराने के संबंध में है।

नौवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक के ठेकमा के कई गांवों में इण्डिया मार्का-हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में है।

दसवीं सूचना डा0 अरुण कुमार महरोत्रा की जनपद जालौन के कालपी में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना करने के संबंध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत कई गांवों में बन्दरों द्वारा किये जा रहे उत्पात से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

बारहवीं सूचना श्री राम करन आर्य की नगर पूर्व बस्ती के समग्र गांव की दो सड़कों-गोटवा से रैतवार तक एवं लालगंज से बन्नी तक निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

उक्त सभी उपस्थित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं और इन सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं, उनके नाम निम्नलिखित हैं :--

1--श्री राज नाथ यादव 2--श्री सुरेश कुमार खन्ना

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

जिला पंचायत बलिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिलोक मंदा में शिक्षा मित्र की फर्जी नियुक्ति को निरस्त कर दोषीजनों के विरुद्ध जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम इकबाल सिंह--

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र में विकास खण्ड नगरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिलोक मंदा मौजा राघो मंदा, जिला बलिया के अन्तर्गत प्रा0 विद्यालय पर शिक्षा मित्र की नियुक्ति हेतु दिनांक 25-12-2004 को विज्ञापन निकाला गया था जिसके सापेक्ष उसी गांव की सात महिलाओं ने अपना आवेदन शिक्षा समिति के सचिव एवं समन्वयक संसाधन केन्द्र कसोन्उर पर दिया था। आठवां आवेदन-पत्र ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापिका की मिली भगत से जालसाजी करके दीपशिखा पत्नी सुनील कुमार मौर्य का समय बीत जाने के उपरान्त लिया गया।

उपरोक्त चयन प्रक्रिया में शिक्षा समिति का प्रस्ताव करके सबसे अधिक नम्बर पाने वाली श्रीमती नीलम देवी की अनदेखी करके दीपशिखा पत्नी सुनील कुमार मौर्य का सबसे अधिक नम्बर दिखाकर शिक्षा समिति द्वारा चयन करके उच्च अधिकारियों के यहां भेजा गया, जबकि सच्चाई यह है कि दीपशिखा स्त्री सुनील कुमार मौर्य, ग्राम पंचायत-त्रिलोक मंदा, मौजा राघो मंदा की शादी सम्पन्न ही नहीं हुई है और प्रधान तथा प्रधान सचिव जालसाजी कर परिवार में नाम दर्ज किया है, तथा उप जिला मजिस्ट्रेट बेल्थरा रोड से फर्जी निवास प्रमाण-पत्र भी बनवाकर आवेदन के साथ लगाया गया है जो दिनांक 10-01-2005 को जारी किया गया है जबकि आवेदन की अन्तिम तारीख 8-01-2005 थी जो समय खिलाफ 10-01-2005 को जमा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त चयन प्रक्रिया में धांधली करके पात्र महिला का चयन नहीं किया गया है।

अत: अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गलत तरीके से किये शिक्षा मित्र प्रक्रिया को निरस्त करने एवं दोषी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने एवं पात्र महिला का चयन किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इलाहाबाद सिविल लाइन्स में व्यापारी के घर की लूट एवं अपहरण से संबंधित बदमाशों को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

[मान्यवर, इलाहाबाद शहर के सिविल लाइन्स में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर 10 फरवरी, सायं 10.30 बजे बदमाशों ने एक व्यवसायी आनन्द जायसवाल के घर घुस कर लाखों रुपये की लूटपाट की। जब जायसवाल रात को अपनी मारूति कार से घर वापस आये, घर के गार्ड ने गेट खोला तथा वह कार लेकर अन्दर आ गये तभी चार बदमाश धड़धड़ाते हुए घर के अन्दर घुस गये, तथा गार्ड को चाकू और कट्टे की बट से मार कर लहूलुहान कर दिया तथा वे आनन्द और गार्ड को घसीटते हुए घर के अन्दर ले गये तथा सेफ से गहने और रुपये निकालने को कहा। बदमाशों ने कई लाख के जेवरात नगदी प्राप्त कर आनन्द की पत्नी वीना के शरीर से भी सारे गहने उतार लिये। घर से दो मोबाइल भी उठा लिये तथा फिर 20 लाख रुपये की और मांग की। आनन्द ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता व्यक्त की तो बदमाश उसे साथ ले जाने लगे। बदमाश उन्हें छोड़कर उनकी छोटी पुत्री (8 वर्ष) को उठा ले गये तथा कहा कि 20 लाख रुपये का इंतजाम कर देना और पुत्री को ले जाना।

पुलिस की चेकिंग को देख अपने को बचाने के लिए बच्ची को जगराम चौराहे पर छोड़कर बदमाश भाग गये। अभी तक बदमाशों को पकड़ा नहीं गया है जो कि चिन्ता का विषय है।]

जनपद सुल्तानपुर धमौर मार्ग के शेष भाग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं। जनपद सुलतानपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुलतानपुर-धमौर मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2003-2004 में प्रारम्भ किया गया था, कार्य ठीक प्रकार से न कराये जाने की शिकायत की मेरे द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत सदन में दिया गया था, सड़क की गुणवत्ता की जांच टी0ए0सी0 द्वारा की गयी, निर्माण में टी0ए0सी0 जांच में दोषी पाया गया उसके बाद से सुलतानपुर-धमौर मार्ग किमी0 13 तक ही लेपन कार्य हुआ है आगे धमौर तक बड़ी-बड़ी गिट्टियां पड़ी है। पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है, यह सुल्तानपुर-धमौर-रायबरेली मुख्य मार्ग है, इसके शेष भाग का लेपन स्तर तक निर्माण होना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त लम्बित कार्य को पूर्ण कराने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली में राजपुर कलां आंवला मार्ग पर आरिल नदी पर बने पुल से पहुंच मार्ग का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह--

[मान्यवर, जनपद बरेली में राजपुर कलां-आंवला मार्ग पर पैगा ग्राम के पास आरिल नदी पर पुल बन चुका है। परन्तु अभी पहुंच मार्ग नहीं बना है। पी0 डब्लू0 डी0 विभाग बरेली को मार्ग

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण हेतु लिखने के बाद निर्माण कार्य नहीं किया गया। इस कारण आवागमन में जनता को असुविधा हो रही है। खेद का विषय है कि विकास कार्यों में सरकार उदासीन है।

अत: लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाय ।]

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत बेहटा नाले पर कतिपय गांवों के सामने पुलों का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशल किशोर--

[मान्यवर, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के बेहटा नाले पर गांव दौलतपुर व गांव गौदा मौज्जम नगर व गांव बिराहिमपुर व गांव कुण्डिरा कलां व गांव बेलगढ़ा के सामने पुलों के निर्माण हेतु कई बार प्रार्थना-पत्र मा0 मुख्यमंत्री जी को दिये जा चुके हैं। परन्तु अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं है। उक्त पुलों के निर्माण न होने से लगभग 2 लाख की आबादी आवागमन के सुचारु रुप से न चल पाने के कारण प्रभावित होती है। उक्त बेहटा नाले पर पुलों का निर्माण अति आवश्यक है।

मान्यवर, उक्त मामला अतिमहत्वपूर्ण, अविलम्बनीय व लोक महत्व का है। अत: आपसे आग्रह है कि इसे नियम-301 में चर्यानित करके चर्चा कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।]

जनपद जौनपुर के धर्मापुर विकास खण्ड के कतिपय गांवों में ग्राम समाज की खाली जमीनों तथा अनुसूचित जातियों को आवंटित जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय--

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के तहसील सदर जौनपुर, विकास खण्ड-धर्मापुर अन्तर्गत ग्राम सभा गौरा, भैरादखान, पिलखिनी जो जौनपुर आजमगढ़ रोड, गौरा मुफ्तीगंज रोड, गौरा बारी मार्ग के आस-पास चारागाह हेतु सुरक्षित एवं ग्राम सभा की खाली जमीनों तथा अनुसूचित जाति हेतु आवंटित जमीनों पर नियमों के विपरीत दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

अत: माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए जांच की मांग करता हूं तथा अवैध कब्जों को हटाने की भी मांग करता हूं।]

सिनेमा उद्योग के उद्यमियों पर अधिकतम आवासीय गृहकर न लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

[मान्यवर, प्रदेश के सिनेमा उद्योग पहले ही जन-उपेक्षा व सी0डी0 प्लेयर व वीडियो के कारण दम तोड़ चुका है। यह उद्योग निर्धारित राजस्व की पूर्ति करता है। सिनेमा उद्योग नगर निगमों को 30,000 से 70,000 प्रति वर्ष कर देते हैं। अब उन पर गृह कर के रूप में बहुत भारी टैक्स लगा दिया गया है। उचित होगा कि इनको व्यवसाय या उद्योग न मानकर अधिकतम आवासीय गृह कर लगाया जाना चाहिए। क्योंकि यह सामान्य जनता व गरीबों का मनोरंजन का साधन है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत सण्डीला बेनीगंज मार्ग पर क्षतिग्रस्त बेहटा नाले के पुल का निर्माण व बाई पास रास्ते का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम पाल वर्मा--

[मान्यवर, विनम्र निवेदन के साथ आपका ध्यान जनपद-हरदोई के अन्तर्गत सण्डीला-बेनीगंज मुख्य मार्ग पर बेहटा नाला पुल के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। सण्डीला बेनीगंज मार्ग सीधे कानपुर तथा सीतापुर को जोड़ता है जिससे तीन जनपदों का आवागमन संचालित होता है। किसानों, यात्रियों व व्यवसायियों को उक्त पुल के क्षतिग्रस्त होने से काफी असुविधा हो रही है, क्योंकि भारी वाहनों का प्रवेश बन्द हो गया है तथा क्षतिग्रस्त पुल के बगल में बाईपास रास्ते का निर्माण भी नहीं किया गया है। जिससे आवागमन में और भी अधिक कठिनाई हो रही है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र पुल के निर्माण व उसके पहले बाई पास रास्ते के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक ठेकमा के कई गांवों में इंडिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में ब्लाक ठेकमा के अन्तर्गत कई गांवों का जल स्तर नीचे गिर गया है। जमीन पथरीली कंकरीली होने के कारण पानी हैण्ड पाइप में नहीं आ रहा है। जो इस प्रकार है :--

सराय मोहन, सेन्दुरी, ठेकवा, बरसवां, हरिश्चन्द्रपुर, बीकापुर, कम्बरपुर, तम्बरपुर, मैनपुर, भैंसकुर, इरनी, शंकरपुर तनौना, शादीपुर, भगौतीपुर, जमुवांवा में इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र की जनता की पीने की समस्या का निदान हो सके।

अत: इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त जगहों पर इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप लगवाने की मांग करती हूं ।]

जनपद जालौन के कालपी में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

[मान्यवर, कालपी जनपद जालौन में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव शासन में न्याय सचिव अनुभाग-2 में विचाराधीन है। इस न्यायालय की स्थापना तहसील स्तर पर होनी चाहिए तथा छ: तहसीलों में ऐसी कोर्ट की स्थापना की गयी है।

कालपी तहसील में 244 गांव है तथा जनपद मुख्यालय के बाद दूसरे नम्बर पर सबसे अधिक सेशन ट्रायल कालपी के हैं। तहसील मुख्यालय पर उक्त सुविधा न होने के कारण क्षेत्र के

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्रामीणों को 50--70 किमी0 की दूरी तय करके जनपद मुख्यालय के अनेकों चक्कर लगाने होते हैं जिससे किसानों, ग्रामीणों को ज्यादा धन तथा समय खर्च करना पड़ता है।

दिनांक 1-11-04 को कालपी बार एसोसियेशन के शपथ ग्रहण के अवसर पर सभी अधिवक्ताओं ने भी जनहित में यह मांग की थी कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीस के न्यायालय की स्थापना कालपी में की जावे तथा अन्यथा की स्थिति में आन्दोलन की बात की है।

मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुए इस पर त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत कई गांवों में बन्दरों द्वारा किये जा रहे उत्पात से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव--

[मान्यवर, हरदोई जनपद की 74 विलग्राम विधान सभा क्षेत्र के कस्बा बिलग्राम, सांडी, हरपालपुर तथा गांव बघराई चौसार, दुर्गागंज आदि गांवों में बंदरों का बहुत ही जबरदस्त आतंक व्यापक हो गया है यह बंदर जान तथा माल दोनों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे सारे क्षेत्र की जनता में काफी भय एवं आतंक व्याप्त है और जनता काफी आक्रोशित एवं भयभीत है।

अत: अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर इन बंदरों को वन विभाग द्वारा स्वयं अथवा ठेके पर पकड़वाकर कहीं अन्यत्र जंगलों आदि में छोड़े जाने की मांग करता हूं।]

नगर पूर्व बस्ती के समग्र गांव की दो सड़कों गोटवा से रैतवार एवं लालगंज से बन्नी तक निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर पूर्व बस्ती के समग्र गांव की 2 सड़कों गोटवा से रैतवार तक एवं लालगंज से बन्नी तक बनना अति आवश्यक है। जिससे इन सड़कों से लगभग 10 लाख किसानों का व जनता का आवागमन रहता है बरसात में पानी लग जाने से और कीचड़ का गड्ढा हो जाने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो जाता है इसीलिए इन दोनों सड़कों का समग्र गांव का रैतवार व बन्नी को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है मगर अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे जनता को काफी परेशानी है यह जनहित का है अति महत्वपूर्ण है इसलिए इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल निर्माण संबंधी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण प्रश्न प्रहर से पहले समाप्त होने पर शेष अवधि में प्रश्नकाल लिए जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया उसे सुन लें। मान्यवर, कृपा करके आप आज की कार्य-सूची देखें, इसमें मद संख्या-01 के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद मद संख्या-02 अल्पसूचित प्रश्न लिये जायग, उसके पश्चात् मद संख्या-03 अन्य प्रश्न लिये जायेंगे आदि। इसमें यह कहीं उल्लेख नहीं है कि यदि आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण 12.20 बजे से पहले समाप्त हो जायेगा तो केवल उतने समय तक के लिए ही प्रश्नकाल होगा या इसे नहीं लिया जायेगा। प्रश्नकाल माननीय मुख्यमंत्री जी के वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करने के उपरान्त लिया जाना चाहिए था उसके बाद मद संख्या-03 अन्य प्रश्न लिया जाना चाहिए था क्योंकि जिन माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे गये हैं उनके उत्तर आये हैं। मान्यवर, आपके निर्णय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के आय-व्ययक प्रस्तुत किए जाने के बाद उसको रखा गया फिर उसको उत्तरित कह कर उस मद को समाप्त किया जा रहा है। आप इस पर व्यवस्था दीजिए और प्रश्नकाल को करायें। जो हमारा अधिकार है वह हमको दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो कहा था कि जो प्रश्न प्रहर है उसमें प्रश्न पूछे जायें तब आप ही ने इस पर सबसे पहले कहा था कि पहले माननीय नेता प्रति पक्ष को सुन लिया जाए। मैं तो चाहता हूं कि प्रश्न काल हो लेकिन नियम-56 के माध्यम से कई लोगों ने नोटिसें दी हैं, इसलिए मैंने यह व्यवस्था दे दी।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा था कि प्रश्नकाल नहीं लिया जायेगा। यह आपका अधिकार है। मैंने कृपापूर्वक स्वीकृति मांगी थी और आपने नियमों को निलम्बित करके माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुन लिया। अब आप कृपया मद संख्या-02 में प्रश्नकाल को ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था दे दी थी कि इनको उत्तरित मान लिया जाए इसलिए इनको उत्तरित मान लिया गया है।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। पहली बार इस तरह से बजट पेश नहीं हुआ है। पहले भी ग्यारह बजे बजट पेश हुआ है।

मान्यवर, जो पहले हुआ है वह कार्यवाही निकलवाकर देख लें, अगर 12 बजकर 20 मिनट से पहले बजट भाषण पूरा हो गया है और उसमें 10-15 मिनट का समय बचा है तो उस बचे हुए समय को प्रश्नकाल मानकर उसमें प्रश्न प्रहर लिये जाते रहे हैं। लेकिन 12 बजकर 20 मिनट होने के बाद ऐसा नहीं हुआ है। यह एक नयी परिपाटी की शुरुआत की बात माननीय बाजपेयी जी कह रहे हैं मान्यवर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, पिछली बार हुआ था और पूरा प्रश्नकाल हुआ था। माननीय बाजपेयी जी ने व्यवस्था चाही थी, उस पर सुन लिया गया। उसी संदर्भ में माननीय नेताओं ने भी अपनी नोटिसें दी हैं। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनने के बाद अगर फिर से प्रश्न प्रहर लिया जाता है और अगर उन नेताओं को न सुना जाय तो अनावश्यक व्यवधान पैदा होगा। अब नियम 301 और नियम 300 की सूचना यह सब ले रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मात्र पांच मिनट की बात थी और उसके लिए माननीय नेता विरोधी दल को सुन लिया गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 23-2-2005 को नियम 300 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की विधान सभा प्रश्नों के सम्यक् उत्तर प्राप्त न होने के संबंध में और दूसरी सूचना श्री बाजू पटनायक की ग्राम काकरावाद, तहसील सदर, जनपद लखनऊ में दबंगों द्वारा भूमि पर कब्जे के विरोध में न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा का पालन न किये जाने के संबंध में है। इन दोनों को अस्वीकार किया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मुझे कृपया एक मिनट सुन लें।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, क्यों आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मान्यवर, एक बिल्कुल निराधार आरोप माननीय नेता प्रतिपक्ष ने माननीय नेता सदन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री पर लगाया है। मान्यवर, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो क्या उस समय शिया-सुन्नी के दंगे नहीं हुये थे और यही लोग उसे कराने वाले थे। यह गलत आरोप हमारे नेता पर लगाया जा रहा है। इन्होंने सदन को गुमराह किया है यह हमारे नेता के सामने माफी मांगें।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, कोई व्यवस्था उसमें नहीं थी।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मान्यवर, यह लोग खुद चाहते हैं कि पूरा प्रदेश जल जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायं रिजवी साहब।

विधान सभा प्रश्नों के सम्यक् उत्तर शासन द्वारा प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, हम लोग नियमों के तहत प्रश्न विधान सभा सचिवालय को देते हैं और आप कृपापूर्वक उन्हें स्वीकार करते हैं। मेरे प्रश्न में पूरे 45 दिन का समय शासन को दिया गया। 18 फरवरी को प्रश्न लगा उसमें शासन की तरफ से यह उत्तर आ गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

अब वह फिर आयेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह सारा सचिवालय बना हुआ है, वहाँ टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि की व्यवस्थायें आखिर किस लिए दी गयी है। आप एक जनपद से सूचना एकत्र नहीं कर पाये हैं, आप सरकार से उत्तर दिलवा दें।

मान्यवर, यह उत्तर दिलवा दें कि आगामी दिवस को इसका उत्तर आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

हुकुम सिंह जी आप बोलिये, बोलना चाहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जैसी आपकी आज्ञा हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, इसका उत्तर 25 तारीख को दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

नियमों में है, वह प्रश्न आयेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, इसकी कोई तारीख निर्धारित कर दें।

श्री ओ0 पी0 सिंह--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उधर यह क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण, आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें।

माननीय अंचल जी, माननीय गिरि जी, आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, उसकी तारीख निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

उसका नियम बना हुआ है, वह फिर आयेगा। हुकुम सिंह जी आपकी पार्टी के ही नेता हैं, उनको नेता नहीं मानते क्या ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, नेता मानता हूं।

श्री अध्यक्ष--

फिर आप बैठिये, उनको बोलने दें।

दिनांक 20 फरवरी, 2005 को लखनऊ में मोहर्रम के अवसर पर भड़के दंगे से उत्पन्न स्थिति पर नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य -स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

*श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ में जिस घटना के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार रखे, उसी के कुछ बिन्दुओं की ओर मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें किसी को सन्देह नहीं कि लखनऊ, प्रदेश के मुख्यालय में सबसे संवेदनशील अगर कोई समय आता है तो वह मोहर्रम का जुलूस आता है। ऐसा भी समय रहा जब सरकारों ने अपनी विवशता दर्शायी, खूनखराबा हुआ, न जाने कितनी हत्याएं हुई और मजबूर होकर यह निर्णय लेना पड़ा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, अपने सदस्यों से कहिये। माननीय राय साहब और माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर बैठिये, माननीय कुरैशी साहब आप बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह--

ऐसा भी समय आया है जब सरकारों ने विवश होकर इस जुलूस को निकालने के ऊपर रोक लगायी, पाबन्दी लगायी और 20 वर्ष तक वह पाबन्दी चलती रही जैसा कि नेता विपक्ष ने कहा, यह उनका प्रेम था जिसके कारण यह जुलूस दुबारा निकालना सम्भव हो सका। मान्यवर, यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जुलूस पुलिस बल के आधार पर नहीं निकला था उस जुलूस को निकाला गया था दोनों वर्गों का आपस में समझौता कराकर, एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाकर, उसका एक रूट तय था। एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने के बाद वर्षों से वह जुलूस निकल रहा था लेकिन उस समय सारा जिला प्रशासन सतर्क रहता था, सचेत रहता था, वह घटनाओं को ऐसे नहीं छोड़ देता था कि ऐसे होता रहे। हमें जानकारी है, हम लोग तब सरकार में थे, आई0जी0, डी0आई0जी0, कमिश्नर सब कैम्प करते थे और प्रशासन जानकारी देता रहता था कि यह जुलूस निकला है, कहाँ पहुंच रहा है ? क्या प्रगति है ? यह पहली बार हुआ है कि साढ़े आठ बजे घटना हो जाय और साढ़े आठ बजे जिस वक्त घटना हो रही है तीन आदमी की हत्या हो जाती है, दुकानें जलायी जाती हैं, दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। और प्रशासन का कहीं अता-पता नहीं। लोग टेलीफोन कर रहे हैं, पुलिस-बल की मांग कर रहे हैं।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)--

अभी टण्डन जी ने कहा कि प्रशासन का कोई दोष नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

मैं जो कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। वह हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, जो बात उन्होंने कही, संभवत: आपकी समझ में नहीं आई । मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान्यवर, इससे ज्यादा दुखदायी बात और क्या होगी कि साढ़े 8 बजे घटना हो जाय, पब्लिक के आदमी टेलीफोन करें, सम्पर्क करने का प्रयास करें, आप आई0जी0, कमिश्नर को तो छोड़ दीजिये, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहीं अता-पता न हो, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। जिलाधिकारी दो घन्टे बाद वहां पहुंची, यदि 10 किमी0, 20 किमी0 दूर घटना हुई होती तो माना जा सकता था कि पहुंचने में समय लग गया या कम्युनिकेशन गैप हो गया, सूचना नहीं हो पाई । लेकिन शहर के शहर में घटना हो रही है, पथराव हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, लेकिन न जिलाधिकारी पहुंचती है और न एस0एस0पी0 का पता है। उससे भी ज्यादा रोचक बात यह कि महिला जिलाधिकारी 2 घन्टे बाद पहुंच पाई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 3 घन्टे बाद घटनास्थल पर पहुंचे। कहा यह गया कि पुलिस ने बल इस्तेमाल क्यों नहीं किया ? नहीं किया, कैसे करते वह, जब उनका कमान्डर न हो, जब तक मार्गदर्शन करने वाला न हो। मुझे शिकायत है, प्रदेश के मुखिया से, होता यह है कि सरधना में घटना हो गयी तो सारे अधिकारियों को नापकर रख दिया और जब लखनऊ मुख्यालय पर घटना हो जाय, एक जुलूस को लेकर घटना हो जाय, तो आज तक डी0एम0 और एस0एस0पी0 पर कोई कार्यवाही न हो, उसकी जगह आप किसी इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर देंगे, किसी सिपाही को हटा देंगे और खानापूर्ति कर देंगे ? क्या इससे दायित्व की इतिश्री हो जायेगी ? आप जनता को यह बतायें कि यह अधिकारी उस दिन कहाँ थे, जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था ? आई0जी0, डी0आई0जी0 कहाँ थे ? यह दुख की बात है कि शासन और प्रशासन में आपस में कोई तालमेल नहीं है, समन्वय नहीं है।

मैं यह मान सकता हूं कि मुख्यमंत्री उस दिन बाहर थे, लेकिन मुख्य सचिव तो यहीं पर थे, गृह सचिव तो यहीं पर थे, तो वह क्या कर रहे थे ? 2 घन्टे तक गोलाबारी होती रही। यह तो शुक्र है ईश्वर की कृपा रही कि घटना कहीं बाहर नहीं जा पाई, वर्ना न जाने क्या होता और कितनों को इस आग से जूझना पड़ता ? मान्यवर, ऐसे मामलों में सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि यह आरोप-प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है, इस मामले में राजनीतिक कमजोरी सबसे बड़ी यही है

कि नेता जब घटना के बाद बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे के आचरण पर छींटाकशी करते हैं। इस मामले में हाईकोर्ट के सेवारत जज से सारी बातों की जांच होनी चाहिये, जांच के बिन्दु तय होने चाहिये। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि षडयंत्र का पर्दाफाश करूंगा तो सरकार इस बात का पता लगाये कि इसके पीछे क्या षडयंत्र था या यह घटना स्वत: हो गयी और यदि कोई षडयंत्र था तो प्रदेश की जनता के सामने यह बात आनी चाहिये कि यह षडयंत्रकारी शक्तियां कौन थी ? नं0 2 बात यह कि मुहर्रम का जुलूस लखनऊ में निकल रहा था और प्रशासन-तंत्र कहाँ था, क्यों वहाँ समय से नहीं आ सका, इसमें किसकी जिम्मेदारी थी और क्या कार्य-योजना बनाई गयी थी। तीसरी बात, कि इससे ज्यादा गंभीर घटना और गंभीर चूक और कोई प्रशासन की हो नहीं सकती, इसलिये मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सारे बिन्दुओं पर अपना वक्तव्य दें, बयान दें और साथ ही साथ, यह आश्वस्त करें कि किसी सेवारत जज द्वारा इसकी जांच कराई जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा लखनऊ की जनता को ------।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

चर्चा नहीं चल रही है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आप ऊपर बैठे हैं, एक अध्यक्ष यहाँ पर भी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप शान्त रहें।

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं लखनऊ की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि एक सोची-समझी कोशिश जो इस प्रदेश को जलाकर राख कर देने की थी, बहुत ही सूझ-बूझ के साथ लखनऊ की जनता ने उसे टाल दिया है। यह घटना निन्दनीय है और चिन्ता का विषय भी है, इसके साथ ही साथ यह घटना आने वाली घटनाओं की तरफ भी इशारा करती है कि उत्तर प्रदेश को तैयार रहना चाहिए, अब ऐसी परिस्थितियां और भी आएंगी। जिस तरह से इमामबाड़े के पास यह 20 फरवरी की घटना हुई है, उससे बहुत साफ नजर आता है कि यह घटना इरादतन की गई और सुनियोजित ढंग से की गई घटना है। भड़का हुआ आक्रोश नहीं था बल्कि साजिश की गई थी, अन्यथा तीन लोगों की जानें नहीं जाती। सैकड़ों दुकानें लूट ली गईं, न जाने कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। इस घटना की जितनी भी निन्दा की जाए, कम है। इस घटना पर मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि सम्पूर्ण घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश से करायी जाए।

ताकि जांच से तीन बातें साफ हो जाएं, एक तो यह कि इस घटना के पीछे कोई साजिश थी या नहीं, दूसरी यह कि प्रशासन द्वारा इसे प्रभावी ढंग से रोका गया या नहीं और तीसरी यह कि भविष्य में हम इस सन्दर्भ में क्या करना चाहते हैं ? नेता विरोधी दल ने जिस प्रकार से प्रशासन को क्लीनचिट दी है, उस पर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ भी वह कहना चाहें, कहें, यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनका अधिकार है। लेकिन मैं किसी को क्लीनचिट देने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह घटनाएं कौन करा रहा है, क्योंकि इन सबके पीछे कहीं न कहीं कुछ तो कमी है ही जिसकी आड़ में यह लोग इस तरह की घटनाएं कराकर पूरे देश-प्रदेश को आग में झोंक देना चाहते हैं। आज उन साम्प्रदायिक ताकतों को जेल के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा है, जिसके कारण साम्प्रदायिक ताकतों को सिर उठाने का मौका मिल रहा है। मैं पुनः अपनी बात कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जब कभी साम्प्रदायिक ताकतों को सहलाया और पुचकारा जाएगा, तो यह साम्प्रदायिक विच्छू किसी को अपना डंक मारने से नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते हैं कि हमारे समय में नहीं हुआ, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब यह साम्प्रदायिक ताकतें सत्ता में रहती हैं तो इनके पास रोजगार रहता है और जैसे ही यह सत्ता से पैदल हुए तो इनके पास देश और प्रदेश में दंगे भड़काने के अलावा और कोई एजेण्डा नहीं रह जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

माननीय अध्यक्ष जी, इसी विषय पर हमारी भी एक सूचना नियम-56 में है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इनको थोड़ी देर के लिए बैठा दिया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह तो समर्थक दल हैं और समर्थक पार्टी काम-रोको प्रस्ताव नहीं देती है।

श्री अध्यक्ष--

आज कार्यसूची बहुत लम्बी है, जल्दी खत्म हो जाने दीजिए। तिवारी जी आप ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, इसी विषय पर मेरी भी सूचना है। तिवारी जी की बात आ गयी है, अब मुझे सुन लीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या मान्यवर, आप इस पर चर्चा करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठिये, तिवारी जी को एक मिनट सुन लेने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, इसके बाद मेरी सूचना ले लीजिए।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, बहुत ही विनम्रतापूर्वक माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि एक साजिश रची जा रही है पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे कराने के लिए। मेरे पास सारी कतरनें और अखबार हैं, उन्हें आपके पास भेज देता हूं, पढ़ लीजिए क्योंकि उसको कहकर वातावरण विषाक्त नहीं करना चाहता। इनके जो फ्रण्टल आर्गनाइजेशन्स हैं, सहयोगी संस्थायें हैं उन्होंने फिर से प्रदेश में साम्प्रदायिकता का जय घोष शुरू कर दिया है। मैंने इसका जिक्र

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर किया था। मस्जिदों से माइक हटाये जा रहे हैं, वह लोग हटा रहे हैं जो इनके लोग सत्ता में हैं। साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ नरमी मत बरतिये, अगर आपने नरमी बरती तो उसका खामियाजा पूरे देश और प्रदेश को चुकाना पड़ेगा। इसलिए इन साम्प्रदायिक शक्तियों को दण्डित करने के लिए आपसे अपील करूंगा कि मजबूत इरादे के साथ मजबूत हाथ चलाइये। एक बात यहाँ और आयी आजमगढ़ की बात कि हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान की बात करने वाले गद्दार कहे जायेंगे। उठिये और खड़े होकर कहिये कि मैंने नहीं कहा था, चूंकि नेता विरोधी दल ने कहा इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर कहा था तो स्पष्ट कीजिये कि किन परिस्थितियों में कहा था ? इनको आप मुद्दा क्यों देते हैं ? अगर आप मुद्दा देते हैं तो कहना चाहता हूं कि किसी न किसी रूप में आपकी नरमी प्रदेश और देश के लिए भारी पड़ रही है। मुझे तो यह भी शक होता है कि आप दोनों मिलकर एक दूसरे को एजेण्डा तो नहीं दे रहे हैं ? आप उनको और यह आपको। दोनों एक दूसरे का सहयोग तो नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी, जल्दी खत्म करिये।

(श्री राम इकबाल सिंह और सुरेश कुमार खन्ना अपने आसन पर खड़े होकर अपनी सूचना को लिये जाने का आग्रह करने लगे।)

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष--

सबकी सूचनायें हैं, आज असरकारी दिवस है, आप ही लोगों की सूचनायें व संकल्प हैं। तिवारी जी आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, सिर्फ एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ कठोर रवैया अख्तियार करें और आज ही इस सदन में घोषणा करें कि बाबरी विध्वंस के मामले में जिनके खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, अधिसूचना जारी करने की घोषणा करें अन्यथा यह माना जायेगा कि सरकार मिली हुई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, ग्राह्यता से हटकर बात कर रहे हैं इसलिए ग्राह्यता से हटकर जो बातें कही गयी हैं, उसे कार्यवाही का अंग नहीं माना जाना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरी इस सूचना में अविलम्बनीयता भी है और लोकमहत्व से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, यह राष्ट्रीय महत्व का है और जब तक इन साम्प्रदायिक शक्तियों को जेल नहीं भेजा जायेगा सरकार की नूराकुश्ती बंद नहीं होगी और प्रदेश साम्प्रदायिकता की आग में रहेगा। मैं

सरकार से पूछना चाहूंगा कि आडवाणी जी के मुकदमें में नोटीफिकेशन जारी किया जायेगा या नहीं ? सरकार इसकी आज ही घोषणा करे।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम पुकारे जाने व श्री मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मौर्या जी, ग्राह्यता पर ही प्रकाश डालियेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

मान्यवर, मौर्या जी को आप ग्राह्यता पर सीमित कर रहे हैं जबकि प्रमोद कुमार जी को सीमित नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, मौर्या जी को बोलने दीजिये।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जब मैं नोटीफिकेशन की बात करता हूं इन लोगों को बुरा क्यों लगता है ? मैं तो कानून की बात करता हूं।

(शोर)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

भा0ज0पा0 या उसके किसी सहयोगी दल का उस घटना से कोई संबंध नहीं रहा है। जिनको कायदा कानून मालूम नहीं है वह सदन में यह बात करते हैं।

(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, 20 फरवरी को मोहर्रम के अवसर पर तहजीब की नगरी लखनऊ आगजनी, पथराव और हादसों की चपेट में आया, यह बहुत शर्मनाक है। मान्यवर, मोहर्रम के दिन लखनऊ में एक हादसा हुआ और यह हादसा प्रशासन की कमियों के नाते हुआ इसलिये और भी ज्यादा शर्मनाक है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ , विशेष रूप से मोहर्रम के अवसर पर अतिसंवेदनशील हो जाया करती है और उसी को देखते हुये पूर्व में भी इस प्रकार की तमाम घटनायें घटी हैं। उसके मद्देनजर सरकार ने समय-समय पर विशेष सावधानी बरतने के लिये कदम उठाये हैं और समय-समय पर जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगाये गये हैं। लेकिन जिस तरीके से एक ही मजहब को मानने वाले शिया-सुन्नी लोगों ने, जो आपसी सौहार्द्र को अच्छा बनाने का काम करते थे, प्रशासनिक लापरवाही के नाते उनमें झगड़ा हुआ और वह बलि की भेंट चढ़ गये। मैं आपका ध्यान इस ओर इंगित करना चाहता हूं कि यह अविलंबनीय लोकमहत्व का प्रश्न इसलिये है क्योंकि प्रशासन की खामियों के नाते यह हिंसा हुयी है। हुसैनाबाद जो लखनऊ का मुख्य अंग है वहाँ मुफ्तीगंज में जिस समय जुलूस कर्बला को जा रहा था वहां 9 बजे कुछ लोग हमला करते हैं और प्रशासन की असफलता के कारण इस दंगे को तत्काल नियंत्रित नहीं किया जा सका और लगभग 2 घंटे तक लगातार पथराव होता रहा और आगजनी चलती रही और गोलियां चलती रहीं और प्रशासनिक हस्तक्षेप करने वाले लोग वहाँ पर मौजूद नहीं रहे। सुबह 11 बजे से लेकर भयंकर हादसे होते रहे और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं था। ठाकुरगंज का एक

थानाध्यक्ष कुछ पुलिस कर्मियों के साथ इस दंगे को रोकने का प्रयास करता है लेकिन दंगा रुकता नहीं है। प्रशासन को ऐसे अवसर पर चुस्त-दुरुस्त रहना चाहिये था ताकि मोहर्रम के अवसर पर ऐसी घटना न होती। सरकारी मशीनरी को इस अतिसंवेदनशील क्षेत्र में पहले से सभी तैयारियां कर लेनी चाहिये थीं। इस संवेदनशील क्षेत्र की 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले मोहल्ले जैसे ठाकुरगंज थाने की मस्जिद के पास की ढाल हाता शुतुरगंज, लंगरखाना, हुसैनाबाद, गंगा बाजार, रुस्तम बाजार, रामगंज, अकबरगंज, सआदतगंज में वहाँ तीन लोगों की मौके पर मौत हुई यह तो दुखद हादसा रहा ही सैकड़ों लोग हताहत हुए और आज भी दो दर्जन से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और वह अपने जीवन की रक्षा के लिए तड़प रहे हैं। साथ ही साथ सैकड़ों की तादात में दुकानें आग की भेंट चढ़ गई है। सैकड़ों दुकानें आग के हवाले कर दी गई है। यहां सवाल रोजी रोटी का भी है सैकड़ो लोगों के रोजी रोटी का सहारा छिन गया है। आज वह रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। क्या कारण है कि जब-जब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश में आती हैं तब-तब इस प्रकार के दंगे हुआ करते हैं ? हम लोग भी तीन बार सरकार में रहे, तीन बार प्रदेश में बहुजन समाज वादी पार्टी की सरकार प्रदेश में रही लेकिन प्रदेश में कहीं पर भी कोई दंगा नहीं हुआ हमारी सरकार के समय एक बार भी दंगा नहीं हुआ। मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार के निकम्मेपन के नाते और सरकारी अधिकारियों की कमियों के नाते यह हादसा हुआ है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको इसकी सजा मिल सके। जिससे इस प्रकार की घटनाओं की दुबारा पुनरावृत्ति न हो सके। सुबह यह घटना प्रारम्भ होती है और एक बजे तक यह तांडव चलता रहा। आई0जी0 और डी0आई0जी0 एक बजे मौके पर पहुंचते हैं। जिलाधिकारी और एस0एस0पी0 भी घटना के काफी बाद मौके पर पहुंचते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा किया गया कि उसका हाथ इस घटना में है। मैं कह देना चाहता हूं कि इसमें चाहे कोई दल या अधिकारी शामिल हो इस घटना की न्यायिक जांच कराकर जो भी दोषी है उसको बराबर सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से जो साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जब तक कड़ी कार्यवाही नहीं होगी तब तक इस प्रकार के हादसे होते रहेंगे। इस घटना के बाद मृतक परिवारों को तो मुख्य मंत्री जी ने पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है लेकिन जो सैकड़ों दुकानें जल गई हैं और उनके परिवार का सहारा छिन गया है।

श्री अध्यक्ष--

यह सब आ गया है। अब समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

उनके लिए सरकार क्या करेगी इसकी मैं सरकार से मांग करता हूं। साथ ही साथ इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए जिससे दोषी लोगों को सजा मिल सके। मैं इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी के क्षेत्र का मामला है यह दो मिनट अपनी बात रख लें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 56 की इस सूचना की ग्राह्यता पर संक्षेप में मैं अपनी बात रख रहा हूं। मान्यवर, 20 फरवरी को जो घटना घटित हुई जिसके बारे में दो बिन्दु उभरकर आते हैं

जिनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। पहली बात घटनास्थल पर जिलाधिकारी, लखनऊ जब पहुंची तो वह अकेले थीं क्या उन्होंने पुलिस बल को कोई इत्तला नहीं दी जबकि सब लोग जानते हैं बड़ा इमामबाड़ा से लेकर छोटा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद पाटा नाला से लेकर कर्बला तक का एरिया बड़ा संवेदनशील एरिया है उस एरिया में जिलाधिकारी को अकेले जाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब वह वहां पहुंच गई उसके आधा घण्टे के बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंचता है इतना ही नहीं दो प्रकार के बयान आए हैं--जिलाधिकारी का कहना है कि वहां पर दंगे आपस में दो सम्प्रदायों के बीच झगड़ा होने के कारण हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर ताजिये का जुलूस निकालने के कारण दंगा हुआ। जिलाधिकारी ने अपने सी0डी0ओ0 से जांच कराने की मांग की और एस0एस0पी0 ने एडिशनल एस-ए0पी0 से। ऐसी परिस्थिति में मैं मांग करता हूं कि जो घटना के दोषी पुलिस प्रशासन और यहां का प्रशासन है उसकी मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज से कराई जाय और जो लोग दोषी हैं, उनको तत्काल यहां से हटाकर किसी अन्य शहर में भेज दिया जाय क्योंकि वे यहां की कानून व्यवस्था ठीक नहीं रख पाये। मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

इसमें दो-तीन लोग बोल चुके हैं। कुछ बचा नहीं है कहने के लिये, सारी बात आ गई है। इस तरह से सब लोग बोलेंगे तो आगे कैसे काम होगा ? आज असरकारी दिवस है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, मेरे भी हस्ताक्षर हैं इस सूचना पर। हमको भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपके नेता जी बोल चुके हैं। जितने लोग किसी नोटिस पर हस्ताक्षर करेंगे, तो क्या मान लिया जाय कि सभी बोलेंगे। आज असरकारी दिवस है। आपके संकल्प भी लगे हैं।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, हम लोग इस पर बोलना चाहते हैं, दो-दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

इस पर पूरी बात आ गई है। बाजपेयी जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैंने नियम-56 में सूचना दी है। मोहर्रम के दिन जो घटना लखनऊ में घटी वह दुःखद है और निन्दनीय है। घटना करने वाले लोगों को कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाय। सरकार को यह बात माननी पड़ेगी कि अधिसूचना इकाई इनकी लखनऊ की फेल है। इनके जो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे उनको कहीं और भेज दिया गया था। इन्होंने पूर्व की भांति इस मौके पर जो एहतियाती तौर पर बन्दोबस्त करना चाहिए था, वह नहीं किया। जो वहां पर पुलिसकर्मी लगाये गये थे उनके हथियार वगैरह कहीं और जमा करा दिये गये थे। उनके पास न तो बाडी प्रोटेक्टर था न आंसू गैस। पूर्व के अनुभवों के आधार पर यदि व्यवस्था हो जाती तो इस तरह की घटना न घटती।

इन्होंने पूर्व की व्यवस्थाओं की अनदेखी की है। जिन अधिकारियों को मौके पर रहना चाहिए था वे वहां मौजूद नहीं थे। घटना घटने के घंटों बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है। मेरा इसमें अनुरोध है कि इसमें जांच का विषय यह है कि जैसे पूर्व में व्यवस्था की जाती थी उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ? यह भी जांच का एक विषय है। इसमें जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नीचे नहीं कराई जानी चाहिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब बात पूरी आ चुकी है। गौर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं ? एक मिनट में आप कहें। सारी बातें आ चुकी हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं देखिये उसकी पुनरावृत्ति न हो। आप सब सदस्य इस पर बोलना चाह रहे हैं। जब चर्चा के लिये नियम 56 में स्वीकार होता, तो आप सब बोलते।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष महोदय हमारा देश धार्मिक देश है। यहां पर विभिन्न धार्मिक त्यौहार होते हैं और जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लखनऊ में मोहर्रम वाले दिन जुलूस निकलते समय एक घटना घटी, संघर्ष हुआ और तीन लोग मारे गये। इसी तरह से बरेली में बहेड़ी क्षेत्र में ताजिये में लगे खोखे को हटाने के लिये जमकर उपद्रव हुआ। मान्यवर, भीड़ ने पथराव कर थाने को फूंकने का प्रयास किया, कई काउन्टर फूंक डाले। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठिया फटकारनी पड़ीं। घटना में छः पुलिस कर्मियों समेत डेढ़ दर्जन लोग घायल हुए। इसी तरह से मुरादाबाद में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगवानपुर कस्बे में मोहर्रम के जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले एक धार्मिक स्थल पर लगे पेड़ की शाखाओं के कटने पर एक समुदाय के लोग भड़क गये फलस्वरूप दोनों समुदाय के बीच हुए पथराव में दो लोग जख्मी हो गये। इसी तरह से मान्यवर, इलाहाबाद से लगा कौशाम्बी जनपद है संवेदनशील इलाका है। वहां सिराथू तहसील के शहजादपुर गांव में ताजिया निकालते समय दो सम्प्रदायों में विवाद हो गया जिसके चलते जमकर पत्थरबाजी हुई । कई घरों के खपरैल तोड़ डाले गये, दुकानें लूट ली गयी तथा कई लोगों को पीटकर लहूलुहान कर दिया गया। मैं ग्राह्यता पर कहना चाहता हूं इस तरह के जुलूस निकलते हैं तो प्रशासन की तरफ से . . .

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

इनको कोई जानकारी नहीं है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

यह व्यवधान डाल रहे हैं इनको अनुशासित करिए। यहां की क्या व्यवस्था है, इनको जानकारी है ? यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

रिजवी साहब आप बैठ जाइए।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि कोई सदस्य बोलते हैं तो दूसरे सदस्यों को सुनने की शक्ति होनी चाहिए। यह बहुत गलत तरीका है यह आपकी पीठ के आदेश का उल्लंघन करेंगे, तो सदन में

कैसे चलेगा ? मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के अन्दर माहौल खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होती है। जिन स्थानों पर घटना हुई है वहां पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था ? जैसा कि हुकुम सिंह जी ने कहा, सारी चीजों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाये। जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

ओ0 पी0 सिंह जी सारे तथ्य आ गये हैं, उनकी पुनरावृत्ति होगी तो नहीं लिखा जायेगा।

श्री ओ0 पी0 सिंह--

आप तो बोलने के पहले ही कहे दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

तथ्यों को बार-बार दोहराया जा रहा है।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, 20 तारीख को लखनऊ में मोहर्रम के अवसर पर मान्यवर जो प्रशासनिक लापरवाही के कारण घटना घटित हुई और तीन लोगों की जानें गईं अकील अहमद, आरिफ, गुड्डू बबलू मारे गये और दो दर्जन से ज्यादा लोग गम्भीर रूप से घायल होकर अस्पतालों में पड़े हैं। सुबह साढ़े आठ बजे जुलूस को निकालने के समय यह घटना घटित हुई . . .

श्री अध्यक्ष--

यह आ चुका है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

पांच किलोमीटर के क्षेत्र में यह दंगा सुनियोजित साजिश के तहत भड़कता चला गया। मैं बताना चाहता हूं इस मोहर्रम के अवसर पर लखनऊ में जुलूस निकाला जाता था तो पुलिस प्रशासन के बड़े-बड़े अधिकारी मौजूद रहते थे। 20 तारीख को घटना हुई सुबह साढ़े आठ बजे की घटना है दंगा होता रहा लखनऊ का प्रशासन जिसे वहां मौजूद रहना चाहिए वह 11 बजे आया। लखनऊ जल रहा था जिस तरह से रोम जल रहा था नीरो बंशी बजा रहा था उसी तरह से पुलिस प्रशासन चैन की बंशी बजा रहा था। मैं कहना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष--

सब हो चुका है आपके पास नये तथ्य हों तो बोलिये।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, जो बात हमारे सम्मानित साथियों ने कही है, मैं भी उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और मांग करता हूं कि इसकी जांच हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से कराई जाए और जो लोग दोषी हैं, उनको कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

ओ0 पी0 सिंह जी, आप बैठिए। पूरी बात आ गई है, अब लिखा नहीं जाएगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, जो घटना घटी है, इससे पूरा प्रदेश हिल गया है, इससे पूरे प्रदेश का सौहार्द बिगड़ गया है। पूरे प्रदेश में तनाव व्याप्त है। मैं कहना चाहता हूं, इस घटना की सूचना एल0आई0यू0 पहले ही डी0एम0 और एस0एस0पी0 को दे चुका था, इस घटना की सम्भावना पहले से थी कि इस तरह की घटना हो सकती है। मान्यवर, उसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई एहतियात नहीं बरती गई । आरिफ, जिसकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी, उसकी पत्नी हनीमून के लिए जाने वाली थी। यह हृदय विदारक घटना ऐसे ही नहीं हुई, इसकी जानकारी डी0एम0 और एस0एस0पी0 को थी लेकिन उन्होंने इसको गम्भीरता से नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष--

राम इकबाल जी, सारी बातें आ गई हैं।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं इस पूरी घटना की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, किसी भी चीज का बचाव उसके इलाज से बेहतर है। अंग्रेजी में कहावत है, 'प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।' मान्यवर, पिछले 50 सालों से इस जुलूस के बारे में व्यवस्था होती थी। वहां पर पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाती रही है। मैं कहना चाहता हूं, वह कौन व्यक्ति था, जिसकी वजह से पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था नहीं की गई ? मान्यवर, घटना हो जाने के बाद 20 कम्पनी केन्द्रीय बल की मांग की गई है और 9 कम्पनी फोर्स उपलब्ध भी कराई गई है, यही काम 18 फरवरी को हो सकता था, 17 फरवरी को हो सकता था और 16 फरवरी को हो सकता था। यदि यह काम फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो जाता तो जिन लोगों की जानें गई हैं, उनकी जानें न जातीं, सम्पत्ति का नुकसान न होता। उस व्यक्ति को चिन्हित किया जाना चाहिए जिसकी वजह से वहां पर पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था नहीं की गई । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस घटना की जांच हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराई जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कौशल किशोर--

मान्यवर, मैं भी इस सम्बन्ध में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

कौशल किशोर जी, इसमें आपका नाम नहीं है। जब बजट भाषण पर चर्चा होगी तब आप अपनी बात कहियेगा।

श्री कौशल किशोर--

मान्यवर, लखनऊ में शिया-सुन्नी दंगे की जो घटना हुई है, उस घटना में चोट खाये हुए 2-3 लोग मेरे दफ्तर में कल आये थे। वह लोग डी0एम0 कार्यालय गये थे लेकिन वहां से भगा दिये गये। ऐसे चोट खाये लोगों की जांच नहीं हो रही है। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

कौशल किशोर जी, आप बैठें।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, हमारे सभी सदन के नेता और साथियों ने इस गम्भीर मामले पर चिन्ता जताई है, सुझाव रखे हैं, मैं उसको अपने आप से सम्बद्ध करता हूं। बहुत गम्भीर घटना थी और अभी भी गम्भीर है। उसकी संजीदगी और गम्भीरता से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह भी सही है कि इससे पहले भी इस तरह के दंगे लखनऊ में हुए हैं। एक ही धर्म के दो सम्प्रदायों के बीच दंगे हुए हैं। यह दो सम्प्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। मान्यवर, दंगों की कितनी भी निन्दा की जाये, मजम्मत की जाये कम है। हजरत इमाम हुसैन जो नवी के नवासे थे एक बार नमाज पढ़ रहे थे तो आप उस समय बच्चे थे। आप नमाज पढ़ते समय इतना झुक गये कि घुटना छू गये। आप बच्चे थे और खेलते-खेलते नवी साहब की पीठ पर आकर बैठ गये। नवी साहब तब तक नहीं उठे जब तक कि आप पीठ से उतर नहीं गये। हमारे लिए इस झगड़े का दुखद पहलू यह है कि दोनों मुसलमान हैं, शिया और सुन्नी और सुन्नी यह सोच भी नहीं सकता कि नवी के नवासे के बारे में कोई इस तरह की बात या विचार भी लाया जा सके। लेकिन लखनऊ में पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं और अभी चन्द रोज पहले भी हुआ। कई सालों से समझौता चल रहा था और समझौता माना जा रहा था।

मैं इस हादसे की निन्दा तो कर ही रहा हूं लेकिन असल निन्दा तो उस विचार की है, उस षड़यंत्र की है जिसकी तरफ सदन के कई माननीय सदस्यों ने इशारा किया, जहां से यह शुरू हुआ है। अचानक यह काम नहीं हुआ है यह तय है। इत्तेफाक भी नहीं हुआ है क्योंकि जिस जगह यह वाक्या हुआ है जिसे हम सॉर्सोटय राम्ते कहते हैं पहले ऐसा नहीं रहा है। छोटे इमामबाड़े के बाद जहां यह हादसा हुआ उसका ऐसा इतिहास नहीं था। अकबरी गेट के पास और उसके जुड़े इलाके में ऐसे हादसे हुए, दंगे की शक्ल में भी हुए। अब कहां कमी रह गयी यह जांच का विषय है। किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दी जा रही है। इस पूरे हादसे के दो हिस्से हैं एक क्रिमिनल हिस्सा है जिसमें गोली का चलना, पथराव और तीन लोगों को जान जाना और कुछ लोगों का जख्मी होना है। उसमें नामजद रिपोर्ट है। सरकार इस मांग से इत्तफाक नहीं करती कि पूरे वाकये की जांच की जाये। यह ज्यूडिशियल जांच हो या मजिस्ट्रीयल जांच हो । इससे बहुत बड़ा नुकसान यह होगा और जो अक्सर होता है कि जिन्होंने पूरे प्रदेश को या जिलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, जिनकी वजह से 3 लोगों को जान चली गयी हो उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट हो गयी है। जिन लोगों के खिलाफ हत्या की, आगजनी की, उपद्रव कराने की, दंगा कराने की नामजद रिपोर्ट है अगर उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई को स्टे कर दिया तो जाहिर है कि आज का दंगाई, फसादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा वह आगे भी ऐसा करेगा। इस हिस्से को छोड़कर जिसमें एक हादसा हुआ, एक क्रिमिनल आफेन्स हुआ इसकी जांच नहीं होगी। इस पर सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाये गये हैं और इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं, उनका क्या मंसूबा था इस पर अवश्य जांच होगी। सभी का सहयोग मिल रहा है। मैं इस सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हालांकि मैं इस कृत्य की मजम्मत करता हूं जान की कोई कीमत नहीं है। इंसाफ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। मान्यवर, मरने वालों को

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

5 लाख रुपये दिया गया और जख्मी लोगों को 3 लाख रुपये दिया गया और 1 लाख रुपये जिनके मकान, दुकान जल गये और जिनका बहुत कम नुकसान हुआ है जैसे ठेला जल गया तो उन्हें 50 हजार रुपये दिया गया है। मैं उस दिन अस्पताल गया था जिस दिन कांग्रेस अध्यक्ष के साथ वाकया पेश आया था। लेकिन मैं बाद में पहुंचा था। मैं उसकी पृष्ठभूमि में भी नहीं जाना चाहता हूं। उसकी पृष्ठभूमि भी एक जांच का हिस्सा हो सकती है। बहरहाल हालात काबू में है, किसी तरह का वहां पर कोई तनाव नहीं है। प्रदेश के किसी हिस्से में इसे शिया-सुन्नी का दंगा नहीं कहा गया है। जहां से असल जुलूस निकलता है वहां के माहौल में इसकी कोई परछाई नहीं थी। यह भी काबिले जिक्र है कि अगले दिन, जो काफी अहम दिन था, उस दिन अकबरी गेट पर मजलिस में चालीस-पचास हजार लोगों का जमावड़ा था वहां पर हालात खराब हो सकते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतना जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि सबने इस घटना की मजम्मत की और सबने मन से माना कि यह शिया-सुन्नी का झगड़ा नहीं था बल्कि ऐसे लोगों ने जो शांति नहीं देखना चाहते हैं, एक खास वर्ग के, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि वह किस वर्ग के हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मैं इत्तफाक से सुन्नी हूं और मेरे लिए यह संकट का समय है, मैं किसी एक पर इल्जाम न लगाऊं। यह नियम-56 में नहीं आता है और सरकार पूरी तरह से कार्यवाही कर रही है, पूरी तरह से सजग है।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि कुछ बिन्दु जांच का विषय है और हम भी कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई उनके खिलाफ कार्यवाही स्टे नहीं होनी चाहिए। दो बिन्दु है। एक तो इसके पीछे षडयंत्र था, साजिश थी और यह आकस्मिक भी नहीं था, इसको आपने भी माना है। दूसरा बिन्दु यह है कि इसमें शासकीय और प्रशासकीय चूक है, यह क्रिमिनल नेगलीजेंस का मामला है, इसमें किस स्तर से जांच करायेंगे ? हमने तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की बात कही है। दूसरा जो शासन और प्रशासन स्तर पर चूक हुई है, तो उनको चिन्हित कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय, मैं यह कह दूं कि जो अस्पताल का वाकया पेश हुआ था, मैं उसके बाद में पहुंचा था। भीड़ में क्या हुआ पता नहीं। मंत्री ऐसे मामलों पर अनपापुलर हो जाते हैं चाहे वह धर्म की बुनियाद हो या जाति की बुनियाद हो। अपोजीशन का कोई पहुंचता है तो वह हमदर्द पहुंचता है और लोग उसको ही सुनाते हैं। लेकिन अगर सत्ता पक्ष का पहुंच जाय तो उसके खिलाफ गमो गुस्सा होता है। लेकिन यह हमारे खिलाफ नहीं था। मैंने पूछा कि कोई हमसे गलती हुई है या कोई शिकायत है, तो उन्होंने कहा कि कोई गलती नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। सरकार जो कहती है वह हम करने की कोशिश करते हैं। हम कोई गलत बयानी की कोशिश नहीं करते हैं और न मैंने कोई गलत बयानी की है। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने मुख्य मंत्री के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति, शासन के प्रति एक शब्द भी नहीं कहा है, वाक्य कहना तो दूर की बात रही। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई प्रशासनिक चूक पायी जाती है तो एक अच्छे शासन की पहचान है कि उसमें परदा न डाले, तो अगर कोई कमी पायी जायेगी तो कार्यवाही होगी। जहां तक जांच का मामला है हम इसकी जांच करायेंगे। अगर मैं कहूं कि एक हादसे को जोड़कर, क्योंकि मैं उन्हें बचाने के पक्ष में नहीं हूं। जिनकी वजह से तीन इंसानों की जानें गयी हैं और माननीय, इसके लिए तीन गोलियां मात्र नहीं चली हैं। यह कह देना कि 12 बोर की कारतूस से इतने लोग जख्मी हो

जायेगा। जब एक कारतूस 12 बोर की चलेगी तो जिसे यह गोली लगेगी उसकी मृत्यु होगी और स्वाभाविक है कि दूसरी कई लोगों पर आयेगी। मान्यवर, यहां तीन लोग मारे गये हैं और कई लोग गम्भीर रूप से जख्मी हुए हैं ? इसका मतलब यह है कि गोली एक नहीं, कई चली है। कितनी ज्यादा चली है ? यह जांच का विषय है। इस प्रकरण में क्रिमनल नेग्लीजेन्स को छोड़कर बाकी पर जांच होगी।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप हाई कोर्ट के सेवारत जज से इस प्रकरण की जांच करवायेंगे ? मान्यवर, यह सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, यहां से लेकर वहां तक पूरे सदन का सवाल है और इस प्रकरण में जांच की आवश्यकता है और प्रश्न केवल यह रह जाता है कि इसमें प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की कमियों की जांच होगी और यह जांच केवल न्यायिक सेवा के अधिकारी करेंगे, यानि हाई कोर्ट के सेवारत जज से इसकी जांच करवाई जाएगी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, सदन के अन्दर और बाहर चारों ओर से जांच का दबाव है और सबकी मंशा भी यही है कि इस प्रकरण की जांच हो, मैं भी चाहता हूं कि इस प्रकरण की जांच हो, इसलिए इसकी जांच ऐसी होगी, जिससे सभी लोग मुतमईन हों।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरी मांग यह है कि इस प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के सेवारत जज से कराई जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाए कि सरकार दोषी लोगों को बचाने में लगी हुई है और सरकार नहीं चाहती है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, इसीलिए सारे प्रकरण को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरह से घुमाने का प्रयास किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि चारों तरफ से सबकी भावनाओं को देखते हुए इस प्रकरण की जांच करायेंगे तो बार-बार आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय हुकुम सिंह जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और इधर यहां पर बैठते भी रहे हैं। आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मान्यवर, इसे सरकार की तत्परता कहिए कि यह मामला आगे नहीं बढ़ सका। जिस तरह से आबादी है लखनऊ की, जिस तरह के मोहल्ले हैं जिस तरह से दोनों सम्प्रदायों के मोहल्ले हैं उसको देखते हुए तो यह मामला इसे कुदरत की देन कहिए या सरकार की तत्परता कि यह मामला और आगे नहीं बढ़ सका। आपकी तरफ से भी माहौल को अच्छा बनाये रखने की कोशिश होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां--

सरकार जांच से तो भागना ही नहीं चाहती। इसमें जांच होगी। मान्यवर, कभी-कभी ऐसा भी होता है, अगर किसी मौके पर कोई जुर्म हो, कोई साहब किसी का कोई सामान चोरी कर ले

और बाद में यह कहे कि उसे पकड़ो, वह गया, वह भागा और लोग फौरौतौर पर उसके पीछे दौड़ जाते हैं, लेकिन जब वह पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि इसमें चोर तो वही है जो कह रहा था कि उसे पकड़ो वह भागा जा रहा है, तो मान्यवर, इस प्रकरण में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। इसमें ज्यादा इंगित करने की जरूरत नहीं है। जब इसकी जांच होगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन लोग दोषी हैं ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं इसमें कोई रहम की दरख्वास्त नहीं कर रहा हूं। हम इस पर जांच चाहते हैं और सरकार में इसकी जांच करवाने का साहस नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैं नहीं चाहता हूं कि इस पर आप वाक आउट करें क्योंकि यह बात भी जांच का मुद्दा होगी। मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने इस पर जांच की बात कही है, तो मैं जांच के लिए पूरी तरह से घोषणा कर चुका हूं, इसका भी संज्ञान लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अगली सूचना श्री प्रदीप जैन, 'आदित्य' की है जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में मानक के अनुरूप रिक्त पदों पर स्टाफ की तैनाती न किये जाने के सम्बन्ध में है, इस सूचना को मैंने अस्वीकार किया है, किन्तु शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, हमारे बार-बार आग्रह के बाद भी सरकार जांच की बाबत कोई स्पष्ट घोषणा नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में मैं और हमारा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री हुकुम सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष--

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चर्यानत नहीं हुई, अत: अस्वीकृत हुई । श्री प्रमोद कुमार, श्री प्रदीप जैन, 'आदित्य', श्री राम नरेश यादव, डा0 सुशील चौधरी, श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती लुईस खुर्शीद(नियम 311 में प्राप्त)। श्री छोटे लाल वर्मा, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री अब्दुल मन्नान, श्री अकीलुर्रहमान, श्री इरशाद खान, श्री अनीस अहमद, श्री मुंशी लाल गौतम।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मान्यवर, अभी हुकुम सिंह जी की बात पर कहा था कि जो भाग रहा था पीछे कहीं वह तो नहीं पकड़ा जायेगा। मान्यवर, हमारे दल ने भी इस पर एक कार्यरत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच की बात की है। मान्यवर, जो साम्प्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ सरकार सख्ती से पेश नहीं आ रही है। आप देखें [x x x x] के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी होने की बात है।

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार जो सरकार की मंशा समझना चाहेंगे, पूरे मामले पर जांच हो, शुरू से आखिर तक, जबकि वे दूसरी बात कह रहे थे ताकि कातिलों को छूट मिल जाय। यह शर्त रख दी गयी है और इसकी घोषणा बार-बार की जा रही है ताकि जो लोग बच सकते हों उन्हें बचने नहीं दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं उसकी निश्चित जानकारी के आधार पर मैं अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बोल रहा हूं जो मैंने दी है। उस संदर्भ में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिनका अपराध सिद्ध हो चुका है, चार्जशीट जारी हो चुकी है, क्या [x x x] के सम्बन्ध में यह सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

देखिये आप उनका नाम मत लीजिये, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन कर रहा है क्योंकि [x x x] के खिलाफ यह नार्टिफिकेशन नहीं जारी कर रही है। (भा0ज0पा0 के कतिपय नेताओं की प्रदेश सरकार से सांठ-गांठ होने का आरोप लगाते हुए श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग किया।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इसलिये चले गये क्योंकि उनकी मर्जी की जांच की बात नहीं हुई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य अभी चले गये, मैं जा नहीं सकता जबकि यह मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनने नहीं देना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2005 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, और दिनांक 18 फरवरी, 2005 को विधान परिषद्, सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 18 फरवरी, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 5-6 में कुछ नहीं है।

नोट--[x x x]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

अब मैं मद संख्या 7 लेता हूं। कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 फरवरी, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 19 फरवरी से 29 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

1--दिनांक 07 मार्च, 2005 को सदन का उपवेशन हो एवं दिनांक 09 तथा 10 मार्च, 2005 को सदन के उपवेशन न हों।

2--दिनांक 19 फरवरी, 2005 से 11 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

फरवरी, 2005

19 शनिवार 20 रविवार 21 सोमवार 22 मंगलवार	बैठक नहीं होगी।
23 बुधवार	**1--11.00 बजे पूर्वाह्न** 1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण। 2--असरकारी दिवस (आधा दिन दिनांक 18 फरवरी, 2005 के स्थान पर)
24 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
25 शुक्रवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अंतिम दिन)।
26 शनिवार 27 रविवार	बैठक नहीं होगी।
28 सोमवार	1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । 2--उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण --आधा घंटा। 3--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण --आधा घंटा। 4--उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण --आधा घंटा।

मार्च, 2005

1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

1 मंगलवार,

2--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घंटे की चर्चा :--

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या के स्थिरीकरण हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जाये।"

2 बुधवार
3 गुरुवार

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

4 शुक्रवार

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

5 शनिवार
6 रविवार

बैठक नहीं होगी।

7 सोमवार

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

8 मंगलवार

बैठक नहीं होगी। (महाशिवरात्रि का अवकाश)

9 बुधवार
10 गुरुवार

बैठक नहीं होगी।

11 शुक्रवार

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

3--दिनांक 12 मार्च से 29 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम पूर्ववत् रहेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-8 इसमें कुछ नहीं है।

एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-11पहले लिया जा चुका है।

(मद संख्या 12 पुकारे जाने पर)

प्रदेश में नकली दवाओं की बढ़ोत्तरी विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, मेरा निजी मामला है, नियम 56 में दिया था।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना मैंने पढ़ ली है, उसे 25 को रखिये, अब बात खत्म हो गयी।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इसके दो हिस्से हैं। एक तो जो मैंने सूचना दी है मानवीय आधार पर बहुत संवेदनशील है। इनके साथ घटना घटित हो सकती है तो किसी और के साथ भी घट सकती है।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, मेरे बेटे और बेटी दोनों बीमार हो गये थे और 12 फरवरी को सरकारी अस्पताल गये, वहां दवा लेने गये और वहां पर डाक्टरों से उन्होंने पर्चा बनवाया और पर्चा बनवाकर दवा ली। मेरी बेटी का नाम कुमारी ऊषा उर्फ बौद्धमणि और बेटे का नाम वैभव कुमार है। मेरी लड़की की आंख में दर्द था उसने उसकी दवा ली और बेटे के दांत में दर्द था दोनों दवा लेकर घर चले आये और दवा जैसे ही ग्रहण की तो लड़के का मुंह सूज गया और बेटी के फफोले पड़ गये फिर वह प्राइवेट डाक्टर के पास गये और वहां से दवा ली। तो मान्यवर, आज के समय में नकली दवाएं इतनी चल रही हैं कि आम जनता का क्या होगा ? सारी चीजें नकली हो गयी हैं। यह मेरे बेटी-बेटे का सवाल नहीं है, मेरे साथ यह घटना हुई है। इस प्रकार से आम जनता के साथ हो रहा है। मेरे द्वारा सब शादियां छोड़ दी गयीं। मैं सीधे घर पहुंचा, अपने बच्चों को दिखवाया, अलग-अलग ले जाकर। इस तरह की नकली दवायें हास्पिटलों में दे रहे हैं। गरीब जनता को जहर दे रहे हैं, जांच करायें ।

नोट :-- †दिनांक 30-3-05 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष--

आ गई आपकी बात, अब बैठ जाइये, यह नियम 56 का मामला नहीं था। यह आपका व्यक्तिगत मामला था, हुकुम सिंह जी इनको समझाइये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। मान्यवर, हम सभी लोग सदन में इसलिये आते हैं कि जिस समाज से हम चुने गये हैं, हम उसकी सेवा के लिये कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। यह अवश्य गम्भीर बात होगी, बेशक आपकी बेटी-बेटे का मामला है, आपके बच्चे हमारे बच्चों के समान हैं, उनके साथ यह वाकया हुआ, जो अफसोसजनक है। लेकिन मान्यवर, हम लोग जो राजनीतिक जीवन गुजारते हैं, कुछ का तो बड़ा लम्बा इतिहास हो गया है, 4-4 बार, 6-6 बार आ चुके हैं, उनके जीवन में अनेक बार ऐसे वाकये होते रहेंगे। लेकिन आज माननीय सदस्य के मन में अपने बच्चों के लिये कितनी पीड़ा है ? काश यह पीड़ा किसी गरीब के बच्चे के लिये होती। लेकिन हमें खेद है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, हम इनसे यह उम्मीद नहीं करते।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने पहले ही व ा था और अफसोस व्यक्त किया था। मैं कहना चाहता हूं कि आप नहीं समझेंगे, एक गरीब का दर्द, आप केवल एक विधायक का दर्द समझेंगे और हम सबका दर्द समझेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि इसकी मुझे पीड़ा है, यह निन्दनीय है, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जो जीवन हम गुजारते हैं, वह अपने बच्चों से ज्यादा दूसरों के बच्चों के लिये, दूसरों के लिये गुजारते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य कभी हास्पिटल जाकर उन गरीब के बच्चों के बारे में भी सोचा करें।

श्री मुंशी लाल गौतम--

[x x x]।

श्री अध्यक्ष--

आप विधायक हैं, आपको समझना चाहिये। आप समय बरबाद न करें। आपका लिखा नहीं जायेगा।

(संसदीय कार्य मंत्री के कटाक्ष पर भारतीय जनता पार्टी के श्री मुंशी लाल गौतम, श्री नवाब सिंह नागर, श्री राम इकबाल सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री श्याम देव राय चौधरी तथा श्री सुरेश चन्द्र तिवारी आदि अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे।)

(मद संख्या-12 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत सरोज सदन में उपस्थित नहीं थे)।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा व्यवधान जारी रखने पर)

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आपकी गम्भीरता को पूरे सदन ने ले लिया, अब इनका कुछ नहीं लिखा जायेगा। इसको आप दूसरे ढंग से रख सकते थे, अब आपकी बात आ गई है, आप लोग बैठें।

(श्री डी0 प्रसाद अहिरवार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

डी0 प्रसाद जी आप इस पर चर्चा करेंगे ?

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

जी मान्यवर, मैं इस पर चर्चा करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय श्री इन्द्रजीत सरोज जी द्वारा . . .

(इस बीच श्री मुंशी लाल गौतम सदन के फ्लोर से अपनी बात कहने लगे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह रोज की आदत है, हम नहीं मानेंगे। माननीय डी0 प्रसाद जी आप चर्चा जारी रखें।

(इस पर भारतीय जनता पार्टी के श्री नवाब सिंह नागर, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री सतीश महाना, श्री छोटे लाल वर्मा सहित कई सदस्य सदन के वेल से अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान)

भाजपा के सदस्यगण--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

इसे लिखा नहीं जायेगा और न ही कार्यवाही का अंग माना जाएगा। मैंने तो इसे स्वयं पढ़ लिया था और हुकुम सिंह जी के कहने पर आपको बोलने का मौका दे दिया और संसदीय कार्य मंत्री का जवाव भी आ गया तो और क्या शेष रह गया है ?

भाजपा के सदस्यगण--

संसदीय कार्य मंत्री ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह ठीक नहीं है। हमें हर बात पर धमकी स्वीकार्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो कहा था कि मैं इसका निराकरण करा दूंगा लेकिन जब आपने अपनी बात कह ली और संसदीय कार्य मंत्री ने उस पर कहा कि मुझे खेद है, कष्ट है और चिन्ता है, इसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग विधायक हैं, हम लोग केवल अपने बेटे-बेटी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए आते हैं तो इसमें कौन सी उत्तेजना की बात आ गई ?

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपने मौका दिया था, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय सदस्य ने अपनी पीड़ा रखी और संसदीय कार्य मंत्री उस पर व्यंग्य करें, कटाक्ष करें, यह ठीक नहीं है। जिस प्रकार से आपने कहा, उस तरीके से वह भी कह सकते थे, लेकिन कटाक्ष करके हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जायेगी, अगर हमने अपने बच्चों के बारे में कोई बात कह दी तो उस पर तफरीह की जायेगी, यह उचित नहीं है। हम कुछ मांग नहीं रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री यह भी कह सकते थे कि इस पर जांच कराऊंगा, इसे दिखवा लूंगा। मान्यवर, यदि हम लोग अपनी बात ही नहीं कह पायेंगे तो हम आखिर किस लिए आये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रकरण की खुद छानबीन करा लूंगा, अब आप लोग कृपया बैठ जाएं। यह असरकारी दिवस है, क्यों आप व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, हम लोगों को कहां सुना जा रहा है ?

श्री कुँवर भरतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य पर कटाक्ष किया गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल बोलने के लिए अपने आसन पर खड़े हैं इसलिए आप लोग अपने-अपने आसन पर चलें।

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर वेल में आये हुये सभी सदस्यगण अपने-अपने आसन पर चले गये।)

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

अगर छापा मरवा लें तो इन्हीं लोगों की दुकानें होंगी जहां नकली दवाओं का कारोबार होता है।

श्री अध्यक्ष--

रिजवी साहब, आप बैठिये। आप अनावश्यक बोलते रहते हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

* नेता, विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

इस सदन में अगर एक विधायक, वह भी दलित वर्ग का विधायक है . . .

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

अध्यक्ष जी दलित वर्ग के हैं तो क्या इनको तनख्वाह नहीं मिलती है ? इनको इतनी तनख्वाह मिलती है कि कहीं भी इलाज करा सकते हैं। दूसरे इलाज कराने पर जो पैसा खर्च होगा वह भी वापस मिल जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अब आप मुझे विवश न करें। मैं आपको बार-बार चेतावनी दे रहा हूं।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, अनुशासन कायम रखने का एक उदाहरण प्रस्तुत करिये और इन मंत्री महोदय को भी बाहर निकलवाइये।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

अनुशासन तो दोनों तरफ से चलेगा।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने बैठे हुए बताया कि ये मंत्री नहीं हैं।)

श्री लालजी टण्डन--

अगर चेयरमैन हों तो चेयरमैनी छोड़कर बैठें। मैं यह कह रहा हूं कि वह दलित वर्ग का विधायक है और उसके बच्चों का मामला है तो यहां संवेदना के बजाय व्यंग्य उड़ाया जायेगा। अगर कोई भी संवेदनशील सरकार है तो यह कहने में क्या आपत्ति है कि इसको गम्भीरता से लेंगे ? जब एक विधायक के साथ यह हो सकता है तो प्रदेश के करोड़ों गरीबों के साथ क्या हो रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है ? माननीय सदस्य ने अपने बच्चों के माध्यम से गरीबों का ही मसला उठाया है। आप कह रहे हैं कि यह गरीबों के साथ होता, जब इनके साथ यह हो रहा है तो उन गरीबों के साथ क्या हो रहा होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है ? सरकार की तरफ से तो यह कहा जाना चाहिए था कि जिन्होंने यह गुनाह किया होगा उन्हें सजा दी जायेगी, उसकी जांच करायी जायेगी। आप उसकी वकालत नहीं करते। मैं छोटी बातों पर नहीं जाता हूं। हमारी केन्द्र में जब सरकार थी तो हमने यह बिल पास करने की बात कही थी कि जो नकली दवायें बेचते हैं, उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, व्यंग्य उड़ा रहे हैं। यह कहने के बजाय कि हम तुम्हारे साथ हैं। जो तुम्हारे बच्चों के साथ हुआ है उसकी जांच करायेंगे और जो रिजल्ट आयेगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे और अगर नकली दवाओं का कोई रैकेट भी है तो पकड़ेंगे। यह कहने के बजाय आप यह कह रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं। वह अपने माध्यम से सारे गरीबों की आवाज कह रहे हैं, जो आज अस्पतालों में लूट हो रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में आपने गरिमामय आसन लिया है तो सारे सदस्यों के प्रति मर्यादा और शालीनता होनी चाहिए। माननीय सदस्य ने गम्भीर बात रखी है उसके दो बच्चे अस्पताल गये और दोनों को दवा रियेक्ट कर गयी। जब सदस्य ने यहां अपनी बात रखी तो आपको गम्भीरता के साथ उत्तर देना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, गम्भीरता तो इस प्रश्न की हो गयी और इस ऐतबार से हो गयी कि नेता विराधी दल ने बहुत गम्भीर रूप से इसको रखा है इसलिए कि माननीय विधायक के बच्चों का मामला है और इनके दल के हैं। इससे ज्यादा गंभीर बात क्या होगी उन्होंने इसे भी ईशू बनाया कि वह दलित का बच्चा है। इस प्रदेश की दलित की बेटी मुख्य मंत्री रही हैं और आप उनके सहयोगी दल रह चुके हैं, आपने उनको मुख्य मंत्री बनाया था। मान्यवर, आप कार्यवाही निकाल कर देख लें, मुझ जैसे आदमी से यह खता हो गयी कि मैंने गरीब के बच्चे के लिये कहा। आप कार्यवाही निकाल कर देख लें सबसे पहले मैंने हमदर्दी का इजहार किया है और उसी के साथ मैंने गलती से उन गरीब बच्चों

का जिक्र कर दिया है जिनके लिये हमारा पहला दायित्व है। अगर मैंने यह गलती से कह दिया है तो माननीय नेता विरोधी दल, मैं उसके लिये माफी मांगता हूं। मैंने यह भी गलती की है कि मैंने उनकी जबान को अपने मुंह में डालकर क्यों नहीं बोला ? मैंने गरीब बच्चों की हिमायत की है। यह सरकार जिनकी है उस सरकार ने गरीब बच्चों का पर्चा 1 रुपये का किया है जबकि आपने उनका पर्चा 8 रुपये किया था, इसके लिये मैं भा0ज0पा0 को मुबारकबाद देता हूं। मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई और देश की अखंडता के लिये अपने बच्चों की हंसकर कुर्बानी दी थी। लेकिन अपने बच्चों की कुर्बानी देते हुये उन्होंने कभी नहीं सोचा कि दूसरे भी अपने बच्चों की कुर्बानी दें। मैं मुबारकबाद देता हूं हुकुम सिंह जी को और माननीय नेता विरोधीदल को कि विधायक के बच्चे के लिये वह बहुत परेशान हैं। मैं इस गलती के लिये माफी मांगता हूं कि उनके इस जज्बे के खिलाफ मैंने गरीब के बच्चे की हिमायत की। यह सरकार उनके लिये वचनबद्ध है, इस सरकार का पहला दायित्व है उन बच्चों के लिये जो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं हैं दूसरे के जिस्म का हिस्सा हैं।

श्री हुकुम सिंह--

आप 8 रुपये की जगह 1 रुपया ले रहे हैं लेकिन जहर खिला रहे हैं वहां पर।

श्री छोटे लाल वर्मा--

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं, आप बैठिये।

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि राज्य सभा, विधान परिषद्, न्याय पालिका एवं निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण लागू किये जाय" के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा प्रस्तुत संकल्प (क्रमागत)†।

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने माननीय इंद्रजीत सरोज द्वारा रखे गये संकल्प पर विचार रखने का मौका दिया। श्री सरोज जी ने राज्य सभा, विधान परिषद, न्याय पालिका एवं निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिये आबादी के आधार पर आरक्षण लागू करने का संकल्प प्रस्तुत किया है। मान्यवर, आरक्षण का कांसेप्ट, आरक्षण की अवधारणा जनसंख्या के आधार पर हमेशा से रही है और बाबा साहेब डा0 भीमराव अंबेडकर ने 1932 में गोलमेज सभा लंदन में इस बात पर जोर दिया था कि दलित वर्ग की आबादी अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी कुल आबादी का पांचवा भाग है उनको शासन और प्रशासन में समुचित भागीदारी मिल सके इसलिए उनके लिए सीटें मुकर्रर की जानी चाहिए। आरक्षित कर दी जानी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से इसको स्वीकार किया था। 18 अगस्त, 1932 को कम्युनल अवार्ड के नाम से उन्होंने इसकी उद्घोषणा की परन्तु तत्कालीन कुछ नेताओं को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह आमरण अनशन पर बैठ गए। 24 सितम्बर, 1932 को यर्वदा जेल में बाबा साहेब डा0 भीम राव अम्बेडकर और कांग्रेस के नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना गया।

---

†टिप्पणी :--दिनांक 6 अगस्त, 2004 की कार्यवाही।

(इस समय 2 बजकर 11 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

अध्यक्ष जी पूना पैक्ट की अवधारणा गरीबों के आधार पर नहीं है यह जनसंख्या के आधार पर है। आनुपातिक भागीदारी का विषय है इसलिए लोक सभा और विधान सभा में पूना पैक्ट की शर्तों के आधार पर आरक्षण प्रारम्भ हुआ और संविधान के अनुच्छेद 334 के आधार पर लोक सभा में और विधान सभाओं में चालू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 335 के आधार पर सरकारी नौकरियों में भी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रारम्भ हुआ। परन्तु मान्यवर, दुख है कि राज्यसभा में और विधान परिषद् और न्यायपालिका में, निजी क्षेत्र में यह आरक्षण प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इस तरह से पूना पैक्ट की शर्तों का उल्लंघन हुआ। मैं श्री इन्द्रजीत सरोज का धन्यवादी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को संकल्प के माध्यम से लाने का काम किया है और एक सराहनीय काम किया है। आज जो राजनीतिक दल हैं वह लोक सभा और विधान सभा के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनके लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को टिकट देने की उनकी बाध्यता है, मजबूरी है क्योंकि वहां पर दीगर लोग चुनाव लड़ नहीं सकते हैं इसलिए वहां पर वह अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को टिकट देते हैं लेकिन ऐसी जगहों पर इन वर्गों के योग्य और काबिल लोगों को टिकट नहीं दिए जाते हैं जिनकी सेल्फ वाइस हो। राजनीतिक दल एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो उनके इशारे पर चलें। जो मास्टर वाइस के आधार पर बोलें इनको टिकट दिया जाता रहा है। हालांकि समाज में जागृति आई है और सेल्फ वाइस को मजबूती के साथ रखने वाले तमाम लोग विधान सभाओं और लोक सभा में आए हैं। लेकिन राजनीतिक दलों का चेहरा इस बात से बेनकाब होता है कि राज्यसभा और विधान परिषद् में अनुसूचित जाति के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है और न ही उनको चुनकर भेजा जाता है। सभी राजनीतिक दल चाहें वह राष्ट्रीय हों या क्षेत्रीय उनकी नीयत साफ नहीं है। वह दलित वर्गों को राजनीतिक भागीदारी देने की मंशा नहीं रखते हैं। इसलिए वह राज्यसभा और विधान परिषदों में उनको टिकट देने का काम नहीं करते हैं। इसलिये माननीय सरोज जी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया। राज्य सभा और विधान परिषद् में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए।

आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो यह किसी के सामने गिड़गिड़ाने वाली बात नहीं है, कोई कन्सेशन नहीं है, कोई रियायत नहीं चाहते हैं। हम आनुपातिक भागीदारी की बात करते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो किसी वर्ग के अधिकार पर कोई कुठाराघात नहीं करते हैं बल्कि हम तो यह कहते हैं कि हमारा देश जो विभिन्न जातियों में बंटा हुआ है और यह जातियां 2/3 साल से नहीं चल रही हैं बल्कि यह तीन हजार साल से चल रही हैं। जातियां बनाकर भारत के मूल निवासियों को बांट रखा है ताकि वे आपस में लड़ते झगड़ते रहें। भारत के मूल निवासियों को आपस में लड़ाने के लिये जातियों की संरचना की गई। आज हमारे देश में, हमारे, समाज में जिनको शूद्र कहा गया है। उनको छः हजार जातियों में बांटा गया है। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियां आती हैं। आज हमारे शासन और प्रशासन में इनकी भागीदारी न्यून है। आज आजादी के 57 साल बाद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी न तो राज्य सभा में है, न विधान परिषद् में है, न निजी क्षेत्रों में। कहीं भी इनकी भागीदारी देखने को नहीं मिलती है। इस संकल्प का मूल सार यह है कि जब हम इनकी भागीदारी की बात करते हैं तो गरीबी के आधार पर नहीं करते हैं। हम कोई रियायत की बात नहीं करते हैं। जब हम इनकी भागीदारी की

बात करते हैं तो अनेक मनीषियों का ऐसा तर्क होता है जिससे मुझे बड़ा दु:ख होता है वे गरीबी की बात करते हैं।

मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-334 और 335 को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज चूंकि राज्य सभा और विधान परिषद् में इन वर्गों के लोगों का प्रतिनधित्व नहीं हो पाया है, इसका मतलब यह नहीं है कि इन वर्गों के लोग काबिल नहीं हैं या उनमें योग्यता की कमी है। आखिरकार यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आई0ए0एस0 के पद पर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति से योग्य लोग मिल जाते हैं और राज्य सभा और विधान परिषद् और न्यायपालिका के लिये काबिल लोग नहीं मिलते हैं और निजी क्षेत्र में भी नहीं मिलते हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जो लोग व्यवस्था को संचालित करने वाले हैं, जो लोग मुख्य जगहों पर बैठे हैं उनकी मंशा साफ नहीं है। जहां पर बाध्यता होती है, रिपोर्ट देनी होती है, अपना चेहरा दुनिया के सामने दिखाना होता है तो आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 और पी0सी0एस0 की पोस्ट पर तो आरक्षण का कोटा पूरा हो जाता है, काबिल लोग अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के मिल जाते हैं लेकिन नीचे के पदों पर कोई इन वर्गों का काबिल व्यक्ति नहीं मिलता है। राज्य सभा और विधान परिषद् के लिये कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिलता है। आज भी हम देश के अन्दर जातिवाद को चला रहे हैं, इसके लिये सारे लोग जिम्मेदार हैं। इसलिये मा0 उपाध्यक्ष जी, इसमें साफ सीधी बात है कि इस सदन में बहुमत से सत्ता पक्ष से और विपक्ष से एक प्रस्ताव पास हो। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही लोक हित का मामला है, संवैधानिक है, संविधान को जिस रूप में हमने स्वीकार किया है उसका यह प्राण है। आज राज्य सभा और विधान परिषद्, न्यायपालिका और निजी क्षेत्रों में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसको केवल आई0ए0एस0 या नौकरशाही में ही सीमित रखा जाय न्याय पालिका में भी इनको भागीदारी मिलनी चाहिए और मान्यवर, राज्य सभा, विधान परिषद्, न्याय पालिका में और निजी क्षेत्र में भी जहां पर मैनेजमेंट है। आखिरकार निजी क्षेत्र में हम आरक्षण की बात क्यों करते हैं ? क्योंकि सरकार निजी क्षेत्र में ऋण देकर उनको चला रही है। सरकार अरबों रुपया उनको दे रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए। निजी क्षेत्रों में सरकार का धन लगा है इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के माध्यम से सरकार के खजाने में जाता है, जो निजी क्षेत्रों में लगा है। वहां आनुपातिक व्यवस्था होनी चाहिए।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आनुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस सदन के द्वारा बहुमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार करके केन्द्र सरकार को भेजा जाए ताकि केन्द्र सरकार द्वारा इसमें बिल लाकर इसको कानून के रूप में पास किया जा सके। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आजादी के इतने साल के बाद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी इस पर हमेशा से जोर देती चली आ रही है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी। तब से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने का काम किया है। जन चेतना और जन जागृति लाने का काम किया है। जन आन्दोलन खड़ा किया है। इसलिए उपाध्यक्ष जी, पुरजोर अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि देश में आनुपातिक भागीदारी होनी चाहिए। यदि जातियों को समाप्त करने के प्रति गम्भीर है। तो इंटरकास्ट, अन्तर्जातीय विवाह होने चाहिए। हम बातें तो बहुत करते हैं जातिवाद खत्म होना चाहिए लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आनुपातिक भागीदारी हो। और आनुपातिक भागीदारी प्रत्येक जगह पर होनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस संकल्प के प्रस्ताव पर जोर देता हूं, बल देता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास कराकर केन्द्र सरकार को भेजा जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इंद्रजीत सरोज जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस प्रस्ताव पर वल देता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा हो यह पूरा का पूरा सदन इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास करे। राज्य सभा, विधान परिषद्, न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर आबादी को आधार मानकर आरक्षण लागू किया जाए इसलिए यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, भारतीय परिवेश में जो यहां का सामाजिक भौगोलिक वातावरण है इसके रहते यह अति आवश्यक हो गया है क्योंकि हमारा यह देश ऐसा देश है जहां कुछ स्वार्थी ताकतों ने, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस देश को जातियों में बांट दिया है। यहां इंसान की जाति इंसानियत से नहीं उसके कार्यों से नहीं बल्कि उसके जन्म से मानी जाती है और जाति बनाने वाले लोगों ने जाति बनाकर देश के बहुसंख्यक लोगों को अपमान की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है। यहां समय-समय पर धर्म के ठेकेदारों ने इस देश में मेहनत मशक्कत करने वाले लोग, जो इस देश के करोड़ों -करोड़ लोगों के लिए धरती को फाड़कर अन्न खिलाने का काम करते हैं, मान्यवर, खून-पसीने से मेहनत करके बड़े-बड़े मिल, कारखाने तैयार किया करता है। मन्दिर, गिरजाघर और गुरूद्वारा बनाया करता है लेकिन यह जो ईश्वर की जगह होती है, मन्दिर, गुरूद्वारा, गिरजाघर और मस्जिद, यह जो मजदूरों के बलबूते पर बनकर तैयार होती है लेकिन यहां की जाति व्यवस्था में है कि इन्हीं मजदूरों को शूद्र कहकर, उन्हें अपमानित करके बाहर खदेड़ दिया जाता है। यह वह सामाजिक व्यवस्था है जहां के सामाजिक व्यवस्थाकारों ने अपनी तथाकथित धार्मिक पुस्तकों में भी लिख दिया है कि शूद्र को पूजन मना है। यहां पर एक वर्ग विशेष को सबसे ऊपर बैठाने का काम किया गया है और अन्य सभी जातियों को दूभर जिन्दगी जीने के लिए मजबूर किया गया है। मान्यवर, यहां के सामाजिक व्यवस्थाकारों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। यह स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहा है, यह उसकी पीड़ा बोल रही है। यहां के सामाजिक व्यवस्थाकारों ने लिखा है 'ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जहां पर ऐसी व्यवस्था हो, ऐसे लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए और अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए ऐसे धर्म को हमारे ऊपर थोपने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, इस व्यवस्था में पूरीकी पूरी इन्सानियत, पूरी की पूरी मानव जाति को टुकड़ियों में बाँट दिया गया। यहां पर उम्र भी कोई मायने नहीं रखती है। यहां के सामाजिक व्यवस्थाकारों के मुताबिक अगर आप पहली कतार की कैटैगरी में नहीं आते हैं तो नीच कहलाते हैं।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

इतनी अवमानना न करिए, सदन की। आपको अगर उचित नहीं लग रहा है तो लॉबी में चले जायें।

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

मान्यवर, बन्दर पालने पड़ेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका प्रसाद चौधरी)--

मान्यवर, बन्दर पालने की बात ठीक नहीं है, अगर आवश्यकता हो तो स्वयं बन्दर हो जाना चाहिए माननीय सदस्य को।

श्री उपाध्यक्ष--

दोनों माननीय सदस्य अपने में तय कर लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, सामाजिक व्यवस्था के नाते यहां वर्ग विशेष के लोगों ने अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए सारे समाज को जातियों में बांट दिया। यहां तक कि उम्र का भी कोई मायने नहीं रह गया है। यहां जाति के सामने उम्र और गुण भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए व्यवस्थाकारों ने लिखा है कि 'पूजहिं बिप्र सकल गुण हीना। पूजहिं न शूद्र सकल गुण ज्ञान प्रवीना।' मान्यवर, शूद्रों की बात तो मैं बाद में करता हूं, क्षत्रिय जिसको यहां द्वितीय स्थान पर रखा गया है। मान्यवर, चूंकि क्षत्रिय द्वितीय स्थान पर रखे गये जिसमें 100 साल का क्षत्रिय 5 साल के ब्राह्मण के सामने बेटे के समान था। यानी 100 साल का बूढ़ा 5 साल के ब्राह्मण को बाप कहे। ब्राहमण के प्रभाव से जाति के आधार पर क्षत्रिय, शूद्र और भी नीचा हो जाता था और क्षूद्रों में अनुसूचित जाति के लोगों की क्या हालत होगी, जब मान्यवर, 100 साल के क्षत्रिय को 5 साल के ब्राहमण के बाप कहने के लिए मजबूर किया जाता था, तो अनुसूचित जाति के लोगों की क्या हालत होगी। उनकी क्या हालत होगी जो जाति के अपमान में जिन्दगी दर-दर की ठोकर खाकर जीते हैं।

मान्यवर, यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है यह केवल संकल्प नहीं है बल्कि हमारा जो संविधान है जिसके तहत यह देश चल रहा है उसके तहत यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया है जिसमें जाति-पांति, धर्म, भेदभाव, ऊंच-नीच का कोई स्थान नहीं है। उसमें सभी इन्सानों को बराबर का हक दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि जो लोग सैकड़ों सालों से जाति के नाम पर अपमानित किये गये हों, शिक्षा, सम्मान से वंचित किये गये हों उन लोगों को सत्ता में आरक्षण की व्यवस्था करके उनको सत्ता में भागीदार बनाया जाये और जो लोग उपेक्षा के शिकार हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाये।

मैं आपके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 332 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि 'राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण'। इसमें अनुच्छेद 332 के खण्ड 3 में खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।' मैं कहना चाहता हूं कि जो भारतीय व्यवस्था रही है जो भारतीय संविधान लागू होने के पहले यहां गैर बराबरी का समाज रहा है उस गैर बराबरी समाज के चलते इस

आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसलिए इस संकल्प की आवश्यकता है और यह समय की मांग भी है और इसके साथ ही इससे समतामूलक समाज बनाने में मदद मिलेगी और समाज के उपेक्षित लोगों को विकास की धारा में आगे आने का मौका मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज नेता सदन की कुर्सी पर माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी बैठे हैं। अगर भारतीय संविधान नहीं होता, तो आज इस कुर्सी पर माननीय मुलायम सिंह यादव या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को बैठने का मौका नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के चलते दलित, शोषित, पिछड़े लोगों को आगे आने का मौका मिल रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसमें आरक्षण आबादी के आधार पर लागू किया जाय। जिस समय संविधान लागू किया गया था उस समय जो आवादी थी उसके परिप्रेक्ष्य में यह रखा गया था लेकिन अब यह आनुपातिक आबादी में बढ़ोत्तरी हो रही है तो उसके आधार पर यह लागू किया जाय। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का जो आबादी का लगभग 54 प्रतिशत बनता है उसके मुताविक विधान सभा में, विधान परिषद् में, लोक सभा और राज्य सभा, न्याय पालिका के क्षेत्रों में तथा निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे इन लोगों को भी बराबरी का मौका मिले और इनका उत्थान हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो निजी संस्थान है उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। मेरी मांग है कि ऐसे संस्थान, जिसमें सरकार की सहभागिता हो, जिसमें सरकार का अंशदान रहता है और जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं ऐसे निजी संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम ये इस सरकार से अपील करता हूं कि इस सदन से सर्वसम्मति से इस पर मोहर लगायें और पास करें। उत्तर प्रदेश जो 17 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है यहां पर बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग आते हैं उनके आधार पर आरक्षण व्यवस्था की जाय, जिससे इन समाज को विकास में जुड़ने का मौका मिलेगा और उनको भी सम्मान मिल सकेगा और जो समतामूलक समाज बनाने की आपकी कल्पना है वह भी पूरी हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं।

*श्री वसीम अहमद--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण देने की बात कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि उन्हें आरक्षण देना चाहिए। लेकिन जब आरक्षण की बात कही जा रही थी और संविधान सभा बैठी थी तो उस समय उन लोगों को छोड़ दिया गया जो माइनारटीज के लोग थे और इस श्रेणी में आते थे। मुस्लिम समाज में जो हलालखोर हैं और जो डोम है, यह एक ही काम करते हैं, इन दोनों को छोड़ दिया गया। इनको भी आरक्षण दिया जाय। मैं डा0 भीमराव अम्बेडकर की बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन इसमें इन्होंने ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया जो इस तरह का काम करते हैं। मुसलमानों में धोबी समुदाय को भी इसमें नहीं जोड़ा गया। जो हमारे यहां नान माइनारटीज सोनकर हैं, जिनको कुंजड़ा कहा जाता है, जो फल, सब्जी, बेचते हैं उनको भी आरक्षण नहीं दिया गया। मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि नट, धोबिया और पछिया जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो भीख मांगने का काम करते हैं उनको भी आरक्षण नहीं दिया गया है। हम यह कहना चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा के अंदर जो इनके साथ पक्षपात किया गया है और आज भी होता चला आ रहा है, विधान सभा की मोहर लगायी जानी चाहिए और केन्द्र सरकार को भेजा जाना चाहिए। जो माइनॉरिटीज के लोग हैं और इस तरह की व्यवस्था में आते हैं, उनको भी उसमें शरीक किया जाएगा। जो जाति के आधार पर अनुसूचित जाति की तरह से रहते हैं आज भी उनकी अनदेखी हुई है उनको भी आरक्षण देने का काम होगा। माननीय सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं आज जब मुस्लिम समाज का वोट लेने की बात होती है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं मुसलमानों के वोट लेने के लिए। हमारे यहां इंगित किया जाता है कि सिर्फ पण्डित का लड़का ही बड़ा है ठाकुर के लड़के से, पण्डित का लड़का चाहे चार साल का ही क्यों न हो फिर भी वह सभी से बड़ा है। मान्यवर, इन लोगों ने इतनी बड़ी भूल की है यह लोग मुसलमानों के वोट तो पूरे के पूरे लेना चाहते हैं लेकिन मुसलमानों को यह लोग पीछे ढकेलने का काम करते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिनका मैंने पूर्व में जिक्र किया है उनको भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में रखा जाए और उनको भी आरक्षण प्रदान किया जाए।

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं माननीय वसीम साहब का और सम्पूर्ण सदन का ज्ञानार्जन किए दे रहा हूं कि बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर, इस व्यवस्था के लिए कहीं भी दोषी नहीं है। इस व्यवस्था के लिए लार्ड लाथियन कमेटी और साइमन कमीशन बनाया गया था और इसमें बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर नहीं थे। मैं माननीय सदस्य वसीम साहब को एक सुझाव देना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक संकल्प ले आयें।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, आप कृपया बैठ जायें।

श्री घूराराम--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, आपने माननीय इन्द्रजीत सरोज द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा करने का मुझे अवसर दिया है, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, माननीय इन्द्रजीत सरोज जी जो संकल्प लाये हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। हमारे माननीय सदस्य डी0 प्रसाद जी, बसपा के विधान मण्डल दल के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बातें इसके सम्बन्ध में रखी हैं मैं उस पर बल देता हूं और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं जाति और धर्म का पक्षधर नहीं हूं मैं पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि आदमियों में कोई जाति नहीं होती है, निश्चित रूप से चाहे भगवान ने बनाया हो, चाहे प्रकृति ने बनाया हो, चाहे जैसे भी यह व्यवस्था आई हो, आदमी की एक ही शक्ल-सूरत भले ही न हो, लेकिन खून में कोई भेद नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह भारत बहुत बड़ा है, दुनिया में सबसे बड़ा भारत था, लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश की ऐसी व्यवस्था थी जिनकी कमियों के कारण तमाम विदेशी लोग इस देश में आए जैसे चाहे हूण लोग रहे हों, यूनानी लोग, पुर्तगाल, अंग्रेज, मुगल आदि लोग रहे हों तमाम लोग यहां सोने की चिड़िया भारत को देखने के लिए आए लेकिन हमारे यहां डिवाइड एण्ड रूल देखा और इसी का फायदा उठाते हुए यहां पर शासन किया। इस विशाल भारत को बांट दिया। आज हमारा भारत दस भागों में बंटा हुआ है। इन्हीं कमियों के कारण, जाति और धर्म के आधार पर यहां लड़ाइयां लड़ी गयीं और तमाम विषमताओं के कारण यह भारत बांटा गया

मान्यवर, इन्हीं तमाम विषमताओं के कारण जब यहां पर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे उस समय भी तमाम विषमतायें व्याप्त थीं और इस भारत के तमाम लोगों ने जो इस भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, फांसी के फंदे पर चढ़े, और गोलियां खायीं ओर उसमें बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर जी ने भी चिन्ता व्यक्त की और इस पर चिन्तन-मंथन किया था ताकि पुन: भारत के लोग कहीं डिवाइड न हो जाये। अभी जो वसीम अहमद साहब ने चिन्ता जाहिर की है उसमें बाबा साहेब का कहीं कोई विरोध नहीं रहा। मान्यवर, 1928 में साईमन कमीशन ने अंग्रेजों के हिसाब से जातियों के आधार पर आरक्षण से संबंधित अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी चर्चा हुई थी। उसमें तमाम जातियों के बारे में बात हुई थी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्प संख्यकों के बारे में उसमें चर्चा हुई थी।

उस राष्ट्रीय अधिवेशन में उस समय बाबा साहेब और दूसरे तमाम राजनीतिक लोगों ने भाग लिया था। उस समय बाबा साहेब ने एक ड्राफ्ट बनाया था कि निश्चित रूप से भारत में जातियों के आधार पर एक आरक्षण की व्यवस्था बनायी जाय, जिसके अन्तर्गत 10 वर्ष तक आरक्षित वर्ग के लोगों को लाभ मिले और एक व्यवस्था यह भी रखी गयी कि उन लोगों को दो वोटों का अधिकार मिले। यह व्यवस्था इसलिए बनायी गयी थी कि उस अवधि के बाद एक समता मूलक समाज की व्यवस्था कायम हो सकेगी और जाति विहीन समाज की स्थापना हो जायेगी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी बात को लेकर मान्यवर कुछ राजनीतिक लोग अनशन पर भी गये। इसमें पूना पैक्ट भी हुआ। उस समय बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी ने संविधान में इसकी व्यवस्था की बात कही। उसी के तहत एक आर्टिकल 339 दिया गया, जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी कि जब सदन में इस पर चर्चा हो, वह चाहे अल्पसंख्यक समाज के बारे में हो या अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के बारे में हो, उसके अन्तर्गत वह आरक्षण की व्यवस्था लायी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री घूरा राम--

मान्यवर, यह बात हुई कि निश्चित रूप से जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है, जातियों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए।

मान्यवर, निश्चित रूप से माननीय इन्द्रजीत सरोज जी ने जो संकल्प रखा है जिसमें उन्होंने यह बात निश्चित रूप से रखी है कि सरकार द्वारा जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षण का लाभ दिये जाने की बात रखी गयी है और जिसके अन्तर्गत विधान सभाओं और लोक सभा में एक आरक्षण की व्यवस्था लागू है, जिसके तहत सदस्य चुनकर आते हैं और वह विद्वान सदस्य सदन में आकर अपनी बातें रखते हैं लेकिन वह आरक्षण की व्यवस्था राज्य सभा और विधान परिषदों में नहीं है। वह व्यवस्था न्यायपालिक में नहीं है और निजी क्षेत्रों में नहीं है। वहाँ पर भी यह आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि पूरे सदन को इस व्यवस्था को लागू करने पर निश्चित रूप से बल देना चाहिए और यहाँ से यह प्रस्ताव पास होकर केन्द्र सरकार को जाना चाहिए। मान्यवर, न्यायपालिका में भी आरक्षण की बात लागू करने की बात आयी थी और पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी इस बात को रखा था लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने उसका विरोध कर दिया ताकि यह व्यवस्था न्यायपालिका में लागू न होने पाये।

मान्यवर, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, क्योंकि बाबा साहेब ने यह व्यवस्था दी है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री घूरा राम--

लेकिन जो स्थिति है उसके अनुसार से अब न्यायपालिका में, निजी क्षेत्रों में, राज्य सभा और विधान परिषदों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इस पर बल देता हूं और पूरे सदन से अनुरोध करता हूं कि इस चर्चा को यहां से पास करके केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय इन्द्रजीत सरोज द्वारा रखे गये संकल्प पर बल देता हूं।

श्री मुन्शी लाल गौतम--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने माननीय इन्द्रजीत सिंह सरोज द्वारा लाये गये संकल्प "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि राज्य सभा, विधान परिषद, न्याय पालिका एवं निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण लागू किया जाय" पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि हमारे लिये आरक्षण क्यों लागू हुआ, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ों के लिए आरक्षण क्यों लागू हुआ ? वह इस हिसाब से कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माता, देश की आजादी में लगे रहे लोगों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र के लिए स्वप्न संजोया था कि जिस व्यक्ति की रोजी रोटी शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान नहीं है उसको न्याय नहीं मिलता उसके साथ छुआछूत होती है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा था जिन्होंने स्कूल बनाया उसको वहां पढ़ने नहीं दिया गया, जिन्होंने कुंआ खोदा उसे उसका पानी पीने को नहीं मिला, जिन्होंने बड़े-बड़े घर और महल बनाये लेकिन उन्हें उसमें घुसने नहीं दिया गया, जिन्होंने सफाई की और गन्दी झोपड़ियों में रहे उन्हें महलों में घुसने नहीं दिया गया, उन्हें मकान में जाने नहीं दिया, जिन्होंने कपड़े अच्छे धोये, अच्छी क्रीज बनाई और खुद गन्दे फटे कपड़े पहने रहे, जिसने ईंट बनायी, ईंट पकाई और राज मिस्त्री का काम किया वह मकान में नहीं रह सका, जिसने कारखाना फैक्ट्री बनाई लेकिन वह कभी उसका मालिक न बन सका, जिसने पल्लेदारी का काम किया लेकिन वह कभी आढ़ती न बन सका। उनके साथ भेदभाव किया गया, उनके साथ छुआछूत की गयी। इस देश को माली की तरह जिसने सींचा लेकिन उसे अपमानित की दृष्टि से देखा गया। अभी हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था, मान्यवर, उधर से एक मांग आई थी, मुस्लिमों को आरक्षण दिये जाने की मांग आई थी। मान्यवर, सबसे पहला विदेशी हमला मुहम्मद बिन कासिम ने 711 ईसवी में सिन्ध पर किया और अहमद शाह अब्दाली ने 1761 ई0 में भारत पर धावा बोला, इस तरह भारत पर मुसलमानों का 762 वर्ष शासन व दबदबा रहा। इन हमलावरों के बारे में बता दे रहा हूं कि 711 ई0 में मुहम्मद बिन कासिम, 1001 ई0 में महमूद गजनी, 1173 ई0 में मोहम्मद गोरी, 1338 ई0 में तैमूर, 1526 ई0में बाबर, 1738 ई0में नादिर शाह, 1761 ई0 में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया और 1857 ई0 में मुगल वंश का अंत हुआ। मान्यवर, हमने इसलिए संज्ञान नहीं लिया कि ये तो राजा रहे, देश के मालिक रहे। अगर आज आरक्षण की स्थिति हमारे लिये बढ़ी तो इनकी देन रही। इन्होंने कहा कि उनको पीट-पीटकर भंगी बना दो, पीटते-पीटते चमार बना दो इसलिए यह वर्ण व्यवस्था पर आधारित किया गया और इसीलिए इसी आधार पर हमें यहां पर आरक्षण में ला दिया गया। मान्यवर, भारत में आरक्षण की

बात सबसे पहले 1930 के गोलमेज सम्मेलन में उठी थी। इसके ताहत सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी।

1936 में पहला आरक्षण आदेश लागू हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि भारतीय ईसाई आरक्षण के हकदार नहीं है। 1946 से 1949 तक चली संविधान सभा में भारत सरकार एक्ट 1935 के आरक्षण संबंधी प्राविधान को कुछ उलटफेर के साथ स्वीकार कर लिया गया। संविधान में मुसलमानों और पारसियों ने आरक्षण की मांग नहीं की। संविधान में आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को दिया गया। वही व्यवस्था आज तक जारी है। इसलिए मुसलमान किसी भी तरह से आरक्षण के हकदार नहीं है। वे सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। आर्थिक रूप से पिछडों के लिए मंडल कमीशन की व्यवस्था अपने आपमें पर्याप्त है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के सवाल पर दूरगामी दृष्टिकोण रखा। उसने 1989 के घोषणा पत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही। आर्थिक रूप से पिछड़ों में सभी धर्म और वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था आज भी सबसे बेहतर और लोकहितकारी है। मान्यवर, आज इसकी क्यों आवश्यकता है क्योंकि आज हमारी जनसंख्या बढ़ी है।1991 की जनगणना के अनुसार यह आरक्षण चल रहा था लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ और तो और सफाई कर्मचारियों का भी आरक्षण पूरा नहीं हुआ। आरक्षण कोटा कभी भी पूरा नहीं हुआ। इनकी आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। मान्यवर, अनुसूचित जाति लोगों के पास टी0बी0 नहीं है, केवल बीबी है, इस कारण इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इनकी संख्या इस समय 33 प्रतिशत हो गयी है, इसलिये इनका आरक्षण जनसंख्या के आधार किया जाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि बहराइच में खबर छपी, दलित से पानी का हक छीना, वहां कुंआ पटवा दिया गया और दलितों को पानी नहीं भरने दिया गया, आज भी अनुसूचित जाति के साथ ऐसा हो रहा है। लुटेरों ने बाप को पीटा और दलित बेटी से दुष्कर्म किया, अखबार वाले भी दलित बेटी छाप रहे हैं। आज भी इस तरह की अनेक घटनायें हो रही हैं। दलित बेटी से दुष्कर्म, जिन्दा जलाया गया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिसने कारखाना बनाया है। उसके बच्चों को रोजी-रोटी मिल जाय। मान्यवर, आज स्कूलों का निजीकरण हो गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी चले गये, मैं कहना चाहता हूं कि आज बच्चे स्कूलों में कटोरी चम्मच बजा रहे हैं। जहां अनुसूचित जाति के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पहले तो हम छात्रवृत्ति के लालच से सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, आज खाने के लालच में वहां अपने बच्चों को भेज रहे हैं। कोई हमारे पास स्कूल नहीं है, हम कोई भू-माफिया नहीं है, विश्वबैंक में हमारा पैसा जमा नहीं है तथा गिरोह बन्द व सरगना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विषय पर ही बोलें, संकल्प पर बोलें। वैसे भी आपकी बात आ गयी है, आप बैठ जायें।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, मैं सरकार से, इनसे (ब0स0पा0) भी और उनसे (स0पा0) से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम आरक्षण की बात करें तो सिर्फ अनुसूचित जाति की बात करें। बतायें स्पष्ट करें पूर्व मुख्यमंत्री कु0 मायावती जी अल्पसंख्यक आरक्षण की मांग करती हैं, यहां नेता जी मांग करते हैं, राम विलास पासवान जी मांग करते हैं, तो क्या अनुसूचित जाति का आरक्षण गलत है। मान्यवर, आज अनुसूचित जाति को आरक्षण की आवश्यकता है। जो माननीय इन्द्रजीत सरोज जी

का संकल्प है, मैं उस पर बल देता हूं और आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारा आरक्षण पूरा किया जाय और आबादी के अनुसार आरक्षण व्यवस्था की जाय।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी के खड़े होने पर)

श्री राम करन आर्य--

मान्यवर, मुझे भी इसमें बोलने का अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

इस संकल्प पर 55 मिनट हो चुके हैं, मैं इसके बाद माननीय मंत्री जी को बुलवाऊंगा। अगला संकल्प भी यही है, आप उस पर बोल लीजियेगा।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, कि आपने मुझे श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा रखे गये संकल्प पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हम लोग भी संघर्ष में रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि समाज में जो गैरबराबरी है, उसे समाप्त किया जाए। चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर लोगों पर जहां कहीं भी जुल्म-सितम हुआ है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। हमारी पार्टी के वसीम अहमद ने जो विचार रखे हैं, वह भी बहुत ही विचारणीय हैं। आज समाज के कमजोर आदमी केवल अनुसूचित जाति के ही नहीं हैं। अगर संकल्प में यह भी बात आ जाए कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर एम0एल0ए0, एम0एल0सी0, आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 हो गया है, उसे आरक्षण का फायदा न दिया जाए बल्कि समाज के जो कमजोर दबे-कुचले लोग हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए तो मैं भी इस संकल्प का स्वागत करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को हम भी मानते हैं, कोई भी पार्टी, चाहे वह भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी ने कभी अम्बेडकर का विरोध नहीं किया है। अम्बेडकर की जो सोच थी, उस सोच में वास्तव में गरीब की पीड़ा उनके दिल में थी। लेकिन अम्बेडकर को कोई एक पार्टी नेता बनाकर प्रस्तुत करे और पण्डित जी के खेत में जबरन अम्बेडकर की मूर्ति खड़ी कर दें, यह बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसे उदाहरण मेरे क्षेत्र में भी है।

श्री उपाध्यक्ष--

मान्यवर, आप केवल संकल्प पर बोलिये।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मान्यवर, अम्बेडकर साहब को जबरन हमारी जमीन पर रखने का काम करते हैं और कहते हैं कि दलितों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। आखिर अपने यहां पर क्यों नहीं रख लेते ? अपनी छत पर क्यों नहीं रख लेते ? दूसरे की जमीन पर जबरन रखकर बाबा साहब को अपमानित करने का सबसे ज्यादा काम यह लोग कर रहे हैं। आज मुस्लिम बिरादरी के लोग सबसे ज्यादा मैला धोने का काम करते हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान धोबी का काम करते हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान रिक्शा चलाने का काम करते हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान मोची का काम करते हैं लेकिन आज तक न तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इधर ताका और न ही दूसरे लोगों ने। बैकवर्ड में तो दो-चार जातियां आ भी गई हैं, लेकिन जो मैला उठाने, रिक्शा चलाने, शादी-ब्याह में बाजा बजाने का काम मुसलमान

लोग करते हैं, कभी किसी ने उनकी आवाज को नहीं उठाया। आजम खां साहब की हर बात पर बवाल खड़ा कर देते हैं, जब अन्य बिरादरी के दबे लोगों के लिए कोई बात की जाती है तो यह लोग खड़े हो जाते हैं। जो लोग क्रीमीलेयर बन गये, जो लोग ऊपर उठ गये हैं, वह अपने लिये ही यह सब करेंगे कि कैसे मंत्री बन जाएं, इसके लिये यह संकल्प लाया गया है। हमारी पार्टी हर बिरादरी को टिकट देती है, हमारी पार्टी में कितनी अनुसूचित जाति की महिलाएं चुनाव जीतकर आती है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बहुत ही कमजोर मुसलमान हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनको भी अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाए और उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, केवल बाबा साहब के नाम पर राजनीति न की जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी बात आ गई है।

श्री किरनपाल कश्यप--

माननीय उपाध्यक्ष जी, रिजवी साहब के पहले मुंशी लाल गौतम जी बोल रहे थे और उन्होंने एक बात पर चिन्ता व्यक्त की है। भारत एक विकासशील देश है और उसमें बहुत तेजी के साथ जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उन्होंने इस पर चिन्ता जताई है। अनुसूचित जाति को पहले से ही 18 फीसदी आरक्षण देने का प्राविधान है, ये 18 से 33 फीसदी पर आ गये। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि करने के अलावा और भी कोई विकास किया है, यह मैं मुंशी लाल गौतम जी से जानना चाहता हूं।

(श्री मुंशी लाल गौतम के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप आसन ग्रहण करें।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने आपका नाम लिया है लेकिन मैं मना कर रहा हूं, आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और अनेक विद्वान सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। श्रीमन्, बगैर किसी का नाम लिये और बगैर टिप्पणी किये हुये एक बात जरूर करना चाहता हूं कि जो कुछ हम कहते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले एक-एक शब्द पर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का बहुत मूल्यवान धन खर्च होता है और हमसे अपेक्षा इस बात की की जाती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक उसी तरह से समझें जितना जिम्मेदार समझ करके यहां भेजा गया है और कई बार उसमें छोटी-बड़ी चूक भी हो जाती है। ऐसे गम्भीर संकल्प पर चर्चा के दौरान कुछ ऐसी बाते आयीं बल्कि ज्यादातर ऐसी बातें आयीं जिनका इस संकल्प से कोई लेना-देना नहीं था। एक दूसरे पर आक्षेप किये जाने से ऐसा लगा कि किसी एक खास, जाति-विशेष का कोई एक व्यक्ति ठेकेदार है और बाकी सभी दुश्मन हैं। अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

दूसरे व्यक्ति यह समझें कि मैं अचानक दूसरे का मुख्तार हो गया हूं और मुझे ऐसी बातें आक्षेपात्मक कह देनी चाहिए जिससे कोई बात बन जायेगी तो मैं समझाता हूं कि कदाचित हमारी नियमावली और संविधान की कोई भावना ऐसी नहीं है जिसमें यह संकल्प रखे जायेंगे। इसी संविधान के इतने महान होने के नाते हम साधारण घरों से चल करके आने वाले लोग सरकार में हैं और यहां पर बैठे हुये प्रतिनिधि हैं तथा मूल रूप से इस सदन में हैं, तो इसकी मर्यादा को रखते हुए अपनी बात कहनी चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संकल्प कुछ है, संकल्प की भावना दूसरी है और जिन बातों पर चर्चा चलायी जा रही है उससे संकल्प का लेना देना नहीं है। संकल्प यह है कि --"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि राज्य सभा, विधान परिषद्, न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण लागू किया जाय।"

अगर यह बात आती कि इस संकल्प पर सिर्फ अपने को सीमित रखें तो कुछ सकारात्मक बातें आ सकती थीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद कोई इस संकल्प का वाकई समर्थन कर रहा है और कोई विरोध कर रहा है। पंडित जी हैं, या वैश्य हैं, या ये हैं वे हैं, यहां सर्व-समाज भी हैं। ये बातें अपने-आप में भ्रम पैदा करती हैं। वस्तुत: न कोई पंडित जी विरोध कर रहे हैं न हम किसी अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का विरोध कर रहे हैं। मात्र यह संकल्प रख देने से ही हम उनके हित-चिन्तन का कोई बड़ा भारी काम नहीं कर रहे हैं। गम्भीरता का विषय यह है कि भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गयी है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों में आरक्षण कोई जाति विशेष के लिए नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था की गयी है इस बारे में सरकार की जो राय है।

हमारी यह राय है कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाना न्यायोचित है और अनिवार्य है। माननीय मुलायम सिंह जी जब पहले मुख्य मंत्री थे तो उस समय 18 प्रतिशत आरक्षण था उसको बढ़कर 21 प्रतिशत किया गया। आरक्षण को बढ़ाने वाले हम लोग ही थे। समाज के जो अन्य पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनके लिये आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो पायी थी और लंबे समय से उसके लिये संघर्ष हुआ और मंडल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गयी। इस 27 फीसदी आरक्षण को लागू करने वाला देश में यदि कोई पहला राज्य था तो उत्तर प्रदेश था और उस समय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। इस संकल्प में राज्य सभा, विधान परिषद्, न्यायपालिका आदि में आरक्षण देने की बात कहकर इसको कांपलेक्स रूप दे दिया गया है, इसकी जटिलता बढ़ा दी गयी है। जो संविधान में व्यवस्था है उसके अनुसार लोकल बाडीज में अनुसूचित जाति, महिला आदि का आरक्षण है। विधान सभा में भी अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण है पिछड़ी जातियों के लिये नहीं है। यह जो संकल्प है इसकी भावना ठीक है लेकिन यह संकल्प अपने आप में त्रुटिपूर्ण है, जिसके चलते इस पर आगे बढ़ना कठिन है। मुझे इसकी जो भावना है उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायपालिका में जो आरक्षण देने की बात कही गयी उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 1999 में सहस्त्रादि समारोह पर देवरिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने प्रस्ताव पारित किया था। समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने न्यायपालिका में आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन मान्यवर, यह संकल्प जिस तरह से रखा गया है और संविधान में जो मर्यादा है कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता तो

दोनों स्थितियों को देखते हुए और इस संकल्प में जो 4-5 चीजों को कांपलेक्स तरीके से मिलाकर एक साथ रखा गया है उससे यह संकल्प त्रुटिपूर्ण है और अपने आप में अवरोध खड़ा कर रहा है और तकनीकी योग्यता पारित होने के लिये नहीं रखता है। न्यायपालिका में आरक्षण मांगा जाता है तो मैं सिद्धांत रूप से उससे सहमत हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। जो सचमुच में आपकी मंशा है और उसे आप सदन से पारित कराना चाहते है तो उसको ठीक तरीके से लायें ताकि इस पर समुचित रूप से विचार हो सके और इस पर कोई निर्णय लिया जा सके।

अगम्भीर तरीके से इस महान सदन में आचरण करें यह इस बात से जाहिर होता है कि इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता सदस्य स्वयं उपस्थित नहीं है इससे उनकी गम्भीरता का आभास होता है। मेरा अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस ले लिया जाय। चूँकि जिन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है वह स्वयं उपस्थित नहीं हैं इसलिए इसको वापस कौन लेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

चूँकि प्रश्न प्रस्तुत हो चुका है इसलिए इसे उपस्थित करना पड़ेगा। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि राज्य सभा, विधान परिषद्, न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण लागू किया जाय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

"इस सदन का निश्चित मत है कि अन्य पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जाति को उनकी आबादी के हिसाब से 54 एवं 26 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय" के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा प्रस्तुत संकल्प+

श्री उपाध्यक्ष--

श्री सुखदेव राजभर उपस्थित नहीं हैं कोई अन्य माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहेंगे ?

श्री राम करन आर्य--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया मैं आभारी हूँ। संकल्प है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को 54 फीसदी व अनुसूचित जाति के लोगों को 26 फीसदी आरक्षण दिया जाय। मान्यवर, पहले तो यह संकल्प ही अपने आप में गलत है। अनुसूचित जाति की आबादी 26 प्रतिशत है ही नहीं जो मैंने आंकड़े देखे हैं उसके अनुसार यह कम्प्लीट नहीं है लेकिन फिर भी चर्चा का विषय है इसलिए बोल रहा हूं । यहाँ पर डा0 भीमराव अम्बेडकर को चर्चा चलाई गयी जैसे वह किसी पार्टी, या व्यक्ति या जाति से सम्बन्धित हों, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी, डा0 राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति बिरादरी या किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं है यह राष्ट्रभक्त हैं। यह समाज सुधारक है। अभी रिजर्वेशन के बारे में जो बहस हो रही थी उसको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था ऐसा लगा कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को 1947 के बाद से आज तक प्रदेश का पूरा धन दे दिया गया। उधर के लोग आज कहते हैं कि कुछ नहीं दिया गया लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो बहस चलाना ही भूल जाते हैं। हमने जब

+दिनांक 6 अगस्त, 2004 कार्यवाही से।

प्रस्ताव रखा था कि अन्य पिछड़ी जातियों के जो गरीब लोग है उनको भी अनुसूचित जाति के लोगों की तरह आरक्षण दिया जाय तो उस समय यह लोग बहिंगमन कर गये थे। यहाँ पर मुसलमानों की बात उठी मुसलमानों में भी गरीब लोग हैं जिनको अनुसूचित जाति से भी निचले स्तर पर जीना पड़ता है मैं जिस गांव से आया हूँ वहां पर एक चौथाई आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है, एक चौथाई लोग बैकवर्ड जातियों के हैं एक चौथाई लोग स्वर्ण है और एक चौथाई लोग मुस्लिम समाज से हैं। मैं जानता हूँ मेरे गांव में मुसलमानों की हालत बद से बदतर हैं। उनकी हालत में निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। साइमन कमीशन जब हिन्दुस्तान में आया था तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात कही थी कि भारतीय समाज में हिन्दू और मुसलमानों के अलावा कुछ जातियां एक जाति ऐसी है जो न मंदिर में जा सकती है और न मस्जिद में जा सकती है उसको न हिन्दू सम्मान देता है न मुसलमान सम्मान देता है। इसलिए उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए इसीलिए जब साइमन कमीशन हिन्दुस्तान आया था जो बाबासाहब अम्बेडकर ने उसका वेलकम किया था बाकी लोगों ने कहा था कि साइमन गो बैक। साइमन हिन्दुस्तान की सामाजिक व्यवस्था का आकलन करने आया था, जिसे इंग्लैंड की महारानी ने भेजा था।

'साइमन वेलकम' केवल डा0 अम्बेडकर एवं उनके समर्थकों ने किया और बाकी लोगों ने 'साइमन गो बैक' कहा। हालांकि डा0 अम्बेडकर को इसके लिये काले झण्डे दिखाये गये। डा0 अम्बेडकर ने यह अपमान भी सहकर कहा कि इस मुल्क में एक ऐसी जाति है जिसको कोई सम्मान नहीं देता इसलिए उनको जीने लायक कुछ मिले। लार्ड माउन्टबेटन के सामने भी कमेटी बैठी उसमें आरक्षण की सुविधा दिये जाने की बात हुई। उसमें भी डा0 अम्बेडकर ही ने कहा कि जो नफरत का पात्र एवं उपेक्षित जातियां हैं उन्हें अलग से सुविधा मिलनी चाहिए। आरक्षण का समर्थन सभी नेताओं ने किया पंडित नेहरू ने किया था, अबुल कलाम आजाद ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। दलितों को जो आरक्षण दिया गया वह कोई भीख नहीं है। उनका हक है हिन्दुस्तान में इन जातियों की बड़ी तादाद थी अगर ये जातियाँ विद्रोह कर देती तो हिन्दुस्तान दो टुकड़ो में नहीं तीन हिस्सें में बँट गया होता, जिसको अंग्रेज भी चाहते थे। इंग्लैंड के राउन्ड टेबुल कान्फ्रेंस में डा0 अम्बेडकर ने कहा कि हिन्दुस्तान आजाद कर दो बाकी हम आपस में समझ लेंगे। यह उनकी देश भक्ति का प्रमाण है। इसलिए आरक्षण कोई भीख नहीं है, एक अधिकार है। दलित आदमी बहुत बुरी हालत में है। बड़ी जाति के भी काफी लोग आज गरीबी और भुखमरी की जिन्दगी जी रहे हैं। मुसलमानों में भी बहुत से पिछड़े लोग हैं जो गरीबी की जिन्दगी जी रहे हैं। उनके लिये भी चिन्ता करनी चाहिए।

श्री कुँवर भरतेन्द्र सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य देश में तीसरे बंटवारे की बात कर रहे हैं। कम से कम अपनी भाषा तो देख लें कि क्या कह रहे हैं।

श्री राम करन आर्य --

आपको अच्छा नहीं लगेगा। सत्ता में रहते तो नहीं करेंगे। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात है, वह हमने लिखकर भेजा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इसके लिए कृत संकल्प है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के गरीब लोगों को और सभी लोगों को सम्मान मिले और नौकरी मिले। हमने तो सौ में साठ की बात कही है। डा0 लोहिया ने काफी पिछड़े

में साठ इसमें दलित पिछड़े एवं सभी हैं।अनुपात में उनको नौकरी देने के लिए हमारी पार्टी कृत संकल्प है। इसलिए यहां पर यह संकल्प लाने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता। मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहता हूँ कि आज आरक्षण के नाते ही करीब 72 लोगों की संख्या सदन में यहां दिखाई पड़ रही हैं। यदि आरक्षण नहीं होता तो ये लोग नहीं आते। इन्हें डर है कि कहीं यह खत्म न हो जाय इसलिए इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर हम तोप का लाइसेंस मांगेगे तो बन्दूक का मिल ही जायेगा। इसलिए आरक्षण 54 और 26 प्रतिशत की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राम करन जी, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। सुन लीजिये, आपकी ट्रेन बहुत तेज है।

श्री राम करन आर्य --

यह लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं ...

श्री उपाध्यक्ष--

कम से कम नियम देख लीजिए। मैं बोल रहा हूं, बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ और आप अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं। जब बोलना है तो बोल ही लीजिए। चलिये समाप्त कर लीजिए।

श्री राम करन आर्य --

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इन्होंने यह जो संकल्प रखा है इनकी इसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिए। इसके लिये हम चिन्तित हैं, यह इस संकल्प को वापस ले लें। हम पूरे प्रदेश की चिन्ता कर रहे हैं और उसके अनुसार काम करने के लिए हमारी पार्टी कृतसंकल्प है।

श्री राम हेत--

मान्यवर, श्री सुखदेव राजभर द्वारा रखे संकल्प कि अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाय, पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह देश और इस देश की लोक सभा और विधान सभाएं शासन और प्रशासन संविधान के नियमों के तहत चलता है हम माननीय सदस्य इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनकर इस सदन में आते हैं, जिस संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लागों को आबादी के अनुसार आरक्षण देने का संकल्प प्रस्तुत किया गया है।

मान्यवर, इस संकल्प पर मैं बल देता हूँ। आज की आवश्यकता है। मान्यवर जब भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई और संविधान में व्यवस्था के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। शायद उस समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आबादी के हिसाब से ध्यान रखा गया और अन्य पिछड़ा वर्ग जो देश के अन्दर, अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे यह संकल्प गलत है। अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के हिसाब से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुरूप इस देश के अन्दर कई आयोगों का गठन किया गया है। चाहे वह काका कालेलकर हो या मंडल कमीशन इनकी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पिछड़ा वर्ग की आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के हिसाब से 54 फीसदी का आरक्षण देना चाहिए संविधान में इसकी व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, उस संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा जिन आयोगों का गठन किया गया है, जिन्होंने सिफारिश की है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 54 फीसदी आरक्षण देना चाहिए संवैधानिक व्यवस्था है पिछड़ा वर्ग के लिए अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति के लिए 18 प्रतिशत 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। प्रशासन में लोक सभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जनजातियों के और पिछड़ा वर्ग के लोग जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं इन्हें आरक्षण का लाभ मिल जाता है लेकिन न्यायपालिका से भी इसको सम्बद्ध करना चाहिए।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ बहुत विस्तार से इसमें पहले बात कही गई है और ऊपर के संकल्प से इसको जोड़ देंगे तो यह भी नष्ट हो जायेगा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी की बात सुन लें सुनने में क्या बुराई है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

एक अच्छी बात कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि ऊपर के संकल्प से जोड़ने का निर्णय हो जायेगा तो यह समाप्त हो जायेगा। यह इससे जोड़ने का प्रकरण नहीं है एक और बात यह कि इससे दूसरी टैक्निकल दिक्कत आती है इसलिए कहा।

श्री रामहेत--

इस संकल्प के द्वारा भारतीय संविधान के अन्दर व्यवस्था है काका कालेलकर और मंडल कमीशन ने सिफारिश की है 54 फीसदी का आरक्षण देना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए संविधान में व्यवस्था है उसी के हिसाब से ही तो संकल्प लाये हैं, उसी के हिसाब से तो आरक्षण की बात करते हैं। हम माननीय सदन से यही बात कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करे कि पिछड़े वर्ग के लोगों को 54 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लागों को 26 प्रतिशत के आरक्षण का प्राविधान किया जाना चाहिए। यह आबादी के हिसाब से किया जाना चाहिए, यही तो हमारा संकल्प है। यह जो संकल्प रखा गया है, मैं इस पर बल देता हूँ और निवेदन करता हूँ सम्पूर्ण सदन से कि वह केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करे कि अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आबादी के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

श्री राम इकबाल सिंह--

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मै अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, यह सही है कि सामाजिक विषमता अपने राज्य और देश में थी और दुनिया के हर देश में विषमता थी और आज भी है। जैसे-जैसे समाज विकास करता है, अपने हक के लिए संघर्ष करता है लेकिन इस पर एक ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए। एक ईमानदार प्रस्ताव भारत सरकार के पास जाना चाहिए, जिससे देश में उत्तर प्रदेश की विधान सभा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की गरिमा बढ़े, यहाँ के सदस्यों और राजनीतिक दलों की मर्यादा भी बढ़े और रियल में गरीबों को लाभ मिल सके, इन्साफ मिल सके। इस सदन से एक प्रस्ताव जाना चाहिए। आजादी के 58 वर्ष हो गए हैं लेकिन हम तय नहीं कर पाए हैं कि आरक्षण का लाभ हम आम आदमी तक, अन्तिम आदमी तक कितने वर्षों में पहुंचा देंगे। यह एक मिशन के रूप में तय होना चाहिए। साइकिल के पहिए के चक्र में आरक्षण घूम रहा है। लेकिन नीचे के व्यक्ति तक इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर इनके लिए आरक्षण बढ़ाया जाए तो उचित है लेकिन इसका लाभ आम आदमी तक पहुँचना चाहिए। दिक्कत यह है कि समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो नहीं चाहता है कि नीचे वालों के पास सुविधा जाए। इसमें कुछ इस तरह के संशोधन सदन से जाने चाहिए कि जिस परिवार को एक बार इसका लाभ मिल जाए, दोबारा उसका लाभ न मिले। यह तभी सम्भव हो सकता है जब इस विषय में भाग लेने वाले सदस्य और राजनीतिक दल ईमानदारी से इस दिशा में पहल करेंगे। किसी भी वर्ग में गरीब होते हैं लेकिन यहाँ पर अनेकों लोगों ने मनुवादी और कई शब्दों से सम्बोधित किया है। कोई सामाजिक गलतियाँ हुई हैं तो हम उन्हें सुधारें और एक ऐसा समाज बनायें जिसमें सब को न्याय और इन्साफ मिल सके। लेकिन एक तरफ हम मनुवाद का नारा देते हैं और दूसरी तरफ दुनिया के समाज सुधारक गौतम बुद्ध के छत के नीचे चले जाते है। अगर जातियों से नफरत होती तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जो भारत रत्न हैं, सबके लिए आदरणीय है, बाबा साहेब क्षत्रिय धर्म प्रवर्तक को अपना अगुवा नहीं मानते हैं। मान्यवर, इसलिए जाति के आधार पर नफरत फैलाने वाले लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए। इससे गरीबों का भला होने वाला नहीं है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यह विचार श्री राम इकबाल जी की पार्टी की तरफ से भी आ जाये तो जबाब देना बहुत आसान हो जायेगा। अगर आप स्वयं कह दें कि यह पार्टी के विचार हैं तो भी। क्योंकि दल का विचार और माननीय सदस्य का विचार अलग-अलग होगा।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, हमारी पार्टी ने भी प्रयास किया था। सन् 2002 में हमारी पार्टी ने आरक्षण का लाभ अन्य लोगों को भी देने का प्रयास किया था।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं कहना चाहूँगा कि केवल संकल्प पर विचार करें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, जब यह विचार हो रहा है कि ढोल, गवांर, शूद्र, पशु , नारी सकल ताड़ना के अधिकारी।

श्री उपाध्यक्ष--

आप क्यों उस धारा में जा रहे हैं आप अपने विषय में आ जायें या अपनी बात को समाप्त करें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया। हमारी बात को माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने भी गंभीरता से लिया। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करूगां कि इस पर चर्चा हो।

श्री स्वमी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, बलिया वाले सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, एक ऐसा संकल्प जिससे इसका लाभ आम आदमी तक पहुंचे। मान्यवर, माननीय सदस्य अपनी बात कहकर चले जाते हैं। अगर आप ऐसा कर दें कि सभी वरिष्ठ सदस्य बाद में बोलेंगे, तो उचित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(श्री घूरा राम के बोलने के लिए खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

आपके पीछे जो बैठे हुए हैं उन्होंने बोला था, उन्हें बुला रहा हूँ।

श्री घूरा राम--

मान्यवर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पीठ को मेरा नाम भी नहीं मालूम है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरा नाम घूरा राम है और मैं दूसरी बार सदस्य चुनकर आया हूँ। अधिष्ठाता जी, उनको भी समय मिलना चाहिए। लेकिन मैं इस संकल्प पर अपने विचार रखना चाहता हूँ।

एक सदस्य--

आप उपाध्यक्ष को अधिष्ठाता बोल रहे हैं।

श्री घूरा राम--

मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

आपको नाम नहीं मालूम था इसके लिए आपने कोई सफाई नहीं दी लेकिन माननीय सदस्य ने जो आपको अधिष्ठाता कहा यह तो बड़े कष्ट का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह दो बार चुनकर आये हैं। गलती हो सकती है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

अब नाराजगी का यह मतलब नहीं है कि माननीय उपाध्यक्ष का पद इतना छोटा कर दिया जाये ?

(हँसी)

श्री घूरा राम--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सुखदेव राजभर जी के संकल्प की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं विषय पर ही बोलना चाहूँगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को भी अनुरोध के साथ अवगत कराना चाहूँगा कि मान्यवर, देश आजाद हुआ 1947 में और मेरे बाबा के जमाने में यह देश आजाद हुआ था, उसकी आजादी के इक्कीस वर्ष बाद मेरी पैदाइश हुई। उस समय मेरे बाबाजी से मेरे पिताजी और चार भाई थे। तो उस समय मेरे परिवार में कुल मिलाकर 6 आदमी थे और आज मेरे परिवार

में सवा सौ के लगभग आदमी हैं। तो इसी तरह से माननीय सुखदेव राजभर जी ने अपना संकल्प रखा है उसी के हिसाब से रखा है। मैं किसी जाति या धर्म की बात नहीं करता हूं और उससे ऊपर उठकर बात करता हूँ क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि मनुष्यों में कोई जाति नहीं होती है, खून की कोई जाति नहीं होती है और उसका रंग एक होता है। जानवरों की जाति तो होती है क्योंकि उसकी संस्कृति, उसकी दिनचर्या और वह अपनी व्यवस्था से जाना जाता है कि यह फलां-फलां जानवर है लेकिन आदमी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल आदमी काला और गोरा होता है उसके हाथ पांव वही है और प्रकृति द्वारा बनाये गये सब बराबर हैं। तो मैं जाति की बात नहीं करता हूँ लेकिन निश्चित रूप से जाति व्यवस्था से उत्पीड़ित हूँ। मैं जब छोटा था तो मुझे नहीं मालूम था कि जाति क्या होती है ? जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने जाना कि जाति क्या होती है ? मैं निश्चित रूप से जो आदर्श जातिविहीन समाज की व्यवस्था करना चाहते थे उनका स्वागत करता हूँ। बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने जातिविहीन समाज की कल्पना की थी।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरे बाबाजी के समय में मेरे पिताजी और चार मेरे छोटे-छोटे चाचा थे,ता कुल मिलाकर 6 लोग थे आज हम लोग अलग-अलग होकर भी सवा सौ लोग है तो उसी हिसाब से सदन से माननीय सुखदेव राजभर जी ने सिफारिश की है कि जो आरक्षण है अनुसूचित जातियां, जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग का उसमें वृद्धि कर दी जाये। इस समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का बाईस प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्ग का 27 प्रतिशत, कुल 49 प्रतिशत का इनका मानक है उस मानक को बढ़ाने के लिए सिफारिश किया है। जब जातियां बढ़ी हैं तो उसके आक्षण में भी वृद्धि की जाय। उसमें वृद्धि करके 54 प्रतिशत एवं 26 प्रतिशत कर दिया जाय। तो इस हेतु पूरे सदन से सर्वसम्मति से सिफारिश करके केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजी जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो श्री सुखदेव राजभर जी द्वारा संकल्प रखा गया है उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय श्री सुखदेव राजभर जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस सदन का निश्चित मत है कि अन्य पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जाति को उनकी आबादी के हिसाब से 54 प्रतिशत एवं 26 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय। इसमें दो भाग हैं संकल्प का एक भाग तो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से सम्बन्धित है और एक भाग अनुसूचित जाति के आरक्षण से सम्बन्धित है और यह संकल्प आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने से सम्बन्धित है। मान्यवर, पिछड़ा वर्गों के लिए मण्डल कमीशन रिपोर्ट 1980 में आई और 1978 में इसका गठन हुआ था। तो उस समय जिन-जिन जातियों को मण्डल कमीशन रिपोर्ट में शामिल किया गया, प्रान्तवार सूची बनायी गयी मण्डल कमीशन रिपोर्ट ने जो सूची प्रस्तुत की थी मान्यवर, उस सूची में समय-समय पर विभिन्न सरकारों ने जातियों की संख्या बढ़ाने के लिए सिफारिशें की हैं और तमाम जातियों की तरफ से भी इस सम्बन्ध में मेमोरेण्डम आए।

तो सरकार ने भी और पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी उनके मेमोरेण्डम पर विचार करते हुए इन जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया है इसमें जाट बिरादरी, गोंसाई बिरादरी समेत कई जातियां हैं, तो 1990 के बाद से इसमें वृद्धि हुई है। 1980 में उनकी जातीय आबादी साढ़े बावन

प्रतिशत थी। अब जब उनकी जातियों और संख्या में वृद्धि होगी तो निश्चितरूप से उनकी जन संख्या में भी वृद्धि हुई है। जब जातियों की संख्या में पिछड़ा वर्ग में वृद्धि की गई है तो आबादी के हिसाब से जब पहले साढ़े बावन प्रतिशत था जिसे स्वंय मण्डल कमीशन ने स्वीकार किया है और आज यह प्रतिशत हमारे पास इस सम्बन्ध में पक्के आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन आज 54 प्रतिशत उनकी आबादी है, इसलिए माननीय सुखदेव राजभर जी यह संकल्प लाए हैं कि उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाकर 54 प्रतिशत कर दिया जाय तो इसी तरह से अनुसूचित जाति का अनुपात होना चाहिए था। अनुच्छेद-332 यह उल्लेख करता है कि पूरे राज्य में जो जन संख्या है उसके अनुपात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जाए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों की तरफ से और सरकार की तरफ से भी एक प्रस्ताव लम्बित है, जिसमें निषाद, मल्लाह, माँझी, राजभर आदि जातियां हैं, इसके अलावा जन संख्या के हिसाब से भी वृद्धि हुई है, इसलिए माननीय सुखदेव राजभर भी एक प्रस्ताव लाए संकल्प के माध्यम से, कि उनकी जन संख्या में जब वृद्धि हुई है तो 26 प्रतिशत आरक्षण उन्हें प्रदान किया जाए। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मण्डल कमीशन में अल्पसंख्यक समाज की अनेक जातियां शामिल हैं इसमें जुलाहा, कस्साव, राइम, नाई, लाल बेगी, मोची आदि हैं इन सारी जातियों को पिछड़े वर्गो में शामिल किया इसलिए वह स्वमेव आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं उच्च वर्गों में भी ब्राह्मण समाज में जो गोसाई समाज है वह भी पिछड़े वर्ग में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अन्त में मैं एक बार फिर माननीय सुखदेव राजभर द्वारा आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रस्तुत इस संकल्प पर बल देते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह श्रीमंन् एक संकल्प जिस पर अभी चर्चा जारी थी माननीय सुखदेव राजभर जी ने जो संकल्प रखा है और आज संयोग से वह सदन में नहीं हैं। मान्यवर, सिर्फ संकल्प की परिधि में अपने को रखते हुए कहना चाहता हूँ कि यह जो आरक्षण की स्थिति है जातियों के आधार पर जो आरक्षण का सिद्धान्त है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के आधार पर उसमें यदि किसी राजनीतिक दल का यह विचार होता है उसके विरोध में कि यह मुनासिब नहीं है तो इसका विरोध करने का उन्हें साहस दिखाना चाहिए था और हम उसको सरकार में बैठकर स्वीकार करते। किसी राजनीतिक दल में इतना कलेजा भी होना चाहिए जो यह कहते कि हम इस आरक्षण के सिद्धान्त का विरोध करते हैं और इसे खारिज करने की बात करते तब कोई न कोई चर्चा हम इस पर कर पाते। मान्यवर, डा0 राम मनोहर लोहिया जी का जो सिद्धान्त रहा है या भारतीय संविधान में जो इसकी शुरुआत हुई थी, इसका कभी किसी ने विरोध भी किया तो जैसे खिड़की के पीछे से कोई पर्ची छोड़ दी जाती है या पीछे से कोई बात कह दी जाती है वह चीजें देखने को मिली। कभी इस आधार पर या कभी उस आधार पर बातें कही गयी। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो आज आरक्षण दिया जा रहा है अगर किसी को विरोध करना है तो उसे खुलकर विरोध करना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जैसा कि कहा कि किस दल की क्या राय है, वह तो आ जानी चाहिए।

मान्यवर, हम सरकार की तरफ से यह स्पष्ट करना चाहते है अनुसूचित जातियों, और अन्य पिछड़े वर्गो को आरक्षण दिये जाने का जो सिद्धान्त लागू है उसके पक्षधर और समर्थक हैं और यह बात कहते हैं कि जो आरक्षण का यह सिद्धान्त है वह मुनासिब है और चलना चाहिए।

मान्यवर, इस संकल्प में दो तथ्य ऐसे हैं जिन पर विचार आवश्यक है। मान्यवर, जनसंख्या के सम्बन्ध में हमारे पास एक प्रमाणिक रिकार्ड है जो वर्ष 2001 की जनगणना की रिपोर्ट है जो स्वीकार हो गयी है। मान्यवर, आप कृपया इस संकल्प की भाषा को देख लें-"इस सदन का निश्चित मत है कि अन्य पिछड़े वर्गो व अनुसूचित जाति को उनकी आबादी के हिसाब से 54 प्रतिशत एवं 26 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये"। इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है क्या मात्र मंदिर में लाइन लगाने में आरक्षण दिया जाय, या हजरतगंज में शाम को टहलने में आरक्षण दिया जाय या कलेक्टर साहब के यहां जाकर मिलने में आरक्षण दिया जाय या ट्रेन के डिब्बे में बैठकर सफर करने में आरक्षण दिया जाय-आरक्षण किस चीज का बढ़ाया जाय यह स्पष्ट नहीं है। संकल्प में यह कोई बात व्यक्त नहीं की गयी है, भावनायें आपकी हमारी अपनी जगह पर हैं कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण और निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाय। जो 27 प्रतिशत है उसको बढ़ाकर 54 प्रतिशत कर दिया जाय या 18 प्रतिशत को बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया जाय। मान्यवर, टेक्नीकली यह संकल्प कोई भाव क्रियेट नहीं करता है। इसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है इसलिए यह स्वीकार किये जाने के योग्य नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

इसके साइलेंट फीचर्स क्या है यह स्पष्ट नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, माननीय सुखदेव राजभर जी हैं नहीं आज यहां पर, नहीं तो मैं उनसे कुछ जानकारी करता। इस संकल्प को स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, कृपया इसे अस्वीकृत करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि अन्य पिछड़े वर्गो व अनुसूचित जाति को उनकी आबादी के हिसाब से 54 प्रतिशत एवं 26 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

"इस सदन का निश्चित मत है कि शुद्ध पेयजल जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु वाराणसी के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र की सैकड़ों वर्ष पुरानी जर्जर पाइप लाइनों को बदल दिया जाय।" के सम्बन्ध में श्री श्याम देवराय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प†

श्री श्याम देव राय चौधरी--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर मुझे बोलने का आपने अवसर प्रदान किया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, काशी या वाराणसी नगर विश्व के सबसे पुराने बसे हुए नगरों में से एक है और यहाँ की जो पाइप लाइन जलापूर्ति व्यवस्था है वह भी सैकड़ों वर्ष पुरानी है। इसी कारण जो पाइप लाइन पड़ी हुई है, जिससे जलापूर्ति होती है वह इतनी जर्जर हो चुकी है कि स्थान-स्थान पर उसमें छिद्र हो गये हैं उसमें सिल्ट जम गयी है और वह विभिन्न स्थानों पर जो सीवर लाइन गयी है उससे इन्टरकनेक्ट हो गयी है जिससे जो जलापूर्ति लोगों को

†दिनांक 6 अगस्त, 2004 की कार्यवाही से--------

होती है वह दूषित जलापूर्ति होती है। जिसके कारण कई बार इसका निरीक्षण परीक्षण भी हुआ लेकिन इसके निराकरण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। मेरा जो दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र है वह असी से लेकर राजघाट तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र सबसे पुराना है, सबसे पुरानी आबादी है, घनी आबादी है और सबसे पहले की बसी हुई आबादी है जिसके कारण उन्हीं स्थानों पर सबसे पहले पेयजल आपूर्ति हुई, जो पाइप लाइन व्यवस्था है वह प्रारम्भ की गयी थी। इसके कारण उन्हीं क्षेत्रों में जो जलापूर्ति व्यवस्था है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इन पाइपलाइनों को बदलने की आवश्यकता इसलिए है कि जो लोगों को पानी प्राप्त हो रहा है, वह दूषित है। और, पहले जब पानी लोगों को टेप से मिलता है तो एक तो कम दबाव पर जलापूर्ति होती है, बहुत थोड़े समय के लिए होती है और उसमें भी जब जलापूर्ति शुरू होती है और लोग उसको संग्रह करना प्रारम्भ करते हैं तो काफी समय तक वह संग्रहीत जो जल है वह दूषित आता है, गंदा आता है, प्रदूषित जलापूर्ति होती है। जबतक जो जलापूर्ति प्रारम्भ हुई है वह साफ होती है तब तक जलापूर्ति का दबाव भी कम हो जाता है और उसकी समय सीमा भी समाप्त हो जाया करती है। इसी कारण मैंने इसी वर्तमान विधान सभा के पिछले सत्र में एक प्रश्न उपस्थित किया था उसमें माननीय नगर विकास मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि 25 लाख रुपये सम्भवत: इन पाइप लाइनों को बदलने के लिए उन्होंने नगर निगम को उपलब्ध कराया है जो बाद में जानकारी हुई है कि नगर निगम ने सम्भवत: जल निगम को वह स्थानान्तरित कर दिया है। मेरा जो सबसे पुराना क्षेत्र है और जहाँ की पाइप लाइनें सबसे अधिक जर्जर हैं, जहाँ शिकायतें अधिक हैं उन क्षेत्रों में 2-3 परीक्षण करके, इसका उल्लेख माननीय नगर विकास मंत्री जी ने एक अर्द्ध शासकीय पत्र निर्गत कर किया था। मुझे उसमें बताया गया कि 2-3-जगहों का, कि इन-इन क्षेत्रों में पाइप लाइन बदलने के लिए चिन्हित किया गया है। वह पर्याप्त नहीं है। उस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि विषय इतना गंभीर है, जनजीवन से जुड़ा हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और इस विषय की गंभीरता माननीय नगर विकास मंत्री जी स्वयं भी अनुभव करते हैं, वह सहमत भी हैं कि इस समस्या का निराकरण होना चाहिये। लेकिन उन्होंने जो 25 लाख रुपये निर्गत किया है, जिसका उल्लेख उन्होंने किया, वह कहाँ खर्च होगा? यह शासन द्वारा इंगित नहीं किया गया, जिससे जल निगम इस पैसे का डाइवर्जन कर देगा और अन्यान्य कार्यों में खर्च कर देगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)(बैठे हुये)--

आज संकल्प वापस ले लें, मैं 25 लाख और दे रहा हूँ।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

जो मेरा दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र है, विधायक होने के नाते सबके लिये अपना क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मेरे लिये यह इसलिये महत्वपूर्ण है कि जो दूषित जलापूर्ति है, उससे मेरा विधान सभा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। उपाध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र सबसे पुरानी बसी हुयी आबादी का क्षेत्र है, सबसे घनी आबादी का क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से इस संकल्प पर बल देना चाहता हूँ, यह जो समस्या है, सबसे गम्भीर है। मैंने आपकी संवेदनशीलता के विषय में उल्लेख किया था, आप सहमत हैं कि यह समस्या गंभीर है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मैं शायर का नाम नहीं लूँगा। एक आदमी को बार-बार लोगों ने समझाया कि मुसलमान हो, कभी-कभी नमाज पढ़ लिया करो। लोगों के समझाने से वह चला गया, नीयत बांधी

थी, लेकिन नमाज पढ़ने की आदत तो थी नहीं, किसी तरह एक लाइन पढ़ी, पीछे देखा तो एक साहब डिब्बा लिये खड़े हैं, उसमें एक बोतल बनी थी, बस नमाज बीच में छोड़कर वापस आ गये, लोगों ने पूछा कि क्यों आपने नमाज छोड़ दी? तो बोले कि जब नमाज पूरी होने से पहले ही दुआ कबूल हो गयी तो क्या जरूरत है पढ़ने की। उसी तरह आपकी दुआ भी कबूल हो गयी।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मैं आप का आभारी हूँ, मेरी बात पूरी होने से पहले ही आपने अपनी सकारात्मक भावना व्यक्त कर दी। आप इसमें जो भी राशि दें, वह रिकार्ड में आ जाय, यह आपके ही पक्ष की बात है। पिछले सत्र में भी मैंने यह मामला उठाया था, यह रिकार्ड में है, आपने कहा था कि बनारस आऊँगा और विस्तार से अधिकारियों के बीच में आपके पक्ष में बातें करूँगा और समस्या का पूर्ण समाधान करूँगा, यह आपने आश्वासन दिया था लेकिन किन्हीं कारणों से आप वहाँ नहीं आ सके। मेरी समस्या जो है, वह ज्यों की त्यों बरकरार है, आप जो भावना व्यक्त कर रहे हैं, वह ठीक है, मुझे आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से नहीं। मेरे संकल्प का मात्र यही इरादा था कि शासन का ध्यान आकर्षित हो। शासन जनसमस्याओं के प्रति अपनी गंभीरता प्रदर्शित करे। तो जो आपने कहा है कि 25 लाख और देंगे। मेरा आपसे आग्रह सिर्फ इतना है कि आप जो भी देना चाहत हों, दें। लेकिन एक बात इसमें यह है कि जब आप जल संस्थान से पूछेंगे कि दूषित जलापूर्ति क्या हो रहा है तो वह अनेक प्रकार के बहाने बना देंगे। लेकिन जो दूषित जलापूर्ति के क्षेत्र हैं, जो पाइप लाइन खराब हैं, जो सीवरलाइन से इन्टरकनेक्ट हो गये हैं, उसकी आप जाँच करा लें और आप जो भी धनराशि दें, अगर एक बार में न हो तो दो बार में, तीन बार में दें, लेकिन इन पाइप लाइन को बदलने की व्यवस्था करा दें, मेरा संकल्प के माध्यम से इतना ही आग्रह है। आप जल संस्थान से न पूछें, आप किसी दूसरी एजेन्सी से जाँच करवा लें और उसका एक इस्टीमेट बनवा लें, 25 लाख आपने पहले दिये हैं, 25 लाख आप और कह रहे हैं कि देंगे आप चाहे तो 50 लाख कर दें और चाहे तो 25-25 कर दें।

श्री घूरा राम--

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, कोरम पूरा है, बीस के बराबर तो आप ही हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, आप इस काम को करवा दें। मेरा आग्रह तो इतना है कि पाइप-लाइनों को बदल दिया जाए और लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके, मेरा बस इतना ही आग्रह है। मैं इतना और कहूंगा कि आप किन्हीं अवसरों को छोड़ करके बाकी संवेदनशील हैं।

(माननीय सदस्य श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, यह संकल्प केवल बनारस के लिए है और सोर्सफुल है। चौधरी साहब को यह खासियत है कि यह अपनी बात को पूरी गम्भीरता के साथ रखते हैं और मुझे खुशी है कि चौधरी साहब के जो मुद्दे होते वह गम्भीर होते हैं, जनसमस्याओं के होते हैं। यह बात अलग है कि आप

इस बात में माहिर हैं कि मुद्दा बना लेते हैं और अपनी बात को विस्तार से रखने के साथ-साथ उसमें दिलचस्पी बनाये रखने में कामयाब रहते हैं। मैंने वायदा किया था कि मैं बनारस आऊंगा लेकिन आपने ही कुछ ऐसा बना दिया कि मैं बनारस नहीं आ सका। कुछ मौलवी साहब ने नाराज होकर मेरे पुतले बनाये, जबकि हमारे यहाँ पुतले बनाना गैरशरई माना जाता है, उन्होंने हमारे पुतले बनाये, उसमें जूते डाले, पिटाई करायी। ऐसे माहौल में मैं बनारस नहीं जा सका। मैंने इसकी जानकारी ली थी, पूरे प्रदेश के बारे में जानकारी ली थी, बहुत पुरानी लाइन्स हैं। जितने ऐसे शहर हैं, जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं, जैसे मथुरा, काशी, बनारस, फैजाबाद, अयोध्या वगैरह हैं, इन सारे शहरों के लिए अलग से योजनाएं होनी चाहिए थी। जो टारगेट हमारा था, उससे कई गुना ज्यादा समय गुजर गया है। नालों-नालियों से पाइप-लाइनें गई हैं, कहीं गल गई हैं, कहीं एक-दूसरे से मिल गई हैं, सीवर का पानी भी कई जगह चला जाता है, उसे ठीक भी कराया गया है। हम कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत बिगड़े हुए हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं, क्योंकि जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं समझा जाता है, जिम्मेदारी को नहीं निभाया जाता है। मैंने अर्ज किया कि स्वच्छ पानी भी सरकारें नहीं दे सकी हैं, 57 साल बाद अभी यह शिकायत बाकी है कि शहरों में पानी नहीं मिला, दवाएं नहीं मिलीं, जैसा कि अभी विधायक जी का मामला था। इसके लिए हम 25 लाख रुपये रिवाल्विंग फण्ड से केवल इस मद में देंगे, जो काम रुकेगा, उसे आगे देखेंगे, इसमें कोई पक्ष या विपक्ष का मामला नहीं है, लोगों को स्वच्छ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें जो कमी रह जाएगी, उसे मार्च के बाद देख लेंगे।

मान्यवर, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि सबसे जो पुराने बसे हुए क्षेत्र हैं, उसमें मेरा दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र भी है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यह मेरा क्षेत्र है, बल्कि यह भौगोलिक स्थिति है और इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत उसी क्षेत्र में है।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, पूरे बनारस में इसकी आवश्यकता भी नहीं है और मेरा संकल्प भी नहीं है। इसलिए सिर्फ इतना डायरेक्टिव रहे कि हमारे दक्षिणी विधान सभा पर इयर मार्क करके डीगेट कर दें। क्योंकि जहाँ समस्या नहीं है वहाँ अधिकारी व्यय दिखला देंगे और पूरा कार्य नहीं हो पायेगा।

*श्री राम किशुन--

माननीय विधायक जी, उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में भी पाइप-लाइन खराब है। आपने सिर्फ दक्षिणी विधान सभा की बात कही। उत्तरी और कैण्ट विधान सभा क्षेत्र भी है जहाँ समस्या है। आप बहुत दिनों तक सत्ता में रहे तब कुछ नहीं करा पाये लेकिन हमारी सरकार इसे करेगी।

श्री माहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, समस्या का निदान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आप अपने संकल्प को वापस ले रहे हैं ?

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर मैं अपना संकल्प वापस ले रहा हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि शुद्ध पेय-जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र की सैकड़ों वर्ष पुरानी जर्जर पाइप लाइनों को बदल दिया जाए। विषयक संकल्प को मा0 सदस्य को वापस लिये जाने की अनुमति दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

"इस सदन का निश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा त्वरित एवं संतुलित विकास हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये।" विषयक डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प†

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर मुझे चर्चा करने का अवसर दिया। पिछले 6 अगस्त, 2004 को यह विषय इसी सदन में आया था। आज जब मैं इस विषय पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं मानकर चलता हूँ कि यह मेरी आवाज नहीं है, अधिकांशत: पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी विधायक हैं, चाहे जिस दल के हों, चाहे राम इकबाल सिंह जी हों, नारद राय जी हों या राम गोविन्द चौधरी जी हों, सभी का संबंध इस विषय से है। जैसा कि अभी आजम खाँ साहब ने कहा यह किसी दल की राजनीति का विषय नहीं है। यह वस्तुत: क्षेत्र के विकास से जुड़ा विषय है इसलिए इस पूरी चर्चा को इसी आधार पर लिया जायेगा। इस सदन में मौजूद किसी भी दल के बन्धु हों जो इस क्षेत्र को विलांग करते हैं, वे अपनी भावनायें व्यक्त कर सकते हैं। फरवरी, 2002 में चुनाव सम्पन्न हो गया था, समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने यह प्रयास किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के समस्त विधायक एक साथ उपस्थित हों और विकास की समस्याओं पर सामूहिक चर्चा करें, और सामूहिक लड़ाई का तौर-तरीका तय करें। जनपद कुशी नगर में एक अधिवेशन भी बुलाया गया था और अधिवेशन हुआ भी था। उसमें कुछ निर्णय लिये गये थे। जिस दल के सदस्य ने बैठक बुलायी थी आज वह सत्ता में है। हो सकता है कि उस समय दलीय नीति के तहत रहा हो, तभी यह बैठक बुलायी गयी होगी। परन्तु मुझे विश्वास है कि सर्व-सम्मति से यह सदन इसे स्वीकार करेगा और कार्य करने की योजना बनायेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय अलग से प्रदेश बनाये जाने का आन्दोलन चल रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कहने वाला आदमी हूं। मेरे लिए राजनीति का हानि-लाभ चिन्ता का विषय नहीं होता। हम लोग इस विभाजन की मानसिकता से सहमत नहीं हैं और जो इस समय शासन में हैं, वह भी सहमत नहीं हैं।

माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बार-बार कहा है कि वह इस राज्य के विभाजन के पक्षधर नहीं हैं। लेकिन दूसरा सत्य यह भी है कि जो सरकार का समर्थक दल है, जो किसी क्षेत्र विशेष को अलग करके राज्य बनाना चाहता है, वह अपने इस राजनीतिक मानसिकता को पूरी करने के लिए उसके नेता हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जा करके एक विभाजनकारी रणनीति के तहत, इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप सब समझ सकते हैं। एक दल के लोग जो शासन का हिस्सा बन करके और मंत्री के रूप में उस क्षेत्र में जा रहे हैं और विघटनकारी आन्दोलन चले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को वह ले जा रहे हैं

†दिनांक 6 अगस्त, 2004 की कार्यवाही से आगे ----------

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और आन्दोलन चलाने वाले सभी व्यक्तियों को अपने मंच पर सामूहिक रूप से खड़ा करके बल देने का प्रयास कर रहे हैं, तब यह चर्चा और महत्वपूर्ण हो जाती है। विभाजन की मांग राजनीतिक महत्वाकांक्षी की पूर्ति के लिये पैदा होती है और उसको खाद और बल देने का काम उन परिस्थितियों से मिलता है जो उस क्षेत्र की सर्वमान्य होती है। जो विभाजन की मांग की जाती है वह पिछड़ेपन को लेकर की जाती है। इस दृष्टि से देखा जाय तो राज्य सरकार का जो एनुअल ड्राफ्ट प्लान है उसको यदि देखें तो उसके हिसाब से यह पीड़ा का विषय है कि वहां का विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो सका है। जो क्षेत्र त्याग और बलिदान के हिसाब से बेमिसाल रहा है, जहां भगवान राम देश की एकता के लिए अयोध्या से लंका तक गये और देश को एक करने के लिये जिन्होंने कुर्सी त्याग दी और भगवान बुद्ध ने जो राजसी परिवार से निकले और समाज की भूख, पीड़ा, मौत को देखकर उससे संघर्ष करने के लिये उन्होंने अपनी कुर्सी त्याग दी, ऐसे बलिदान करने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश से निकले हैं।

भगवान बुद्ध ने जो धर्म चलाया वह आज सारी दुनियां में फैल चुका है। जैन धर्म भी कहीं न कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रस्फुटित हुआ है। पूरी दुनिया में समरसता के प्रतीक संत कबीर पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। हम सब जानते हैं कि बाबा गोरखनाथ जी पश्चिम से चले होंगे और जब वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आये तो वहां की आत्मीयता की खिचड़ी जो उनको मिली उससे वह गोरखपुर के होकर रह गये। जहां तक त्याग और बलिदान की बात है स्वतन्त्रता संग्राम की पहली लड़ाई हो या बाद की लड़ाई हो वह पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हुयी। हमारा सबसे बड़ा बल यह है कि हम गिरमिटिया मजदूर होकर पूरी दुनिया में फेंक दिये गये लेकिन यह हमारी ऊर्जा थी कि हम जहां-जहां फेंके गये वहां-वहां की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं या निभा रहें हैं। चाहे वह ब्रिटिनाड हो, गुयाना हो या मारीशश हो आज वहां की राजनीतिक व्यवस्था में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग एक प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं या निभा रहे हैं। स्वतन्त्रता संग्राम की पुस्तिका उठाकर देखें, राम प्रसाद विस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खाँ, मंगल पाण्डेय, बंधू सिंह, चिनू पाण्डेय का बलिदान पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती से पैदा हुआ।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने कहा था कि "आओ हम सब मिलकर रहें भाई, भारत की दुर्दशा देखी न जाई।" उन्होंने अपनी पीड़ा का, समाज की पीड़ा का व्यक्तीकरण किया है और सबको एक होने की प्रेरणा दी। अंग्रेजों के समय में हमारे यहां का विकास नहीं हुआ। वह जानबूझकर हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होने देना चाहते थे लेकिन आजादी के 58 साल बीत जाने के बाद भी यदि हम एनुअल ड्राफ्ट प्लान के आंकड़े उठाकर देखें तो विकास की बड़ी भयावह स्थिति दिखायी देती है। अगर जमीन की उत्पादकता को देखें, जमीन की सिंचन क्षमता को देखें कि कितनी जमीन सिंचित है, जमीन में कितना उर्वरक प्रयोग किया जाता है, कृषकों की आय कितनी है? प्रति लाख जनसंख्या पर फैक्ट्रियां कितनी हैं? प्रति लाख जनसंख्या में काम करने वाले लोग कितने हैं? प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की [illegible] व्यक्ति आय कितनी है? गांवों का विद्युतीकरण कितना हुआ है? एक लाख की जनसंख्या [illegible] कितनी हैं? जो छोटे-छोटे टोले हैं जिनकी जनसंख्या 200 से कम है उनकी संख्या क्या है [illegible] सबको देखा [illegible] तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय उत्तर प्रदेश और बहुत [illegible] में बुंदेलखंड से बहुत

पीछे हैं। जबकि हम 40 प्रतिशत जनसंख्या बनाते हैं। 40 प्रतिशत जनसंख्या बनाने वाला क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूटा है। इस बहस को आपके बीच में इसलिये लाया हूँ, मैं इस चर्चा को अन्य अवसरों पर भी उठाता रहा हूँ। अभी इस सत्र में मैंने चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या योजना बनाई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना सिर्फ इस बात के लिए नहीं की गयी थी कि ऊर्जा नीति, हाउसिंग, इन्डस्ट्री, सर्विस क्षेत्र के लिए नियमावली बनाई जाएगी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का समन्वित और संतुलित विकास किया जा सके इसलिए उत्तर प्रदेश विकास परिषद् बनाई गई है। उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के एजेन्डे में क्या है? यह आज तक नहीं पता चला। हमें एक रणनीति बनानी है जिससे पूरे प्रदेश के हर जिले, हर कस्बे का समान विकास हो सके। इसलिए यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। बुन्देलखण्ड में 7 जिले आते हैं इन सात जिलों के विकास के लिए 100 करोड़ रु0 दिये गये हैं यह खुशी की बात है कि बुन्देलखण्ड का विकास हो जहां पर कुल 4 प्रतिशत जनसंख्या रहती है लेकिन इसके साथ ही साथ जहां पर 40 फीसदी जनसंख्या रहती है जिसके विकास के लिए यह संकल्प पिछले 6 महीनों से चल रहा है और विधान सभा में हम लगातार इस प्रश्न को लगा रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 29 जिलों के विकास के सम्बन्ध में लेकिन वहां के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया। अगर चार प्रतिशत और चालीस प्रतिशत का रेशियों जोड़ा जाय तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए दस हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी। यह हमारा अधिकार है। मैंने बजट भाषण देखा है उसमें पुष्प निकासी केन्द्र नोएडा में पशु चिकित्सालय मेरठ में खोलने इसके अलावा बिजनौर, मैनपुरी के लिए कुछ न कुछ बजट में प्राविधान किया गया। इटावा और सैफई की बात मैं नहीं करता, लखनऊ में मेडिकल कालेज को पैसा दिया गया लेकिन प्रदेश के किसी अन्य मेडिकल कालेज को कोई पैसा नहीं दिया गया जबकि गोरखपुर सहित अन्य मेडिकल कालेजों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। यह पक्ष और विपक्ष के प्रस्ताव की बात नहीं है मुझे उम्मीद है कि इस पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य माननीय सदस्य भी अपने विचार रखेंगे। यह सम्भव नहीं है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की 40 फीसदी आबादी अविकसित रहे और बाकी प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाय। हमें अगर उत्तम प्रदेश की अवधारणा पूरी करनी है तो पूरे प्रदेश का समग्र विकास करना होगा। मेरा अनुरोध है कि मुझे इस संकल्प को वापस लेने के लिए न कहा जाय। एक सर्वदलीय समिति बनाई जाय जो मिलकर इस पर चर्चा करे और एक कार्यदल बनाया जाय तथा उत्तर प्रदेश विकास परिषद् को स्पेसिफिक निर्देश दिए जाएं कि वह इस तरह से योजना बनाए, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ।

(इस समय 4 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डा0 राधा मोहन दास पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में जो संकल्प ले आए हैं, मैं उस संकल्प के पक्ष मे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमन्, पूर्वी उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे पिछड़ा इलाका है। श्रीमन्, पूरे हिन्दुस्तान में पर कैपिटा इनकम बिहार की सबसे कम है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की है। नीचे से हम दूसरे स्थान पर हैं। श्रीमान्, हमसे आगे मध्य प्रदेश और उड़ीसा निकल गये हैं। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश करके उत्तर प्रदेश के दो भाग करते हैं तो जो भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे कम हो जायेगी। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने इस देश को पंडित नेहरू, इन्दिरा गाँधी,

विश्वनाथ प्रताप सिंह और चन्द्र शेखर जैसे 4-4 प्रधानमंत्री दिये हैं लेकिन इसके साथ ही यह दुर्भाग्य हमारा जुड़ा हुआ है कि हम अभी भी प्रगति की दिशा में काफी पिछड़े हुए हैं। श्रीमन्, यह बात भी सही है कि जब भी हिन्दुस्तान में परिवर्तन की आवाज लगाने की जरूरत आई पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे रहा है। मंगल पाण्डे, वीर कुँवर सिंह, वीर चीतू पाण्डेय जैसे लोग वहीं से उठे और सरकार में बैठे लोग भी जानते हैं कि इमरजेन्सी से मुक्ति दिलाने के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोक नायक जय प्रकाश जी ही आये, जो कि जंगे हिन्दुस्तान के तपे तपाये योद्धा थे। आजादी के बाद भी परिवर्तन हुआ तो श्रीमन्, उसका श्रेय भी पूर्वी उत्तर प्रदेश को ही जाता है। यह अफसोस की बात है कि जहाँ इतने बड़े-बड़े लोग पैदा हुए उस एरिया के विकास पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? हम लोग नहर में टेल का पानी जैसे हो गये हैं। हमारे यहां विकास आते-आते तक सिमट जाता है। गंगा, जमुना, घाघरा और गण्डक नदियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश को ही रौंद डालती हैं। हमारी ही सबसे ज्यादा क्षति होती है। बाढ़ पर हम कोई नियंत्रण नहीं कर सके हैं। हमारे यहाँ की दो तिहाई जमीन हर साल बाढ़ से नष्ट हो जाती है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई रोजगार नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितनी कताई मिलें थी सब की सब बन्द हैं, एक भी नहीं चल रही है। श्रीमन्, हालांकि मऊ में एक चल रही है वह भी कभी चलती है और कभी बन्द होती है। उद्योग का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जिस तरीके से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल-कारखाने, उद्योग-धन्धे, बिजली दे रहे हैं उस तरह से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी दें तो हमारा कुछ विकास हो सकता है। हम कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी में बलिया जिले का विशेष महत्व रहा है। सतारा और मदनापुर हिन्दुस्तान के सबसे पहले आजाद जिलों में हैं। आज हमको बिजली नहीं मिल रही है। आजादी दिलाने के लिये सबसे पहले बगावत मेरठ छावनी में हुई और आजादी के समय और आजादी के बाद भी कई परिवर्तन हुए। आज सरकार में आप बैठे हैं, आपको ख्याल करना पड़ेगा। आपसे जो मैं कह रहा हूँ उस पर गम्भीरता से विचार करिये। लोक नायक जय प्रकाश शताब्दी वर्ष में यहाँ पर उनके नाम पर पैकेज की घोषणा की गई थी। बलिया में सीवर लाइन घोषित की गई थी और नगर विकास मंत्री माननीय टण्डन जी उसका शिलान्यास भी कर आये थे।

गंगा एक्शन प्लान के तहत हमने अनुरोध किया था। पैसा नहीं मिला था, हम पैसा मांग रहे हैं। श्रीमन्, आज जरूरत है, यह समाजवादी पार्टी की सरकार है, हम इनसे अनुरोध करते हैं कि कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर भी ध्यान दें। हम अंतिम बिहार के कोने में फँसे हैं। आपसे अनुरोध है कि जो पैकेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये लोक नायक जय प्रकाश जी के नाम पर घोषित हुआ था वह दिया जाय। नदियों का किनारा है। हम सबसे ज्यादा परवल पैदा करते हैं। श्रीमन्, हमारे यहां हरी सब्जी और परवल के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करा दें तो हम शायद कम नौकरियां मांगें। रोजगार कम मांगें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आप हाथों को काम दें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा में परिवर्तन की जरूरत है वहां शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि पूर्वांचल विकास निधि है इसका वहां कोई मतलब नहीं है .....।

श्री अध्यक्ष--

आपस में बात न करें। जल्दी खत्म करें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा हो रही है वहां के कितने महापुरुष, कितने महामानव बताये गये। मान्यवर, हमारे यहां तहसील में लेडीज डाक्टर उपलब्ध

नहीं हैं। जगह-जगह मिडवाइफ डिलीवरी कराती हैं। तहसील में लेडीज डाक्टर नहीं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों के बिजली के बिल नहीं आने चाहिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली के बिल से मुक्त करने की मैं मांग करता हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मान्यवर, सिटी स्कैन मशीन लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सिटी स्कैन के लिए लोगों को तहसील से 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है या फिर बनारस जाना पड़ता है। इसलिये वहां सिटी स्कैन मशीन की व्यवस्था करनी चाहिए। वहां के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि वहां चिकित्सा, शिक्षा का विकास हो। चाहे इसके लिए एक आयोग बना दिया जाए, वह आयोग जाँच करे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नेक प्रयास होगा।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें रिजवी साहब आप बोलें। तथ्यात्मक बात कहकर अपनी बात खत्म करें।

संसदीय कार्य एंव नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मैं इधर के सदस्यों का संरक्षण चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों को स्पष्ट करने का मौका मिलता है। उसमें अपनी बात स्पष्ट कर दें लेकिन यह ऐसे सदस्य हैं कि समय-सीमा को नहीं मानते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

रिजवी साहब के बारे में जानकारी बढ़ा दूँ, यह तथ्यों के खिलाफ नहीं कहते हैं और न कहेंगे।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने अपने पुराने चेले को पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में रखे गये संकल्प पर बोलने का अवसर दिया। मैं सत्तापक्ष में हूँ यह सही है और इसको स्वीकार करता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार जब भी सत्ता में आई है उन्होंने पूर्वांचल विकास निधि का गठन किया। इससे पहले बहुत सी सरकारें आईं भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। मगर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राधा मोहन जी ने पूर्वांचल के बारे में सोचना तो दूर सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचा यह सही है कि पूर्वांचल का गौरवशाली इतिहास रहा है। चित्तू पाण्डेय, हजारी प्रसाद पाण्डेय, जय प्रकाश नारायण, जनेश्वर मिश्र जैसे लोग, लोहिया जी जैसे लोग, चन्द्रशेखर जी जैसे महान लोग हमारी धरती ने पैदा किए हैं। फिर भी यह सच्चाई है नहर में टेल तक पानी नहीं जाता है, विकास की गंगा पूर्वांचल में जाते-जाते रुक सी जाती है। लेकिन मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी, हमें याद है जब लालजी टण्डन जी नगर विकास मंत्री थे, हमारे विधान सभा क्षेत्र के दो टाउन एरिया पड़ते हैं और दोनों के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं टण्डन जी के पास स्वयं गया और कहा कि आपकी सरकार है, हमारे यहाँ नालियां बजबजा रहीं हैं, कोई सड़क, खंड़जा नहीं है। सिकन्दरपुर, सिकन्दर लोदी के जमाने का है, कहा कि थोड़ा पैसा दे दीजिए, उन्होंने कह दिया कि पैसा नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी लगाया था लेकिन उत्तर आया कि कोई संसाधन सरकार के पास नहीं है। मैं विपक्ष के लोगों से जानना चाहता हूँ, जब उसी कुर्सी पर मो0 आजम खाँ जैसी शख्सियत बैठ जाती है तो चाहे सत्तापक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जो भी अपनी अर्जी लेकर गया है, 5 लाख से कम किसी नगर पंचायत को नहीं दिया है, कोई भेदभाव नहीं। जब

मायावती जी मुख्यमंत्री थीं, सिर्फ इंगित करके बसपा के एम0एल0ए0 को रुपया दिया गया। मनाही थी। हम जाते भी नहीं थे, एक रुपया भी हमारे सदस्य को नहीं मिला। हम लोगों ने माँगा भी नहीं। यह हमारे नेता का बड़प्पन है कि जो उस समय से मंजूर था, 5 लाख रुपये मंजूर किए गये। राम इकबाल सिंह तो गाली देते हैं, किसी की सड़क दुर्घटना में भी मृत्यु हो जाती है तो कह देते हैं कि भूख से मार डाला है। कहीं व्यापारी को लुटवा देंगे, यह तो उनकी आदत है क्योंकि वह जिस पार्टी में हैं उसी के अनुसार काम करते हैं। लेकिन पूर्वांचल के लिए विशेष पैकेज तो होना ही चाहिए। हमारी कौम के ही नहीं, जो हमारे प्रदेश के रहबर हैं, दबे-कुचले लोगों की मुलायम सिंह की तरफ और खासकर जो हमारे मंत्री हैं, उनकी तरफ निगाहें हैं। हमारे नेता का कहना है कि इनके साथ जरूर न्याय होगा। दवाई का पर्चा एक रुपये का हो गया है, फीस माफ हुई है, कन्या विद्या धन योजना चल रही है। मान्यवर, जो गाँव 50 साल से उपेक्षित थे, वहाँ भी कोई पूरा पैसा नहीं है, जहाँ पर हमारी सरकार ने प्राइमरी स्कूल न बनवाया हो। हमने भी 16-17 स्कूलों का उद्घाटन किया है। लेकिन जो मेडिकल कालेज गोरखपुर में चल रहा है, हमारे बलिया से मरीज बनारस जाता है, पी0जी0आई0 में आता है, हमारे कमरे पर भी 10-10 मरीज पड़े रहते हैं। रसड़ा में एक काटन मिल थी वह बन्द हो गयी है। यह सही है कि माननीय मुलायम सिंह यादव का ध्यान पूर्वांचल के विकास के लिए है, उन्होंने विशेष योजना भी चलाई है और पूर्वांचल विकास निधि की व्यवस्था भी मुलायम सिंह यादव ने ही की है। यह व्यवस्था किसी दूसरी सरकार ने नहीं की है। लेकिन मैं मांग करता हूँ कि पूर्वांचल के जो लोग बलिया, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ मण्डल और गोरखपुर मण्डल से आते हैं, यहाँ पर नरेश अग्रवाल जी भी बैठे हैं।

मान्यवर, मैं श्री नरेश अग्रवाल जी से कहना चाहता हूँ कि जितनी खटारा बसें हैं वह हमारे पूर्वांचल को दे दी गयी है। हमारे यहाँ की कमिश्नरी बनारस है। पहले वहाँ के लिए रोडवेज बस चलती थी। लेकिन अब कमिश्नरी बनारस के लिए कोई बस नहीं है। सिकन्दरपुर से बनारस के लिए एक बस दे दीजिए। वहाँ पर कोई डिपो नहीं है वहाँ पर कम से कम एक शेड दे दीजिए। इसके साथ ही एक विशेष पैकेज हम लोगों को भी दिया जाये यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री वसीम अहमद--

मान्यवर, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने जो पूर्वांचल के विकास के लिए प्रस्ताव रखा है उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सही बात है कि पूर्वांचल का विकास होना चाहिए। पूर्वांचल का जितना विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। पहले की सरकारों में और आज अपने लोगों की सरकारों में भी हमें कुछ न कुछ कम मिल रहा है। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष तो वह पश्चिमांचल का, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष तो पश्चिमांचल का, उर्दू-अरबी का अध्यक्ष तो पश्चिमांचल का। मैं कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर मेडिकल कालेज पर ध्यान नहीं दिया गया। वह अभी भी उसी तरह से पड़ा हुआ है। कई चीजें पूर्वांचल को नहीं मिली है। आजादी की लड़ाई में आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया किसी से पीछे नहीं रहे। अल्लाह माँ शिबली जो उर्दू के जानने वाले थे जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेजों के सामने नेशनल नाम रखने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। उस समय अल्लाह माँ शिबली ने नेशनल नाम देने का काम किया था। और वहां पर पं0 जवाहर लाल नेहरू, गाँधी जी सारे लोग वहाँ रुकते थे और आजादी की लड़ाई के लिए काम करते थे। मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल को जो पैकेज मिलना चाहिए जो डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने कहा है वह हमारे पूर्वांचल को मिलना चाहिए। हमारे नेता जी ने जो विकास करने का काम किया है उसके लिए बहुत धन्यवाद।

*श्री पूर्णमासी दहाती--

मान्यवर, आपने मुझे डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी के पूर्वांचल के विकास के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी जब यहाँ रहते हैं तो उन्हें पैकेज याद रहता है लेकिन जब गोरखपुर जाते हैं तो भूल जाते हैं, तब तो दूसरा काम करने लगते हैं।

मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्वांचल को दिया है वह बहुत है। यह सरकार बनने के बाद जो 1200 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया था, उसमें सबसे ज्यादा बकाया पूर्वांचल का था, वह मिला है। आपको याद होगा 1989 में जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने एक बैठक बुलायी थी और यह कहा था कि हम पूर्वांचल के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं और हम इसके लिए पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ । यह सही बात है कि पूर्वांचल के विकास के लिए कुछ और गति देने की आवश्यकता है। उधर के जो लोग बैठे हैं, नाम क्या रखे हों, उनके जमाने में जितनी मिलें चल रही थीं उसमें आधी बंद कर दी गयी थी, और उनकी हालत खराब थी लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे मुखिया ने इन मिलों को चालू कराने की पहल की है मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। मैं नगर विकास मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बिना मांगे पूर्वांचल की सभी नगर पंचायतों को बहुत पैसा दिया है। हमारे यहाँ खड्डा नगर पंचायत है उसे दो बार में पचास हजार रुपया दिया है और वहाँ पर विकास हो रहा है। मान्यवर, यह सही है कि पूर्वांचल लड़ाई, पढ़ाई और भिड़ाई में आगे रहा है और आज भी आगे है। इसमें पूरब पश्चिम का भेद नहीं होना चाहिए। सबका विकास होना चाहिए।

*वाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, माननीय राधा मोहनदास अग्रवाल जी ने अपना संकल्प रखा और बड़े अच्छे ढंग से पूर्वांचल के विकास को गम्भीरता से रखा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्वांचल का विकास होना चाहिए।

श्रीमन्, इसी सदन में जब माननीय मुख्य मंत्री स्व0 वीर बहादुर जी थे तो मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में एक प्रश्न लगाया था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी पर्वतीय विकास परिषद् की भाँति पूर्वांचल विकास परिषद् का गठन करके पर्वतीय विकास के समकक्ष पूर्वांचल का विकास कराने की कृपा करेंगे? उन्होंने उत्तर नहीं दिया। पूर्वांचल के लोगों की बैठक बुलायी। उन्होंने कहा कि हम यह काम नहीं कर सकते लेकिन चुप-चुप करके हम सभी सड़कों को बढ़िया बनायेंगे।

लेकिन उनकी सरकार गिर गयी। वह केन्द्र में चले गये और फिर उनकी मौत भी हो गयी। लेकिन उन्होंने गोरखपुर का विकास किया। जब 89 में माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने पूर्वांचल के तमाम सदस्यों की, हर पार्टी के, एक बैठक बुलायी। उन्होंने कहा कि हम दौरा करते हैं और हमने वहाँ पर गरीबी और पिछड़ापन देखा है इसलिए पूर्वांचल विकास निधि का गठन करके विकास करेंगे। इससे आप सहमत हैं तो सारे लोगों ने सहमति जाहिर की तब से पूर्वांचल विकास निधि का गठन हुआ। यह कहने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए कि पिछली सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

में गड़बड़ियां हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। विकास के मामले में पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। इसमें एक होना चाहिए चाहे किसी एरिया में विकास हो। लेकिन पूर्वांचल का विकास जब-जब मुलायम सिंह जी आते हैं तब यह उनकी प्राथमिकता होती है और आज उन्होंने पैसा बढ़ाया भी है जो आपका कहना है कि त्वरित विकास हो, समयबद्ध कार्यक्रम बने इससे कौन सहमत नहीं है? मुलायम सिंह जी की सरकार ने चीनी मिलें जो बंद पड़ी थीं उसको चालू कराने का काम किया है और कुछ नयी चीनी मिलें लगाने की योजना बनाई है और जो पूर्वांचल की चीनी मिल है, दाल मिल है, धान मिल है, आटा मिल है यह लग सकता है, यह बात सही है अध्यक्ष जी कि पूर्वांचल उद्योग के मामले में बिल्कुल शून्य है। पूरा पूर्वांचल इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर तक पूरा इलाका उद्योग के मामले में शून्य है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार और विकास परिषद् के अध्यक्ष माननीय अमर सिंह जी का प्रयास है कि पूर्वांचल में भी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाए यह विचार-विमर्श भी चल रहा है। पूर्वांचल पिछड़ा है इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय सदस्यों के द्वारा पूर्वांचल बांटने की जो बात कही गयी उस पर हम सभी सदस्य एक मत हैं कि जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी पूर्वांचल का विकास नहीं कर देंगे जब तक गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, सहारनपुर, मुरादाबाद के समकक्ष जब तक पूर्वांचल का विकास नहीं हो जाता है तब तक किसी भी ताकत पर पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा तो यह कहना कि पूर्वांचल का विकास नहीं हो रहा है, गलत है पूर्वांचल का विकास हो रहा है, लेकिन एक मामले में वह थोड़ा पिछड़ा है वह है उद्योग, उसमें भी हमारी सरकार का प्रयास चल रहा है। शिक्षा के मामले में पूर्वांचल ठीक है, काशी विश्वविद्यालय है, गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और बलिया में माननीय नगर विकास मंत्री जी के प्रयास से लोक नायक जय प्रकाश नारायण के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय खोलने की भी बात चल रही है। लोक नायक जय प्रकाश नारायण इस देश के स्वतन्त्रता आंदोलन के अग्रणी नायक 1942 में रहे थे। दूसरी बात जब हिन्दुस्तान में लोकतंत्र पर ग्रहण लगा, तानाशाही प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा तो फिर उन्हीं लोक नायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में हम जैसे युवाओं ने आन्दोलन करके लोकतन्त्र को बहाल किया। इसके साथ यह भी सही है कि प्रदेश की सरकार पूर्वांचल विकास के लिए कटिबद्ध है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी लोगों ने अपने विचार रखे हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूँ और डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल से अनुरोध करता हूँ कि वह अपना संकल्प प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार में पूर्वांचल में विकास कार्य हो रहे हैं।

श्री जगदीश नारायण राय--

कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

कैसे नहीं हो रहे हैं? पूर्वांचल की नगरपालिका और नगर पंचायत में जितना पैसा इस सरकार ने दिया है उतना पैसा अगर पांच वर्ष के अन्दर किसी भी सरकार ने दिया हो तो हमसे कहें? हर विकास कार्य के लिए पैसा दिया जा रहा है, सड़कों के लिए भी पैसा दिया जा रहा है, आप देखना सड़कें चमचमा जायेंगी और हरहरा कर गाड़ियां चलेंगी, लेकिन जब आप सरकार में थे राय साहब, तो एक भी पैसा पूर्वांचल विकास निधि में नहीं दिया गया अगर दिया गया हो तो बतायें। मान्यवर, पूर्वांचल को हम विकास के रास्ते पर ले जायेंगे, इसी के साथ एक बार मैं फिर अनुरोध करूंगा कि आप अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष --

माननीय अग्रवाल साहब, आप अपना संकल्प वापस लेंगे ?

(व्यवधान)

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण के दौरान एक बात कही है, बुन्देलखण्ड निधि के लिए सौ करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया, जिसकी जनसंख्या इस प्रदेश में चार करोड़ है।

मान्यवर, जनसंख्या का सिद्धान्त बहुत स्पष्ट है, भागीदारी बहुत स्पष्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 40 प्रतिशत है। इस हिसाब से आपको दस गुना अधिक पैकेज देने की बात करनी चाहिए और उस अनुपात में पैकेज देने की कोई घोषणा माननीय मंत्री जी करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बातचीत करके, यदि मंत्री जी कोई एक छोटी सी घोषणा कर दें तो मैं इस संकल्प को वापस लेने को तैयार हूँ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा उसके त्वरित एवं संतुलित विकास हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि स्नातक कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण के लिए शासन की स्पष्ट नीति निर्धारित की जाय।" के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प†

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद। मान्यवर, इस सदन को पूर्ण रूप से याद है कि माननीय मुलायम सिंह की सरकार इस प्रदेश में जब-जब आयी है हाईस्कूल व इण्टर की परीक्षा का परिणाम बढ़ कर अप्रत्याशित आया है। क्या यह सरकार इस प्रदेश में पढ़े-लिखे बेरोजगार की एक लम्बी फोज खड़ी कर देना चाहती है?

श्री अध्यक्ष--

आप यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? अपने संकल्प पर बोलें।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, मैं संकल्प पर बोल रहा हूँ। मान्यवर, जितने बच्चे प्रति वर्ष इस प्रदेश में इण्टर की परीक्षा पास कर रहे हैं, क्या यह सरकार सभी को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश दिला पाई है? यदि नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार की जिम्मेदारी है और प्राथमिकता है कि पेयजल व स्वास्थ्य के साथ शिक्षा भी सामान्य रूप से आम जनता को प्राप्त हो। शासन द्वारा सेकेण्ड शिफ्ट

†दिनांक 6 अगस्त, 2004 की कार्यवाही से आगे ----------

भी विद्यालयों में चलाई गयी है लेकिन उसकी फीस अत्यधिक रखी गयी है वह फीस भी दोनों शिफ्टों में बराबर होनी चाहिए। मैं सदन के माध्यम से मान्यवर, सरकार से माँग करता हूँ कि स्नातक कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण के लिए शासन की स्पष्ट नीति निर्धारित की जाए।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं तो इतना कहूँगा कि माननीय सदस्य की चिन्ता जो है उस पर सरकार का ध्यान केन्द्रित है क्या रोजगार के अवसर इस सरकार ने नहीं दिये हैं ? मान्यवर, जब इनकी सरकार सत्ता में थी तो सरकारी नौकरियों में बैन लगा दिया गया था और दो प्रतिशत कटौती की बात आपकी सरकार में हुई थी। जब माननीय अटल बिहारी बाजपेई जी केन्द्र में प्रधानमंत्री थे उस समय यह नीतिगत निर्णय हुआ था और उस समय विश्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार नौकरियों में दो प्रतिशत कटौती की बात के संबंध में अन्डरटेकिंग दी गयी थी। मान्यवर, यद्यपि हमारी सरकार के ऊपर भी सारे स्पीडब्रेकर लगाये जा रहे हैं लेकिन फिर भी वित्तीय अनुशासन में रहते हुए इस सरकार ने सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। हमारे परिवहन विभाग में तीन हजार ड्राइवर, तीन हजार कन्डक्टर और सिपाही की भर्ती की जा रही है इसी तरह से आज बजट में लोहिया सेना का गठन किये जाने की घोषणा की गयी है। मान्यवर, जितने भी विभागों के मंत्री हैं वह अपने विभाग में नौकरियों को देकर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, हमारी यह प्रतिबद्धता है कि आबादी के अनुपात में नौकरी भी दें और शिक्षा भी दें और छात्रों को प्रवेश भी मिले चाहे वह इंजीनियरिंग कालेज हो, मैनेजमेन्ट के कोर्स हो या इण्टर कालेज हो या अन्य कालेज। मान्यवर, हम लोग निजी क्षेत्र में भी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। असंवित ब्लाक में कन्या विद्यालय खोलने की बात किस सरकार में हुई , हमारी सरकार में हुई। हम लोग तो डिग्री कालेज खोलने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसमें 30 लाख रुपये भी सरकार देगी और ग्राम सभाओं की जमीन भी दिलवा रहे हैं और आप याद करिये कि जब एडमीशन की बात आई थी तब यह हुआ था कि द्वितीय पाली में कक्षाएं चलेंगी ,और यह दो पाली में इसलिए चलायी गयी कि तमाम लोगों को एडमीशन मिले, तो सरकार इसके लिए जागरूक है। ऐसा नहीं है कि यह आपकी ही चिन्ता है यह चिन्ता पूरे सदन की है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि अगर एजूकेशन देना है तो एडमीशन देंगे और एडमीशन देंगे तो नौकरी दिलाने का भी प्रयास करेंगे। सरकार इसके लिए चिन्तित है और खुद भी सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। मैं समझता हूँ कि सत्य प्रकाश अग्रवाल जी इसको वापस ले लेंगे। सरकार इनकी चिन्ता का समाधान कर रही है और मुझे उम्मीद है कि वह इससे संतुष्ट हो गये होंगे।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, जो बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ गये हैं, मेरा सीधा-सीधा कहना यह है कि जो बच्चे पढ़कर आगे बढ़ गये हैं और उनको एडमीशन नहीं मिला है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर उन्हें एडमीशन नहीं मिलेगा और वह बेराजगार रहेंगे तो डाकू, चोर, लुटेरे बनेंगे, तो सरकार की यह जिम्मेदारी है। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि जो सेकन्ड पाली चालू की गयी है उनकी फीस बहुत ज्यादा कर दी गयी है। मेरा कहना यह है कि उनकी फीस बराबर की जाये तो ठीक हो। उसमें गरीब आदमी कहाँ से एडमीशन करा पायेगा ? आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है बस मेरा यह कहना है कि फीस बराबर कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप इसे वापिस ले रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, फीस बराबर कर देंगे तो वापस ले लेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

आज बजट में बहुत सारी घोषणाएं की गयी हैं अगर आप उसमें शिक्षा के बजट को पढ़ लिये होते तो इसको वापस ले लेते। आपने चिन्ता व्यक्त की है कि द्वितीय पाली की फीस बराबर हो तो उस पर विचार कर लेंगे। मेरा आग्रह है कि इसको वापस लेने की कृपा करें।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, सेल्फ फाइनेंस की और इसकी फीस बराबर कर दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, एक तो जब यह रिजल्ट आया है और बच्चों ने काफी मात्रा में पास किया तो नेता जी ने बुनियादी घोषणा की थी और उस समय 25 प्रतिशत सीटों को बढ़ाया गया था। सारी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से कहा गया था कि दाखिला लें और दाखिले हुए भी। एक आध जगह शिकायतें मिली, रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी की शिकायत रही कि उसके वाइस चांसलर ने थोड़ा काफी कम इसे माना लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी स्कीम चलायी गयी प्राइवेट कालेज चलाने की, प्रोत्साहित करने, पैसा देने की बात की गयी।

जहाँ तक फीस का मामला है फीस के मामले में हमारे नेता जी कितना उदार हैं, आपको पता है। मान्यवर, इण्टरमीडिएट पास लड़कियों के मामले में 20 हजार रुपये देने की घोषणा हुई थी तो वह घोषणा ही नहीं हुई बल्कि पैसा दे रहे हैं। यह बात आप जानते हैं कि कुछ मामलों में न्यायालय के कुछ निर्णय हैं, फीस के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलें हैं उनका परीक्षण कराया जायेगा अगर कुछ भी रास्ता निकलता है तो सरकार इसका संज्ञान लेगी।

श्री अध्यक्ष--

इसे आप वापस ले रहे हैं?

(श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल के न बोलने पर)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

इन्होंने अदालत की बात कभी मानी नहीं है, आज नहीं मान रहे हैं, तो क्या बात है?

श्री अध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि स्नातक कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण के लिये शासन की स्पष्ट नीति निर्धारित की जाय ?

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 में दिनांक 17 नवम्बर, 2004 के उपवेशन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की खराबी व अन्य कारकों वश इस सदन की कार्यवाही का प्रतिवेदन ठीक ढंग से न होने तथा कतिपय अंशों को कार्यवाही से निकाले जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार आदि के औचित्य के प्रश्न पर पीठ के निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने विषयक अनुरोध पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको एक निर्णय की सूचना दे रहा हूँ।

विधान सभा के तृतीय सत्र 2004 में दिनांक 17 नवम्बर, 2004 के उपवेशन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की खराबी तथा अन्य कारणों से सदन की कार्यवाही का प्रतिवेदन ठीक से न हो पाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार, श्री रामनेरश यादव, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री श्याम सूरत उपाध्याय ने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी। उक्त प्रश्न उठाते हुए श्री प्रमोद कुमार ने पीठ का ध्यानाकृष्ट करते हुए अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा था कि "सदन की कार्यवाही में क्या अंकित होगा, क्या नहीं होगा, यह नियमों में प्राविधान है। आपकी पीठ सर्वोच्च है, यह सदन सर्वोच्च है, उसमें किसी भी नियम को शिथिल कर सकते हैं, उसमें किसी भी नियम को कुछ देर के लिए स्थगित कर सकते हैं। मुझे क्षमा करें, इस सदन को यह अधिकार नहीं है कि वह नियमों के विपरीत चला जाये।" उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-304 का उल्लेख करते हुए कहा कि, "यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र है, तो वे स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें।" उन्होंने यह भी कहा कि, "किसी को अगर सुविधाजनक न लग रहा हो, लग रहा हो कि किसी ने गल्ती कर दी, यह कहें कि इसको निकाल दीजिये, तो यह उसकी इच्छा हो सकती है। लेकिन यह उसकी इच्छा नियमावली के विपरीत नही जा सकती।" उन्होंने यह भी कहा कि, "अगर मैं किसी को मिस्टर सूप कहूँ या किसी को मिस्टर छलनी कहूँ तो मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ कहावत कह रहा हूँ।"

इस पर माननीय नेता विरोधी दल ने अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा कि, "यह प्रकरण उठाया गया है यह आपके द्वारा दी गयी पीठ की रूलिंग के ऊपर आक्षेप है।" यह रूलिंग का सन्दर्भ मेरे द्वारा दिनांक 09 नवम्बर, 2004 को एक अन्य मामले में पीठ से दिये गये निर्णय से सम्बन्धित था। श्री प्रमोद कुमार तथा श्री जगदम्बिका पाल द्वारा दिनांक 09 नवम्बर, 2004 के उपवेशन में उपर्युक्त मामले में मेरे द्वारा दिये गये निर्णय पर 17 नवम्बर, 2004 के उपवेशन में पुनर्विचार का अनुरोध किये जाने पर मैंने उस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।

यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 09 नवम्बर, 2004 को श्री लालजी वर्मा, सदस्य विधान सभा ने मरम्मत के कार्यों में लोक निर्माण विभाग द्वारा भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाया था जिसका खण्डन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया था। उक्त संदर्भ में श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा ने कहा था कि लोक निर्माण विभाग की तरह ही सिंचाई विभाग ने भी वही निर्णय लिया है। इसी बीच हस्तक्षेप करते हुए श्री प्रमोद कुमार द्वारा

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के प्रति आक्षेपात्मक तथा अशोभनीय भाषा का प्रयोग किये जाने पर आक्षेपात्मक अंशों को कार्यवाही से निकाले जाने अथवा इसके प्रत्युत्तर में उनको बोलने का अवसर दिये जाने हेतु श्री त्रिपाठी ने पीठ से अनुरोध किया था जिस पर मैंने असंसदीय बातों को कार्यवाही से निकाले जाने हेतु व्यवस्था दी थी।

श्री प्रमोद कुमार द्वारा दिये गये तर्क से यह ध्वनित होता है कि सदन में प्रत्येक सदस्य को अपना विचार व्यक्त करने का पूर्ण वाक्-स्वातंत्रय है, जबकि स्थिति सर्वथा भिन्न है। संविधान के अनुच्छेद 194 के खण्ड (1) में यह स्पष्ट प्राविधान है कि-"इस संविधान के उपबंधों और विधान-मण्डल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदशों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल में वाक् स्वातन्त्रय होगा।" श्री प्रमोद कुमार ने प्रक्रिया नियमावली के नियम-304 का उल्लेख अपने तर्क में देते हुए यह भी कहा है कि सदन में मान हानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र शब्द या शब्दों को कार्यवाही से निकाले जाने का प्राविधान है। उनका आशय यह है कि मान हानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र शब्द या शब्दों को ही कार्यवाही से निकालने का आदेश पीठ द्वारा दिया जा सकता है। उनका यह तर्क निराधार है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली संविधान के अनुच्छेद-208 के अन्तर्गत बनायी गयी है और सदन में जो वाक्-स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वह अनुच्छेद-194 से उदभूत होती है, परन्तु उस पर भी यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि उक्त वाक् स्वातंत्रय प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन होगा। उक्त प्रक्रिया सम्बन्धी नियम-304 केवल असंसदीय, अशिष्ट, अभद्र शब्द या शब्दों तक ही सीमित नहीं है, वरन् उसमें ऐसे अंश को भी निकाले जाने का प्राविधान है क्योंकि शब्दों से वाक्य की रचना होती है और वाक्यों से अंश बनता है। इसलिए मैंने असंसदीय बातों को कार्यवाही से निकाले जाने का निर्णय दिया था।

श्री प्रमोद कुमार एवं श्री जगदम्बिका पाल ने औचित्य के जिस प्रश्न की सूचना दी थी उसमें उन्होंने ध्वनि विस्तारक यंत्रों की खराबी के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से सदन की कार्यवाही में इंगित शब्द या वाक्य एवं मन्तव्य तथा माननीय सदस्यों द्वारा बोले गये वाक्य, शब्द एवं मन्तव्य में फर्क आ जाने का उल्लेख किया था, परन्तु उन्होंने उक्त विषय पर बोलते हुए मेरे द्वारा 09 नवम्बर, 2004 को दिये गये निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध भी कर दिया। यह अनुरोध विषय से हटकर था जब कि अध्यक्ष के निर्णय पर बिना मौलिक प्रस्ताव के चर्चा नहीं की जाती है।

अत: मैं अनुच्छेद 194 के खण्ड-(1) के साथ पठित प्रक्रिया नियमावली के नियम-304 के अन्तर्गत अपने पूर्व निर्णय को उचित मानते हुए श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री श्यामसूरत उपाध्याय के औचित्य के प्रश्न को निरस्त करता हूँ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 23 फरवरी, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जनपद गौतमबुद्धे नगर के ग्राम छलेरा बाँगर नोएडा, के किसानों को जमीन का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री हुकुम सिंह की पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित कृष्णा नदी में बांध बनाने की परियोजना के

अन्तर्गत निर्माणाधीन अवशेष बन्धों के बन्द पड़े निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री प्रभुदयाल वाल्मीकि की लखनऊ स्थित टिकैतराय सचिवालय कालोनी के आवासों में सिविल अनुरक्षण का कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री द्वारिका प्रसाद की जनपद सन्तकबीर नगर के ग्राम जोरवापुर से होते हुए पचपुखरी बाजार तक अधूरी सड़क को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पाँचवी सूचना डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्टों के चयन प्रक्रिया को पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री राजेश कुमार की जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ में वर्ष 2003 में नियुक्त 5 प्रबन्धकों (ग्रामोद्योग) को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई, उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री बैजनाथ दुबे, श्री बीजू पटनायक, श्री राम इकबाल सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री कौशल किशोर, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्रीमती विद्या चौधरी, डा0 सुशील चौधरी, श्री मुन्शीलाल गौतम, श्री राजपाल सिंह वालियान, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री अवधेश कुमार वर्मा, श्री राम करन आर्य, श्री रिजवान अहमद खाँ, श्री अनीस अहमद खाँ उर्फ फूल बाबू, डॉ0 अजय कुमार, श्री विश्राम सिंह यादव तथा श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव।

जनपद गाजीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक डॉ0 अजय कुमार अग्रवाल के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[दिनांक 09-2-2005 को थाना बहरियाबाद अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर, गाजीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक डा0अजय अग्रवाल को बस से उतार कर अपहरण कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना बहरियाबाद पर मु0अ0सं0-112/05 धारा 365 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है तथा अपहृत डा0 अग्रवाल की बरामदगी एवं अन्य अपेक्षित कार्यवाही हेतु राजपत्रित अधिकारियों सहित थानाध्यक्षों की आठ टीमें गठित करके अपराध से सम्बन्धित गैंग के सदस्यों, सक्रिय अपराधियों, डा0 अग्रवाल का सम्पत्ति से सम्बन्धित विवाद के दृष्टिगत सम्बन्धित व्यक्तियों तथा डाक्टर द्वारा चिकित्सा में गड़बड़ी किये जाने व विवादित मामले से सम्बन्धित रोगियों व सगे सम्बन्धियों से पूछताछ की जा रही है एवं घटना के अनावरण हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। इलेक्ट्रानिक सर्विलेन्स के माध्यम से भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थिति सामान्य है।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के बांगरमऊ स्थित 36 ग्रामों की बिजली तार चोरी से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री राम शंकर पाल, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ जनपद उन्नाव के 36 ग्रामों का तार वर्ष 88 से 99 के बीच चोरों द्वारा काटकर चुरा लिये गये थे। इन ग्रामों की विद्युत आपूर्ति तभी से बाधित है। उक्त ग्रामों के तार चोरी होने का संज्ञान विभाग को होने के बाद भी समय से एफ0आई0आर0 दर्ज न कराने, स्टोर डिवीजन, लखनऊ को आवश्यकता से अधिक सामान का मांग पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण की जांच पावर कारपोरेशन की इक्वेटर इकाई से करायी गयी तथा जांचोपरान्त दोषी पाये गये तत्कालीन एस0डी0ओ0 श्री गुलाब सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री जे0वी0एस0 चौहान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

विद्युतीकरण हेतु आया सामान किसी अन्य ग्राम में नहीं लगाया गया है। उक्त ग्रामों के तार चोरी होने की एफ0 आई0आर0 नं0 73/2000, दिनांक 25-2-2000 थाना बांगरमऊ में तथा नं0 450/99 दिनांक 30-12-99 थाना फतेहपुर, चौरासी में दर्ज करायी गयी उक्त 36 ग्रामों मे से 16 ग्रामों की विद्युत आपूर्ति वर्ष 2000-03 के बीच अन्य योजना में स्वीकृति मिलने के बाद करा दी गयी है। शेष 20 ग्रामों को पुन: विद्युतीकृत करने के लिए भारत सरकार की त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।]

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम की विद्युत आपूर्ति हरदोई के विद्युत उपकेन्द्र से कराये जाने के संबंध में श्री विश्राम सिंह यादव, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[बिलग्राम क्षेत्र की वर्तमान में विद्युत आपूर्ति उन्नाव जनपद के 132 के0वी0 उपकेन्द्र बांगरमऊ से की जा रही है।

बिलग्राम क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति हरदोई जनपद से करने के लिए सुरसा से बिलग्राम तक नई 32 के0 वी0 लाइन करनी पड़ेगी जिस पर लगभग 58 लाख रुपया व्यय आयेगा।

इस कार्य हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है, परन्तु वित्तीय लिंकेज नहीं हो पाया है। धन की व्यवस्था हेतु निगम प्रयासरत है। संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि0 के दैनिक वेतन भोगी मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 सुशील चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[कारपोरेशन के पत्र संख्या-3377-अरा-09 (व)/पाकालि, दिनांक 24-8-02 द्वारा छटनीशुदा तथा कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं। यह पत्र कारपोरेशन द्वारा पूर्व में निर्गत पत्र संख्या-4822-अरा0-09/राविप, दिनांक 28-11-96 के सन्दर्भ में जारी किया गया था जिसके द्वारा दिनांक 4-5-90 के पूर्व परिषद में आये एवं वर्तमान में कार्यरत समस्त मस्टर रोल/दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित रिक्त पद पर सेवायोजित करने एवं इस निमित्त विद्युत सेवा आयोग एवं क्षेत्रीय मुख्यालय /परियोजना स्तर पर तत्काल चयन परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने के आदेश जारी किये गये थे। इस आदेश के सन्दर्भ में, उक्त पत्र दिनांक 24-8-2002 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि संबंधित खण्ड/मण्डल में रिक्त पद उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों/मण्डलों में कारपोरेशन के अनुमोदनोपरान्त जो परीक्षाफल संबंधित क्षेत्र के महाप्रबन्धक (वितरण) को श्रमिक पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु सन्दर्भित किए जा रहे थे, उनके संबंध में जहाँ भी 14-1-2000 के बाद पदोन्नति/स्थानान्तरण/सेवा निवृत्ति आदि कारणों से श्रमिक के पदों पर रिक्तियां हुई हों, उनके विरूद्ध उक्त श्रमिकों को नियुक्ति प्रदान की जाय तथा यदि क्षेत्र के अधीन पद रिक्त न हों तो संबंधित अंचल (वर्तमान में डिस्काम) जिस क्षेत्र के अधीन वांछित रिक्तियां विद्यमान हों उस क्षेत्र को पद परिविस्तारित करेंगे जहां श्रमिक के नियमितीकरण हेतु उनकी आवश्यकता है।

उक्त आदेश के अन्तर्गत विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी को विभिन्न जनपदों में नियमित किये गये हैं। किन्तु विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम सहारनपुर द्वारा उक्त पत्र दिनांक 24-8-2002 को त्रुटि पूर्ण तरीके से लागू करते हुए ऐसे 11 मास्टर रोल श्रमिकों को जो विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सम्पादित परीक्षा एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित परीक्षाफल में सम्मिलित नहीं थे को, अपने आदेश दिनांक 11-11-2002 द्वारा नियुक्ति प्रदान कर दी गई। कारपोरेशन मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आने पर इन कार्मिकों की नियुक्तियाँ फरवरी, 2003 में समाप्त कर दी गयी।

पत्र दिनांक 24-8-2002 द्वारा उन इकाइयों में जहां कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु पद उपलब्ध नहीं थे अन्य इकाइयों से पद परिविस्तारित करने की व्यवस्था की गयी थी जिसके अनुसार सभी इकाईयों द्वारा कार्यवाही की गई है। सहारनपुर जनपद में उक्त आदेशों को गलत ढंग से लागू किया गया जिसे निरस्त करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की गई है। इस प्रकार सहारनपुर जनपद के मस्टर रोल कर्मियों के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया गया है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों हेतु चयन सम्पन्न कराया जा रहा है जिसमें श्रमिक के 272 रिक्त पदों के विरूद्ध भी दिसम्बर, 2004 में विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में छटनीशुदा मस्टर रोल कर्मचारियों का अधिकतम आयु सीमा से छूट दी गई है।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र-चिलकहर के अन्तर्गत पकड़ी, नगरा एवं कुरेजी में पानी की टंकियों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह, द्वारा नियम-51 के अनतर्गत दी गयी सूचना ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) का वक्तव्य।

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि विधान सभा क्षेत्र-चिलकहर, जनपद बलिया में अंशदान के आधार पर जल निगम को विधायक निधि से रुपये 20 लाख वर्ष 2003-04 में ग्राम पंचायत पकड़ी, नगरा एवं कुरेजी में पानी की टंकी लगवाने हेतु जमा किया था। प्रोजेक्ट स्वीकृत भी हो गया है मगर सरकार को शेष धन अवमुक्त करना है वह अभी तक नहीं कर पायी है। इससे हजारों नागरिकों को दूषित जल पीना पड़ रहा है। इससे जनता में असंतोष व्याप्त हो गया है। जनहित में तीनों पानी की टंकियों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।]

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार की नीति के अनुसार सभी ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं सामुदायिक सहभागिता के आधार पर कार्यान्वित की जानी है जिसके अन्तर्गत योजना की लागत का 10 प्रतिशत अंशदान की धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव माह नवम्बर/दिसम्बर, 2002 में प्राप्त होने के उपरान्त जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के तीन ग्रामों क्रमशः पकड़ी, नगरा तथा कुरेजी की तीन पाइप पेयजल योजनाएं प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय सोर्स फाइन्डिंग कमेटी तथा तकनीकि समिति" की दिनांक 26-3-2004 की बैठक में प्रस्तुत की गई थी:--

1-पकड़ी ग्राम पंचायत पे0ज0यो0--अनु0 लागत रु0 68.26 लाख।

2-नगरा ग्राम पंचायत पे0ज0यो0--अनु0 लागत रु0 99.92 लाख।

3-कुरेजी ग्राम पंचायत पे0ज0यो0--अनु0 लागत रु0 54.88 लाख।

योग . . रु0 223.06 लाख

उक्त बैठक में उपस्थित "राजीव गॉधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन" भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि 55 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से अधिक दर पर जो पाइप पेयजल योजनाएं सहभागिता के आधार पर बनाई जाये, उनमें सहभागिता का अंशदान 15 प्रतिशत लिया जाना है एवं उक्त आधार पर प्रस्तावित तीनों पाइप पेयजल योजनाओं का इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्त योजनाओं हेतु 15 प्रतिशत की धनराशि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त कर तद्नुसार योजना संशोधित की जाय।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त के अनुपालन में उक्त योजनाओं हेतु 15 प्रतिशत की सहभागिता अंशदान की धनराशि अपनी क्षेत्र विकास निधि से उपलब्ध कराने हेतु श्री राम इकबाल सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरान्त उक्त योजनाएं संशोधित कर दी गयी है।

श्री राम इकबाल सिंह, मा0 विधायक की क्षेत्र विकास निधि से मार्च, 2003 में उक्त तीनों योजनाओं की कुल अनुमानित लागत रु0 223.06 लाख की 15 प्रतिशत सहभागिता अंशदान की धनराशि रु0 33.459 लाख के सापेक्ष्य उपलब्ध कराई गई, रु0 15 लाख की धनराशि से तीनों योजनाओं के अन्तर्गत एक-एक नलकूप के छिद्रण का कार्य कराया जा चुका है। जहाँ तक लागत का शासकीय अंश उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, इस वित्तीय वर्ष 2004-05 में 151 स्वीकृत/निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं एवं हेण्डपम्प कार्यों के निष्पादन हेतु उ0प्र0 जल निगम को रु0 181.2121 करोड़ (एक सौ इक्यासी करोड़ इक्कीस लाख इक्कीस हजार) उपलब्ध कराया गया है। जल निगम विभिन्न स्वीकृत/निर्माणाधीन योजनाओं पर समग्रता में धनराशि की आवश्यकता व उपलब्धता अनुसार कार्य करता है।

नोटिस में उल्लिखित ग्रामों क्रमशः पकड़ी, नगरा और कुरेजा में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक 250 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प के अनुसार आवश्यक हैण्डपम्पों की संख्या क्रमशः 35,53,25 है जिनके सापेक्ष्य उक्त ग्रामों में क्रमशः 55,53,42 हेण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार उक्त तीनों ग्राम मानक के अनुसार पेयजल से संतृप्त हैं। अतः उक्त ग्रामों में मानकों से अधिक पेयजल की उपलब्धता होने के कारण पेयजल के गम्भीर संकट की स्थिति नहीं है।]

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, इसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने 20 लाख रुपये अपनी विधायक निधि से दिये थे। हमारे यहां 3 जगह पर पानी की टंकी बननी है। जल निगम को पैसा मिल भी गया है। हमारे क्षेत्र मे तीन पानी की टंकियां स्वीकृत होनी थी, जब यह स्वीकृत हो गयी तो 10 की जगह 15 परसेंट का हिस्सा हो गया है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि शेष धनराशि अवमुक्त कर दी जाय।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मैं इसको गम्भीरता से देख लूंगा, लेकिन अभी कुछ इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ।

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मार्गों तथा पुलों के अवशेष निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बनध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(वकतव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

[माननीय सदस्य, विधान सभा जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) से स्वीकृत कार्य जो अधूरे हैं, को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध मे नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 16-02-2005 को सूचना दी गई है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल बुन्देलखण्ड) निधि से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त दिनांक 19 सितम्बर, 2002 में सर्वप्रथम चिन्हित वर्षों को परियोजनायें (यदि कोई हों) को पूर्ण करने हेतु धनराशि स्वीकृत करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल बुन्देलखण्ड) निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत धनराशि विधान सभा क्षेत्रवार आवंटित न करके जनपदवार स्वीकृत की जाती है। जनपद प्रतापगढ़ के लिए वर्ष 2004-05 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत रू0 93.7030 लाख की स्वीकृत धनराशि अवशेष कार्य हेतु ही स्वीकृत की गई है, जहाँ तक पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रश्न है, सम्प्रति इस वित्तीय वर्ष में पूर्वांचल विकास निधि में अत्यन्त अल्प धनराशि अवशेष रह जाने के कारण पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अवशेष कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है, जिन्हें पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद शाहजहाँपुर के रोजा अन्तर्गत गन्ना शोध परिषद् की आवासीय कालोनी में वैज्ञानिक सुरेश चन्द्र के आवास पर हुए हमले में चौकीदार सकटे की मृत्यु के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 16-2-05 को नियम-51 के अन्तर्गत सदन को यह सूचना दी गयी कि दिनांक 16/17 जनवरी, 2005 की मध्य रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने शाहजहाँपुर जनपद के थाना क्षेत्र रोजा के अन्तर्गत आने वाली आवासीय कालोनी, जिसमें गन्ना शोध परिषद् के वैज्ञानिक तथा कर्मचारी निवास करते हैं, धावा बोल दिया। बदमाशों ने टाइप 3/4 मकान पर धावा बोल कर इसमें रहने वाले वैज्ञानिक सुरेश चन्द्र व उनके परिवार वालों को आतंकित करने की नियत से फायरिंग की। आवासीय कालोनी में मौजूद 03 चौकीदार सकटे व हीरालाल को मौके पर बदमाशों ने मारा तथा चौकीदार बृजेश की बन्दूक छीनकर ले गये। सकटे की मौत मौके पर हो गयी, हीरालाल कोमा में चला गया उसको व बृजेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी आवासीय कालोनी में एक भय और आतंक का माहौल छा गया। आज तक इस घटना का पूरी तरह खुलासा नहीं हो सका। मृतक सकटे के परिवार में उसके बच्चे व उसकी पत्नी है, उसको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता भी अभी तक नहीं मिल पायी, न ही घायलों को सरकार की ओर से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता ही दी गयी, कालोनी में बाउन्ड्री न होने से आज भी खतरा बना हुआ है, पूरी कालोनी में भय व्याप्त है। जनहित में केस का खुलासा होना, मुल्जिमों का पकड़ा जाना, आवासीय कालोनी की बाउन्ड्री बनवाया जाना, सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होना तथा बन्दूक की वापसी अत्यन्त आवश्यक है।

प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर से प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 16/17-1-05 की रात्रि में चौकीदार सर्व श्री सकटे पुत्र डोरीलाल कुम्हार, बृजेश सिंह पुत्र राम पाल डी0बी0बी0एल0 बन्दूक सहित तथा हीरालाल उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर की आवासीय

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कालोनी में गश्त पर थे। करीब 1.30 बजे रात्रि में जब वे तीनों चौकीदार अलाव ताप रहे थे, उसी समय अचानक उनके पीछे से 8-10 बदमाशों द्वारा लाठी-डण्डों से हमला बोल दिया गया। बृजेश सिंह चौकीदार को लाइसेन्सी डी0बी0बी0एल0 बन्दूक सं0-0696 बदमाश छीन कर ले गये। सकेट को गोली मार दी जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। घटना में चौकीदार हीरालाल के सिर में गंभीर चोटें आयीं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 17-1-05 को थाना गंजा पर श्री बृजेश सिंह चौकीदार की सूचना म0अ0सं0-10 05 धारा 396 भा0 द0 वि0 बनाम 8-10 नाम पता अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष, गंजा द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण (1) कालिका उर्फ मुन्नन पुत्र इतवारी (2) कल्लू पुत्र अमीर उल्ला (3) लतीफ (4) रफीक पुत्र दरियाव निवासीगण ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग, थाना-गंजा, शाहजहाँपुर (5) नईम पुत्र मो0 अजीज (6) मनाक पुत्र अज्ञात निवासी गण मोहल्ला किला, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर के नाम प्रकाश में आये। अभियुक्त कालिका व कल्लू दिनांक 13-2-05 को गिरफ्तार कर जेल भेज गये गिरफ्तार अभियुक्तों ने घटना में शामिल होना इकबाल किया। प्रकाश में आये शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं लूटी गयी लाइसेन्सी डी0बी0बी0एल0 बन्दूक की बरामदगी हेतु ठोस एवं सार्थक प्रयास जारी है, शेष अभियुक्तों के विरुद्ध 82 83 द0प्र0सं0 की कार्यवाही भी की जा रही है।

30 प्र0 गन्ना शोध परिषद् आवासीय कालोनी में प्रभावी गश्त पिकेट की व्यवस्था की गयी है। नियमित रूप से पुलिस पार्टियाँ भेजी जा रही हैं। आवासीय कालोनी में भय एवं आतंक का माहौल, हानि जैसी कोई बात प्रकाश में नहीं आयी है।]

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में स्वीकृत आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन न होने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह अवगत कराया गया है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा लालगंज, तहसील लालगंज में एक आश्रम पद्धति विद्यालय की स्वीकृति की गयी जिसका निर्माण ग्राम बेला, तहसील लालगंज में किया गया। लगभग यह योजना 78 लाख 86 हजार की है। यह निर्माण कार्य समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा कराया गया। इस योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी हो गयी है। 26 मार्च, 2004 को समाज कल्याण विभाग का हो गया है। यह विद्यालय गरीब एवं विमुक्त जातियों के बच्चों की पढ़ाई हेतु खोला गया है जैसा कि सरकार की योजना है। मगर इस विद्यालय का संचालन अब तक नहीं हुआ। भवन लगभग 5 साल पहले बन चुका है। दुख का विषय है कि अब तक न तो पद सृजन हुआ न संचालन हुआ। जबकि शासन में पद सृजन का प्रकरण लम्बित है। विद्यालय का संचालन न होने से क्षेत्रीय जनता में काफी असंतोष व्याप्त है । इस लोकहितकारी योजना का संचालन पठन-पाठन में होने से गरीब छात्रों का अहित हो रहा है। मा0 सदस्य द्वारा लोक हित के महत्व पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा मा0 विधायक से प्राप्त सूचना को उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया है और इस विषय पर वक्तव्य के लिए दिनांक 23-2-2005 की तिथि निर्धारित की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, लालगंज, आजमगढ़ के भवन निर्माण हेतु रु0 70.86 लाख की धनराशि दिनांक 29-8-2001 को स्वीकृत की गयी थी। प्रश्नगत विद्यालय का भवन निर्माण उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा पूर्ण कराकर दिनांक 26-3-2004 को ही समाज कल्याण विभाग को हस्तान्तरित किया गया है, पूर्ण रूप से निर्मित एवं कार्यदायी संस्था द्वारा हस्तान्तरित आश्रम पद्धति विद्यालयों, जिसमें प्रश्नगत आश्रम पद्धति विद्यालय भी शामिल है, के त्वरित संचालन एवं निर्मित भवनों का सदुपयोग सुनिश्चित करने तथा भवन निर्माण में व्यय की गयी धनराशि का अपव्यय रोके जाने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को शिक्षा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के विस्तृत औचित्य सहित दिनांक 10-2-2005 को पद सृजन हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। जिसकी स्वीकृति होने ही आगामी शिक्षा सत्र में इस विद्यालय के संचालन का प्रयास किया जायेगा।]

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम की विद्युत सप्लाई हेतु हरपालपुर कस्बे में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के संबंध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[बिलग्राम तहसील मुख्यालय को विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 बिलग्राम उपकेन्द्र से की जाती है। बिलग्राम उपकेन्द्र को विद्युत आपूर्ति उन्नाव जनपद के 132 के0वी0 उपकेन्द्र बांगरमऊ से की जाती है। साण्डी तथा हरपालपुर कस्बे की विद्युत आपूर्ति साण्डी कस्बे में स्थित 33/11 के0वी0 साण्डी उपकेन्द्र से की जा रही है। जिसे विद्युत आपूर्ति की 132 के0 वी0 हरदोई से की जाती है। 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र साण्डी, सवायजपुर एवं पाली एक ही 33 के0वी0 लाइन से जुड़े हुए हैं जिनको विद्युत आपूर्ति 132 के0वी0 हरदोई उपकेन्द्र से की जाती है एवं रोस्टिंग शिडयुल विद्युत आपूर्ति केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष शक्ति भवन से की जाती है। इन उपकेन्द्रों को लगभग 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

भारत सरकार की त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पालिया-हरपालपुर में 1x5 एमवीए का नया 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित है।]

जनपद सुल्तानपुर के धनपतगंज में स्वीकृत पावर स्टेशन बनाये जाने के संबंध में श्री चन्द्र भद्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत धनपतगंज में नया 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र बनाये जाने हेतु वर्ष 2003-04 में स्वीकृत किया जा चुका है। प्रश्नगत उपकेन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध है। उपकेन्द्र के निर्माण में लगभग रुपये 106 लाख व्यय होगा। उक्त उपकेन्द्र का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता, कार्यों की पारम्परिक वरीयता के आधार पर पूर्ण किया जाना संभव हो सकेगा। अतः उक्त उपकेन्द्र को ऊर्जीकृत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं होगा।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देवरिया के नगर पंचायत मझौलीराज के अध्यक्ष के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने के उपरान्त भी वित्तीय अधिकार समाप्त न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[श्री गणेश कुमार कुशवाहा, अध्यक्ष, नगर पंचायत मझौलीराज जनपद देवरिया को अध्यक्ष पद के कर्तव्यों के पालन करने में चूक करने, नगर पंचायत को वित्तीय क्षति पहुँचाने एवं पद का दुरुपयोग करने व नियमों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देवरिया से प्राप्त प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट दिनांक 4-1-2003 के आधार पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त अध्यक्ष के विरूद्ध उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-48 की उपधारा-2 क के अधीन दिनांक 31-10-2003 के द्वारा कारण बताओ का नोटिस जारी किया गया है। अध्यक्ष पर अधिरोपित आरोपों एवं उनके लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर जिलाधिकारी, देवरिया ने अपने पत्र दिनांक 26-2-2004 द्वारा अपनी अन्तिम जांच आख्या/संस्तुति शासन को सम्प्रेषित की है। जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट का परीक्षण शासन स्तर पर किया गया, जिसमें अधिशासी अधिकारी की संलिप्तता के बारे में जिलाधिकारी से स्पष्ट आख्या/संस्तुति प्राप्त करने हेतु शासन के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 21-12-2004 एवं 18 जनवरी, 2005 को अनुस्मरण पत्र भेजा गया किन्तु जिलाधिकारी से अभी तक इस सम्बन्ध में कोई आख्या/सूचना शासन में प्राप्त नहीं हुई है। जिलाधिकारी से सूचना प्राप्त होते ही अध्यक्ष, नगर पंचायत मझौलीराज के विरुद्ध नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना है।]

जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम भावल खेड़ा के अनुज कुमार को बन्दूक से मारने वाले मुल्जिमों को गिरफ्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना, द्वारा नियम 51 केअन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15-2-2005 को नियम-51 के अन्तर्गत सदन को यह सूचना दी गयी थी कि शाहजहाँपुर जनपद के अन्तर्गत आने वाले, गाजा थाना क्षेत्र के ग्राम भावल खेड़ा में अनुज कुमार को फरवरी, 2005 के दूसरे सप्ताह में 2 लोग प्रमोद कुमार व अरूण कुमार ने बन्दूक व तमंचे की नोक पर घेर कर मारा। अनुज कुमार के फायर आर्म की चोटें हैं। वह बरेली के अस्पताल में भर्ती है, उसके एक हाथ का मांस पूरी तरह उड़ गया, वह जिन्दगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। दोनों मुल्जिम गांव में आतंक फैलाये हुए हैं। बन्दूक व तमंचे से लोगों को डरा धमका रहे हैं, गवाहों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना की रिपोर्ट थाना गाजा में दिनांक 10-2-2005 की रात्रि में, मुकदमा अपराध संख्या: 35/05 धारा 307 भादवि में दर्ज है। अभी तक किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जनहित में दोनों मुल्जिमानों की गिरफ्तारी होना अत्यन्त आवश्यक है। इस घटना से पूरे भावल खेड़ा गाँव व न्याय पंचायत में आतंक मच गया है, लोग भयभीत हैं, कानून तथा न्याय का मखौल उड़ा रहे हैं।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर से आख्या प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया है कि अरूण कुमार त्रिपाठी की बैटरी की दुकान थाना रौजा अन्तर्गत ग्राम भावलखेड़ा में है। श्री प्रमोद कुमार बैट्री लेने गये। बैट्री सही न होने पर आपसी लेन-देन पर मारपीट हुई। श्री प्रमोद कुमार पक्ष के लड़कों ने श्री त्रिपाठी पक्ष के लोगों को मारापीटा। उक्त घटना के संबंध में श्री त्रिपाठी पक्ष द्वारा थाना रौजा पर एन0सी0आर0 संख्या: 11/05 धारा 323,504,506 भादवि बनाम सुरेन्द्र, अनुज, अवधेश व भूरे गुप्ता पंजीकृत कराया गया। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष रौजा तुरन्त मौके पर गये लेकिन अभियुक्त मौके से भाग गये। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 सिपाही गांव मे छोड़ दिये गये थे।

3-अगले दिन श्री प्रमोद कुमार पक्ष के स्वामी दयाल मास्टर जो शहर से भावल खेड़ा पढ़ाने जा रहे थे, श्री त्रिपाठी पक्ष के लोगों ने मारा पीटा। जब श्री प्रमोद कुमार पक्ष के लोगों को इसकी जानकारी हुई, तो यह लोग भी इकट् ठा होकर गये। तब श्री त्रिपाठी पक्ष द्वारा फायर किया गया, जो प्रमोद कुमार पक्ष के अनुज गुप्ता के बायें हाथ में लगा। इस संबंध में वादी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रौजा पर मुकदमा अपराध संख्या-35/05 धारा 307,323,504 भादवि बनाम विपक्षीगण अरूण कुमार त्रिपाठी व प्रमोद कुमार त्रिपाठी के विरूद्ध दिनांक 10-2-2005 को पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना के मध्य नामित अभियुक्त प्रमोद कुमार त्रिपाठी को दिनांक 16-2-05 को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरे नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा निरन्तर दबिश दी जा रही है, जो अपने घर से फरार है। थाना रौजा से पुलिस पार्टी नियमित रूप से गांव में भेजी जा रही है। नामित अभियुक्तगण का गांव में किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं है। फरार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 82/83 द0प्र0सं0 की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गयी है। दोनों पक्षों के कुल 17 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107/116 द0प्र0सं0 की रिपोर्ट दिनांक 10-2-05 को एस0डी0एम सदर के मा0 न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है तथा संबंधित व्यक्तियों को पाबंद कराने की प्रक्रिया भी प्रचलित है।]

इलाहाबाद महानगर की सफाई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित केवल वक्तव्य का स्थगन।

श्री अध्यक्ष--

यह अभी स्थगित है।

प्रदेश के अधिक से अधिक विकास खण्डों में विकास अधिकारियों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि प्रदेश के 800 विकास खण्डों में से 400 से अधिक विकास खण्डों में विकास अधिकारियों की नियुक्ति नहीं है। एक विकास अधिकारी कई-कई विकास खण्डों का काम देख रहे

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। योजनाएं ठीक से संचालित नहीं हो रही हैं और धाधंली हो रही है। वर्ष 2002 में इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने शासनादेश किया था कि जब तक विकास अधिकारियों की कमी पूरी न हो तब तक जिलाधिकारी, कृषि, अर्थ संख्या, लघु सिंचाई, सहकारिता एंव पंचायत आदि विभागों के अधिकारियों की नियुक्ति विकास अधिकारियों के पद पर कर दें। यह व्यवस्था कर भी दी गई। परन्तु 24-10-2003 को पुन: एक शासनादेश जारी कर इस व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था लागू की गई कि रिक्त विकास खण्डों का चार्ज केवल बी0डी0ओ0/जनपदीय प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के अधिकारियों को ही सौंपा जाय। इससे समस्त विकास कार्य बाधित हो गये और पुन: एक-एक विकास अधिकारी के पास दो-तीन विकास खण्डों का भार आ गया। मा0 सदस्य द्वारा पुन: 09-12-2002 जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग की गयी है।

2--इस संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारी के प्रोन्नति कोटे के लगभग 339 पद रिक्त हैं। रिट याचिका संख्या-5355(एस0एस0)/1997 आनन्द किशोर सक्सैना, बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के प्रोन्नति कोटे पर दिनांक 29-02-2000 को स्थगनादेश पारित कर दिये जाने के कारण खण्ड विकास अधिकारी के प्रोन्नति कोटे के पदों को भरा जाना संभव नही हो पा रहा है। प्रदेश मे विकास कार्यक्रमों को सुचारूरुप से संचालित करने के लिए शासनादेश दिनांक 09-12-2002 द्वारा विभिन्न जनपदों में रिक्त विकास खण्डों का प्रभार विभिन्न विभागों के श्रेणी-2-से अभिन्न अधिकारियों को दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु उक्त शासनादेश के विरूद्ध प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के कतिपय पदाधिकारियों द्वारा रिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्ड पीठ में रिट याचिका संख्या-1240(एस0बी0)/2003 दायर किया गया, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-09-2003 को यह आदेश पारित किया गया कि यदि संबंधित जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में खण्ड विकास अधिकारी उपलब्ध हो तो रिक्त विकास खण्डों का प्रभार दिये जाने में अन्य विभाग के अधिकारियों की अपेक्षा खण्ड विकास अधिकारियों को ही वरीयता प्रदान की जाय। उक्त आदेश में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा शासनादेश दिनांक 09-12-2002 पर स्थगन प्रदान कर दिया गया है।

3--कालान्तर में शासनादेश दिनांक 09-12-2002 की व्यवस्था से यह कठिनाई भी महसूस की गयी कि अन्य विभागों के अधिकारियों को विकास कार्यक्रमों/ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के संबंध में जानकारी एवं अनुभव न होने के कारण योजनाओं के संचालन/क्रियान्वयन में कठिनाइयां उत्पन्न होती है तथा उनके द्वारा यदि अनियमितता की जाती है तो उनके ऊपर ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण न होने के कारण उनके विरुद्ध त्वरित कार्यवाही नहीं हो पाती है। अतएव मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18-09-2003 अनुपालन एवं प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए रिक्त विकास खण्डों का प्रभार अनिवार्यत: जनपद के निकटवर्ती खण्ड विकास अधिकारियों अथवा जनपदीय प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के अधिकारियों को ही दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 24-10-2003 द्वारा की गयी है।]

जनपद खीरी स्थित तहसील निघासन में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0एस0 कुशवाहा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[संविधान के अनुच्छेद 227 की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी न्यायालय की स्थापना मा0 उच्च न्यायालय की सहमति/संस्तुति पर ही की जाती है। इस क्रम में जनपद खीरी स्थित तहसील निघासन में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अभी तक मा0 उच्च न्यायालय की सहमति शासन को प्राप्त नहीं हुई है। अत: जनपद खीरी की तहसील निघासन में अभी मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किया जाना मा0 उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त न होने तक सम्भव नहीं है।]

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, 25 फरवरी, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 5 बजकर 15 मिनट पर शुक्रवार दिनांक 25 फरवरी, 2005 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 23-2-2005

पी०एस०यू०पी०–हुल० 27 विधान सभा (56) –26-5-05–813 प्रतियां (डी०टी०पी०)।